असंशोधित

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

11 जुलाई, 2019

षोडश विधान सभा 11 जुलाई, 2019 ई0

---------- वृहस्पतिवार, तिथि ----------

त्रयोदश सत्र 20 आषाढ़,1941(शक)

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय - 11.00 बजे पूर्वाह्न)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारम्भ होती है ।

श्री ललित कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से प्रशासन, लॉ एण्ड ऑर्डर फेल है बिहार में, दानापुर में देखिए कैसे कोर्ट से, हाजत से कस्टडी से ले जा रहा था, गोली मार दिया गया.....

अध्यक्ष : समय पर उठाईयेगा ।

माननीय सदस्यगण, आप सब ने कल अनुभव भी किया है और आज आपको उसका असर भी दिखा होगा कि कल की सदन की कार्यवाही, विशेष रूप से प्रश्नकाल, की प्रशंसा सर्वत्र हुई है । समाचार-पत्रों से, मीडिया से लेकर आमजनों के बीच में सदन की कार्यवाही की हर जगह सराहना हुई है । इसलिए स्वभाविक रूप से आसन की तरफ से मेरा अनुरोध और अपेक्षा रहेगी कि आज भी हम कुछ उसी तरीके से उसी पथ पर चलें, यही हमारी आशा होगी ।

<u>प्रश्नोत्तर-काल</u>

अल्पसूचित प्रश्न लिये जायेंगे ।

<u>अल्पसूचित प्रश्न सं0-13(श्री भाई वीरेन्द्र)</u>

श्री मदन सहनी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है ।

वित्तीय वर्ष 2018-19 में 9 लाख 68 हजार 28 राशन कार्ड को अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से विभिन्न कारणों से आपात राशन कार्ड के रूप में चिंहित किया गया, जिसपर नियमानुसार सुनवाई में अपनी पात्रता के संबध में पक्ष रखने हेतु संबंधित चिंहित राशन कार्डधारियों को नोटिस निर्गत किया गया । उक्त निर्गत नोटिस के आलोक में जिन कार्डधारियों द्वारा पात्रता के संबंध में संतोषजनक साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया या जिन कार्डधारियों द्वारा कोई भी प्रमाण सक्षम प्राधिकार के समक्ष प्रस्तुत नही किया गया, वैसे 2 लाख 59 हजार 899 राशन कार्ड को रद्द किया गया है, शेष 7 लाख 30 हजार 012 राशन कार्डधारियों के संबंध में नियमानुसार कार्रवाई प्रक्रियाधीन है । यहां यह भी उल्लेखनीय है कि राशन कार्डधारियों के अपात्र के रूप में चिंहित किये जाने के उपरांत उनके खादान्न के आवंटन एवं वितरण तत्काल प्रभाव से रोक दिया जाता है एवं पुनः जांचोपरांत पात्रता प्रमाणित होने पर खाद्यान

उपलब्ध कराया जाता है । अतः ऐसी स्थिति में खाद्यान के उठाव एवं वितरण नहीं किये जाने के कारण खाद्यान की कालाबाजारी की संभावना नगण्य होती है । यदि फिर भी कालाबाजारी के संबंध में सूचना प्राप्त होती है तो दोषी पदाधिकारियों एवं कर्मियों के विरूद्ध विधिसम्मत् कार्रवाई की जाती है । वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में कुल 125 जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं के विरूद्ध अनियमितता पाये जाने के कारण अनुज्ञप्ति रद्द कर दिया गया है ।

श्री भाई वीरेन्द्र : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जब 9 लाख 42 हजार 488 कार्ड फर्जी चिंहित हुआ है तो 2 लाख 12 हजार 476 ही रद्द क्यों और जो 7 लाख 30 हजार 012 कार्ड का अनाज उठाकर बाजार में बेचने वाले पर कार्रवाई क्यों नहीं की गयी ? इसकी जांच होनी चाहिए और उसपर कार्रवाई होनी चाहिए । इनका लीपापोती करने का प्रयास है और इसमें सारे लोग सम्मिलित हैं ।

अध्यक्ष : आप पूरक पूछिए ।

श्री भाई वीरेन्द्र : सरकार इसपर जांच करके संबंधित पदाधिकारी एवं जो लोग इसमें लिप्त हैं, उसपर क्या सरकार कार्रवाई करना चाहेगी ?

अध्यक्ष : भाई वीरेन्द्र जी, जैसाकि मंत्री जी ने बताया है कि जो भी 9 लाख, आप 42 हजार कह रहे हैं और वे 68 हजार कह रहे हैं कि अपात्र या फर्जी जो भी कहिए, वह चिन्हित हुए हैं और इन्होंने प्रक्रिया बतायी है कि जो अपात्र चिन्हित होते हैं, उनको एक मौका दिया जाता है अपनी पात्रता स्थापित करने का, तो उस प्रक्रिया के तहत जो लोग अभी तक रिसपोंड नहीं किये हैं, 2 लाख 59 हजार को इन्होंने रद्द कर दिया है लेकिन वे एक सूचना जो दे रहे हैं कि जिस समय अपात्र चिन्हित हो जाते हैं, उनके विरूद्ध आवंटन रोक दिया जाता है । जो माननीय मंत्री जी ने कहा और जो हमने समझा, यही बात है न मंत्री जी ।

श्री मदन सहनी, मंत्री : जी ।

श्री भाई वीरेन्द्र : नहीं हुजूर ।

अध्यक्ष : सुन लीजिए, उनके कहने के मुताबिक मंत्री जी कि जो 9 लाख 68 हजार लोग आपके जांच में अपात्र श्रेणी में आये तो सबसे पहले कदम के रूप में उनका आवंटन रोक देते हैं आप ? आपने जो कहा, जो हमने सुना ।

श्री मदन सहनी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, आप सही बता रहे थे । हमलोग रोक भी देते हैं ।

श्री भाई वीरेन्द्र : रोक देते हैं कि रोक दिए ।

श्री मदन सहनी, मंत्री : रोक देते हैं ।

श्री भाई वीरेन्द्र : रोके तो नहीं हैं ?

श्री मदन सहनी, मंत्री : रोक दिये हैं, अभी रोके हुए हैं । इसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि 8 लाख 57 हजार लाभुक हैं और आवंटन प्रत्येक महीना 4 लाख 52 हजार हमलोग देते हैं लेकिन अभी वर्त्तमान में जो लिफ्टिंग होता है, मात्र 4 लाख 15 से मैक्सिमम 20 लाख मैट्रिक टन होता है, उसका मतलब है कि शेष उठाव नहीं हो पाता है । इसका मतलब है कि जो लोगों का पात्रता के संबंध में अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है, उन्हीं का आवंटन रोका जाता है, इसलिए पूरा-का-पूरा आवंटन में जाता है तो इसमें कालाबाजारी या उसको कहीं विचलन करने की.....

श्री भाई वीरेन्द्र : महोदय, मेरा कहना है कि 9 लाख समथिंग जो कार्डधारी हैं, जिसमें 2 लाख समथिंग का ही रद्द किया गया, शेष जो 7 लाख 30 हजार कार्डधारी हैं, उनका राशन उठता था, वह राशन कहां कालाबाजारी बाजार में होता है । हमारे पास उसका प्रमाण है हुजूर ।

अध्यक्ष : आप दीजिए प्रमाण, सरकार जांच करायेगी ।

श्री भाई वीरेन्द्रः जिलावाईज हमारे पास प्रमाण है ।

अध्यक्ष : आप प्रमाण दीजिए, सरकार उसकी जांच करायेगी ।

श्री भाई वीरेन्द्र : यही तो हमारा कहना है । हम तो यही कह रहे हैं ।

अध्यक्ष : सदानंद बाबू । सदानंद बाबू के बाद सिद्दिकी जी ।

श्री सदानंद सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य भाई वीरेन्द्र जी ने जो जानकारी दी, मैं भी अपने क्षेत्र में गया था और अनुभव किया कि कार्ड जो 7 लाख समथिंग बंटनी चाहिए थी, वह नहीं बांटी गयी है और निश्चित रूप से कम-से-कम पांच-सात जिलों के बारे में हमको जानकारी है, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्वी चम्पारण, पश्चिमी चम्पारण, भागलपुर, अररिया, दरभंगा, गया आदि जिलों में नहीं वितरित की गयी है और मैं पूर्ण जिम्मेवारी के साथ कहता हूँ, मैंने प्रखंड विकास पदाधिकारी और अनुमंडल पदाधिकारी को भी निदेशित किया था और अब तक वह कार्ड किसी व्यक्ति विशेष को दे दिया जाता है और वह फिर राशि उगाही करके वह वितरित करता है । बहुत गड़बड़ी है, इसलिए इस पर सदन की समिति बननी चाहिए ।

अध्यक्ष : सिद्दिकी साहब ।

श्री अवधेश कुमार सिंहः अध्यक्ष महोदय,.....

अध्यक्ष : कोई नयी बात कहनी है कि उतनी ही बात ।

श्री अवधेश कुमार सिंह : नयी बात कहनी है ।

अध्यक्ष : वह भी हम देखेंगे ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी : महोदय, माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया कि 35 लाख 97 हजार 788 आवेदन प्राप्त हुए, उसमें से 26 लाख...

अध्यक्ष : इसमें प्राप्त होने वाला प्रश्न नहीं है । यह दूसरा प्रश्न है ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी : वही प्रश्न है ।

अध्यक्ष : नहीं-नहीं, यह दूसरा है । फर्जी राशन कार्ड वाला है ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी : फर्जी राशन कार्ड का जो मामला है, उसमें माननीय मंत्री जी यह स्पष्ट बतायें कि कितना कुल फर्जी राशन कार्ड अबतक प्रतिवेदित हुए हैं।

अध्यक्ष : वे सब बता चुके हैं ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी : नहीं बताये हैं ।

अध्यक्ष : सब बता चुके हैं । 9 लाख 68 हजार फर्जी चिन्हित हुए हैं और उसमें से उनको मौका देकर करीब 2 लाख 59 हजार का रद्द कर दिये हैं, बाकी जितना फर्जी चिन्हित हुआ था, उसका आवंटन रोक दिये हैं । अब प्रश्न है कि भाई वीरेन्द्र जी और सदानंद बाबू कह रहे हैं, इन लोगों की सूचना के मुताबिक कह रहे हैं कि प्रमाण देंगे, जिनका फर्जी चिन्हित हो गया है, वैसे कार्ड के विरूद्ध भी आवंटन दिया जा रहा है । जो मंत्री जी ने कहा है कि रोक देंगे, तो यह निश्चित रूप से जांच का विषय है और सरकार को भी फायदा होगा ।

टर्न-2/राजेश/11.7.19

श्री अब्दुल बारी सिदिदकी: महोदय, मेरे पास जो पत्र है सरकार का, उसमें है कि बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन से आर0टी0पी0एस0 के माध्यम से ऑफ लाईन मोड में आवेदन पत्र लेने हेतु कार्रवाई पूर्ण नहीं की जाती है तथा ई0पी0डी0एस0 मॉडल पर डाटा का होना एक्जिस्टिंग नहीं हो जाता है, तब तक राशनकार्ड निर्गत नहीं किया जाता है, तो ये अभी तक सुनिश्चित नहीं हो पाये हैं कि इनका इतना कार्ड जो है फर्जी पाया गया, यह ऑन प्रॉसेस है एस0डी0ओ0 के यहाँ महोदय, अभी तो माननीय मंत्री जी यह बता दें कि कुल कितने फर्जी कार्ड स्पष्ट रुप से प्रतिवेदित हुए हैं और उसके लिए स्वीकृत जो है राशनकार्ड से, जो खाद्यान मिलते थे, वह खाद्यान कहाँ हैं ?

अध्यक्ष: यह तो प्रश्न में ही है सिदिदकी साहब । आप प्रश्न को एक बार पढ़ लीजिये।

श्री अब्दुल बारी सिदिदकी: महोदय, हमने प्रश्न को पढ़ लिया है ।

अध्यक्ष: माननीय सदस्य श्री अवधेश कुमार सिंह जी ।

श्री अवधेश कुमार सिंह: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी जो उत्तर दिये हैं और माननीय प्रश्नकर्ता भाई विरेन्द्र जी ने जो प्रश्न पूछा है, उसी से कन्सर्न हम एक जानकारी आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि जो भी राशनकार्ड हैं, जिनको आपने राशनकार्ड दिया है तो क्या सरकार उन राशनकार्डों को आधार कार्ड से

जोड़कर, चूंकि आधार कार्ड से ही फर्जी का फर्जीवाड़ा टूटेगा, आधार कार्ड से उन राशनकार्डों को जोड़ देंगे, तो हम समझते हैं कि फर्जीवाड़ा खत्म हो जायेगा ।

अध्यक्षः आधार कार्ड से जोड़ देना चाहिए । यह तो ठीक है । माननीय सदस्य डा0 अशोक कुमार ।

डा0 अशोक कुमारः महोदय, प्रश्न को देखा जाय । इस प्रश्न में ही है कि कालाबाजारी करने वाले दोषी पदाधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई हुई, तो माननीय मंत्री जी यह नहीं बताये कि इसके लिए पदाधिकारी कितने दोषी पाये गये और उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई हुई, अभी तक कार्डधारियों पर तो हो गयी लेकिन पदाधिकारियों पर क्या हुआ, यह मैं जानना चाहता हूँ ।

श्री नरेन्द्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंहः अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल है कि वर्तमान में 9 लाख एप्रौक्स अवैध कार्ड हैं, जिसमें 2 लाख 59 हजार साबित हुए, जो अपात्र कार्ड हैं, तो मेरा सवाल यह है कि 2014 में यह स्कीम लागू की गयी, तो 2014 से लेकर 2019 तक 9 लाख कार्डधारियों का राशन गबन करने वाले पदाधिकारियों पर कौन सी कार्रवाई ये करेंगे, यह मेरा सवाल है ।

अध्यक्षः माननीय मंत्री जी ।

श्री मदन सहनी, मंत्रीः महोदय, बहुत हो गया क्वेशचन, अब एक साथ इतना कीजियेगा, तो कुछ तो याद रहेगा, कुछ भूल जायेंगे ..... (व्यवधान)

अध्यक्षः पहले जवाब सुन तो लीजिये । हो सकता है कि वे जवाब दे दें ।

श्री मदन सहनी, मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, इसमें कुछ न कुछ माननीय सदस्यों को कंफ्यूजन है, जो मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ । एक तो जो प्रश्न आया कि 9 लाख 68 हजार राशनकार्ड चिन्हित किये गये हैं, वह फर्जी नहीं हैं और उनको अब तक राशन मिल रहा था और मिल रहा है, जिनको हमलोग रद्द नहीं करेंगे, उनको तो राशन दे रहे हैं अभी तक, चूंकि उनके पास चिन्हित है, वे हमारे लाभुक हैं और उनके लिए आवंटन जाता है, तो जो 2011 में सर्वे हुआ था, उसके अनुसार इनलोगों को मिला हुआ है और जो माननीय सदस्य गरीबों का हितैषी बनते हैं, कौन सा इसमें बड़ा धनासेठ राशनकार्ड बनवायेगा और उसका लाभ लेगा.....(व्यवधान)

दूसरी बात अध्यक्ष महोदय, 2 लाख 59 हजार लोगों को हमलोगों ने रद्द कर दिया है । जवाब दे रहे हैं, जरा सुनिये तो.....(व्यवधान)

अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, आपलोग पहले बैठिये न ।

श्री मदन सहनी, मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, पहले हमारा पूरा जवाब तो सुन लिया जाय ।

अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, जो आप सबों की चिंता है, स्वाभाविक रुप से सरकार की भी चिंता होनी चाहिए कि जो भी फर्जी राशनकार्ड हैं और उसके विरुद्ध अगर आवंटन

दिया जा रहा है, तो यह तो वाकई गंभीर बात है । इसलिए वह जो आपने कहा है कि जो फर्जी पाये गये हैं या जो अपात्र श्रेणी में हैं, उनके विरुद्ध जो आवंटन दिया जा रहा है, वह सूचना जो भाई विरेन्द्र जी ने कही है और माननीय सदस्य सदानंद बाबू ने कहा है, वह आप सूचना दीजिये, इसकी जांच करायी जायगी ।

(व्यवधान)

श्री अब्दुल बारी सिदिदकी: महोदय, हमारी ओर भी मुखातिब होईये ।

अध्यक्ष: अब हम आप ही की ओर मुखातिब है ।

श्री अब्दुल बारी सिदिदकी: महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा है कि कोई फर्जीवाड़ा नहीं है, तो सॉच को ऑच क्या, इसकी सदन की कमिटी बनाकर जांच करा दीजिये ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी बोलिये ।

श्री मदन सहनी, मंत्री: महोदय, ये लोग जवाब सुनना ही नहीं चाह रहे हैं । अध्यक्ष महोदय, हम यह कह रहे हैं कि 9 लाख 68 हजार में, 2 लाख 59 हजार को हमलोगों ने रद्व कर दिया, तो 2 लाख 50 हजार चिन्हित हुए, ये अपात्र लाभुक हैं, तो उन्हीं का हम आवंटन रोक सकते हैं लेकिन जो अभी रद्व नहीं हुए हैं, जो शेष बच गये हैं 7 लाख, उनका हम अभी कैसे आवंटन को रोक सकते हैं, उनका तो हमलोग आवंटन देंगे, पहले ही हमलोग कह चुके हैं, अभी 4 लाख 57 हजार मिट्रिक टन अनाज हमलोग उपलब्ध कराते हैं प्रत्येक महीना में, चूंकि जो रोका गया है, उस अनुसार 4 लाख 15 हजार से 20 हजार ही अभी उठाव हो पाता है और उस तक हम राशन पहुंचाने का काम करते हैं, इसलिए कहीं कोई फर्जीवाड़ा नहीं है.....

(व्यवधान)

अध्यक्ष: आप दे दीजियेगा, हम सरकार से इसकी जांच करावेंगे ।

(व्यवधान)

श्री भाई विरेन्द्र: अध्यक्ष महोदय, सदन की समिति से इसकी जांच करायी जाय ।

श्री अब्दुल बारी सिदिदकी: महोदय, आप अपने स्तर से इस मामले को देख लीजिये ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष: माननीय सदस्य सिदिदकी साहब, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल उसी तर्ज पर मैं स्वयं सारे मामले को देख लूंगा और लगेगा कि सही माने में गड़बड़ी है, तो मैं सदन की कमिटी बना दूंगा ।

<u>अल्पसूचित प्रश्न संख्या-14 (श्री अवधेश कुमार सिंह)</u>

श्री अवधेश कुमार सिंह: पूछता हूँ ।

श्री सुरेश शर्मा, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, खण्ड 1: उत्तर आंशिक स्वीकारात्मक है । पटना नगर निगम द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि गर्दनीबाग में सिर्फ दो अंचल, नूतन राजधानी अंचल एवं पाटलिपुत्रा अंचल का कचरा डंप कर रामाचक बैरिया डंपिंग यार्ड भेजा जाता है ।

खण्ड 2: आंशिक स्वीकारात्मक है । अस्पताल परिसर से दूर गर्दनीबाग डंपिंग यार्ड में कचरा रखा गया है ।

खण्ड 3: गर्दनीबाग कूड़ा प्वायंट से समस्त कूड़े का उठाव कर रामचक बैरिया डंपिंग यार्ड भेजा जाता है एवं प्रतिदिन उक्त स्थल को साफ सफाई करायी जाती है ।

खण्ड 4: कचरा डंप यार्ड के लिए अन्यत्र स्थान ढूढ़ा जा रहा है । स्थान उपलब्ध होते ही यार्ड को अन्यत्र स्थानान्तरित कर दिया जायेगा ।

श्री अवधेश कुमार सिंह: अध्यक्ष महोदय, इस सदन में पक्ष और विपक्ष के .....(व्यवधान)

अध्यक्ष: आप पूरक पूछिये न, सब लोग चिंतित हैं ।

श्री अवधेश कुमार सिंह: सुन तो लिया जाय हुजूर । माननीय मंत्री जी जो जवाब दिये है, हम सदन में आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि वे स्वयं इसका निरीक्षण कर लें और ।

क्रमश:

टर्न-3/सत्येन्द्र/11-7-19

श्री अवधेश कुमार सिंह (क्रमश:) स्वयं निरीक्षण करने के बाद अगर ये संतुष्ट हैं कि वहां पर गंदगी नहीं है, वहां गंध नहीं आता है, महोदय, वहां बगल में स्कूल है, होस्पीटल है, आवास है, थाना है या तो मंत्री जी हमारे ददन पहलवान जी के घर पर एक रात सो जायें या तीन घंटा इनके आवास पर बैठ जायें अगर ये संतुष्ट हो जायेंगे तो हमलोग इनके उत्तर से संतुष्ट हैं मगर माननीय अध्यक्ष महोदय वहां पर भयावह स्थिति है..

श्री सुरेश कुमार शर्मा, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, मैंने साफ तौर से कहा है कि वहां डम्पिंग होता है और इससे मैं इंकार नहीं कर रहा हूँ लेकिन प्रत्येक दिन इधर डम्पिंग ये कूड़ा को मैं हटवा रहा हूँ और वहां गंदगी नहीं रहता है फिर भी हम दूसरा डम्पिंग यार्ड खोज रहे हैं और जिलाधिकारी भी उसमें लगे हुए हैं । मैं शीघ्र उसको हटवा दूंगा, उसको हम जल्द से जल्द इस महीने में वहां से हटवाने की कोशिश करेंगे ।

श्री अवधेश कुमार सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री के जवाब को चुनौती देता हूँ ...

अध्यक्ष: अवधेश बाबू, मेरी बात सुन लीजिये, मंत्री जी ने क्या कहा सुना आपने कि वहां डम्पिंग यार्ड है जिसके कारण गंदगी होती है, उसको उन्होंने वहां से हटाने का निर्देश

दिया है कलक्टर उसके लिए पहचान कर रहे हैं और उन्होंने कहा है कि इस महीने में हम वहां से हम डम्पिंग यार्ड हटा देंगे, अब इसमें क्या कहना है ।

श्री अवधेश कुमार सिंह: इसी को हम चुनौती इसलिए दिया कि कलक्टर चिन्हित कर के बैरिया में डम्प बना दिया, चुनौती ये दे रहा हूँ महोदय, अभी आप अपने स्तर से वहां पर किसी को भेजकर दिखवा लीजिये, वहां पर आज के दिन 500 ट्रक कूड़ा नहीं होगा तो जो अध्यक्ष महोदय आप जो निर्णय लीजियेगा, माननीय मंत्री जी गलत बयानी कर रहे हैं ।

अध्यक्ष: ठीक है, दिखवा लीजयेगा ।

(व्यवधान)

अरे, अब तो वहां से डम्पिंग यार्ड ही हटा दे रहे हैं । अब तारांकित प्रश्न ।

तारांकित प्रश्न संख्या- 'क' 242 (श्री ललित कुमार यादव)

श्री मदन सहनी,मंत्री: (1) यह अस्वीकारात्मक है।

(2) इस संबंध में प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर विस्तृत विवरण निम्नवत् है:-

खरीफ अधिप्राप्ति वर्ष 2014-15 के लिए गन्नी बेल्स की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए निगम मुख्यालय, पत्रांक 12111 दिनांक 28-11-14 द्वारा जनसम्पर्क विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से दैनिक समाचार पत्रों में निविदा प्रकाशित कराई गयी थी । निविदा में कुछ त्रुटियां पाये जाने के कारण अतिशीघ्र बोरा आपूर्त्ति की महत्ता को दृष्टिपथ रखकर निगम पत्रांक 13019 दिनांक 23-12-14 को भाया मिडिया के माध्यम से बिहार राज्य के 'हिन्दुस्तान' एवं राष्ट्रीय स्तर के 'टाईम्स ऑफ इंडिया' दैनिक समाचार पत्रों में शुद्धि पत्र प्रकाशित करायी गयी । निगम मुख्यालय पत्रांक 13254 दिनांक 31-12-14 से खरीफ विपणन मौसम 2014-15 के अन्तर्गत अधिप्राप्ति कार्य हेतु गन्नी बैग्स के क्रय के लिए प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में निविदा खोलने के लिए निम्न पदाधिकारियों की एक समिति गठित की गयी जो निम्नवत् है:-

1-श्री अरविन्द कुमार सिंह,भा0प्र0सेवा,प्रबंधक निदेशक	अध्यक्ष
2-श्री मोहन प्रसाद ,वि0प्र0सेवा,निदेशक खाद्य उपभोक्ता संरक्षण विभाग	सदस्य
3-श्री अरूण कुमार ठाकुर, वि0प्र0सेवा,प्रमुख अधिप्राप्ति	सदस्य
4-श्री जय शंकर मंडल,वि0प्र0से0,प्रमुख वित्त	सदस्य
5-श्री मुकेश कुमार सिन्हा,वि0प्र0से0, विशेष कार्य पदाधिकारी	सदस्य
6- श्री कमलेश कुमार,भा0खा0निगम, मैनेजर ,प्रोक्यूरमेंट	सदस्य
7- श्री पी0 पुनतीत (चार्टर्ड एकाउन्टेंट)वित्तीय सलाहकार	सदस्य

प्रकाशित निविदा सूचना के अनुसार दिनांक 06-01-15 को प्राप्त निविदा गठित समिति के समक्ष खोला गया तथा समिति द्वारा तकनीकी रूप से सही पाये गये तीन निविदादाताओं यथा (i)Winsome International Ltd, Unit Rameshwar Jute Mill, Muktapur, Samastipur (ii) North Brooke Jute Co, Ltd, Hoogly, Kolkata (iii) Sri Gauri Shankar Jute Mil Ltd, Kolkata के वित्तीय भाग को खोलने की अनुशंसा की गयी । दिनांक 08-01-15 को उक्त तकनीकी रूप से सफल निविदादाता के वित्तीय भाग को गठित समिति के समक्ष खोला गया तथा एक तुलनात्मक विवरणी तैयार की गयी । वित्तीय भाग खोलते समय संबंधित निविदादाता भी उपस्थित थे । समिति द्वारा न्यूनतम निविदादाता विन्सम इंटरनेशनल लि0 द्वारा प्रतिवेदित दर को समझौतावार्त्ता के पश्चात् आर्थिक हित में पुनरीक्षित कर दर कम करने की अनुशंसा की गयी । दिनांक 13-01-15 को गठित समिति के समक्ष विन्सम इंटरनेशनल लि0 द्वारा प्रतिवेदित दर को कम करने हेतु समझौता वार्ता किया गया जिसमें प्रति गन्नी बेल्स का दर 21,408 रू0 34 पैसा दर हुआ । उक्त दर में लोडिंग एवं अनलोडिंग प्वायंट का हथालन दर भी सम्मिलित है तथा राज्य खाद्य निगम के विभिन्न जिलों को उनके आवश्यकतानुसार निगम मुख्यालय से आदेश प्राप्त कर गन्नी बैग्स की फॉर डिलीवरी विन्सन इंटरनेशनल लि0 द्वारा ससमय दी जानी है । दिनांक 21-01-15 को सफल निविदादाता मे0 विन्सन इंटरनेशनल लि0, यूनिट रामेश्वर जूट मिल, मुक्तापुर, समस्तीपुर के साथ एकरारनामा किया गया । वित्तीय नियमावली एवं सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए निविदा की सारी प्रक्रियाएं अपनायी गई है । इस प्रकार निविदा में किसी प्रकार की अनियमितता नहीं बरती गयी है । खरीफ अधिप्राप्ति वर्ष 2014-15 के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्य अनुमानित 30 लाख मे0 टन धान के लिए पूर्व से भंडार में उपलब्ध बोरे की संख्या को घटाने के पश्चात् आवश्यकतानुसार बोरे की आपूर्त्ति के लिए निविदा आमंत्रित की गयी थी इसलिए बोरा क्रय हेतु किसी प्रकार की न्यूनतम गारंटी निर्धारित नहीं की गयी थी ।

अध्यक्ष: मंत्री जी के हाव-भाव से लगता है कि अभी और है इसका हिस्सा ।

श्री मदन सहनी,मंत्री: कल का रेकर्ड टूट जायेगा। अनुमानित 60 हजार गन्नी बेल्स के विरूद्ध आवश्यकतानुसार मात्र 28 हजार 700 गन्नी बेल्स समय समय पर सफल निविदादाता मे0 विन्सन इंटरनेशनल लि0, यूनिट रामेश्वर जूट मिल, मुक्तापुर, समस्तीपुर से क्रय किया गया है । यदि निगम द्वारा 60 हजार गन्नी बेल्स क्रय करना निर्धारित होता तो जमानत राशि की मांग की जाती और निश्चित रूप से 60 हजार गन्नी बेल्स से कम बोरा क्रय नहीं किया जाता । आवश्यकतानुसार चक्रानुक्रम में गन्नी बेल्स की आपूर्त्ति हेतु मे0 विन्सन इंटरनेशनल लि0, यूनिट रामेश्वर जूट मिल, मुक्तापुर, समस्तीपुर को

आदेश दिया गया । एकरारनामा की कंडिका 2 एवं 3 में स्पष्टतः अंकित है कि समय समय पर क्रय आदेश के आलोक में जमानत राशि प्राप्त की गयी । चूंकि चक्रिय आदेश के तहत गन्नी बेल्स की आपूर्त्ति जूट मिल द्वारा की जाती थी इसलिए सफल निविदादाता मे0 विन्सन इंटरनेशनल लि0, यूनिट रामेश्वर जूट मिल, मुक्तापुर, समस्तीपुर से 50 लाख रू0 जमानत राशि के रूप में जमा कराया जाना पर्याप्त समझा गया । मे0 विन्सन इंटरनेशनल लि0, यूनिट रामेश्वर जूट मिल, मुक्तापुर, समस्तीपुर द्वारा

(व्यवधान)

अध्यक्षः जरा जवाब खत्म हो जाने दीजिये, तब मैं सुनूंगा आपलोगों की बात ।

श्री मदन सहनी,मंत्रीः वर्ष 2014-15 में आपूरित जूट बैग की गुणवत्ता की जांच माह सितम्बर, 2015 में जूट कमिश्नर कार्यालय के कर्मी द्वारा बिहार राज्य खाद्य निगम के कैमूर जिला जाकर की गयी थी तथा जांच कर्मी द्वारा जांच प्रतिवेदन सीधे जूट कमिश्नर, कोलकत्ता को दिया गया था जिससे यह स्पष्ट नहीं हो सका कि कैमूर जिला में आपूरित किये गये वर्ष 2014-15 के जूट बोरे बी0आई0एस0 मानक अनुरूप है अथवा नहीं । जूट कमिश्नर से निगम पत्रांक 11630 दिनांक 15-9-15 तथा पत्रांक 11996 दिनांक 23-9-15 से जांच प्रतिवेदन की प्रति मांगने के वाबजूद भी जांच प्रतिवेदन उनके द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया । (क्रमशः)

टर्न-4/मधुप/11.07.2019

... क्रमशः ...

श्री मदन सहनी, मंत्री : इस प्रकार कैमूर जिले में जूट बोरे की गुणवत्ता की जॉच नियमानुकूल नहीं होने के कारण इसकी सूचना भारत सरकार को दी गई थी जिसके क्रम में संयुक्त सचिव....

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, अब कितना बच गया है ?

श्री मदन सहनी, मंत्री : अभी आधा से ज्यादा बचा है ।

अध्यक्ष : अभी है ?

श्री मदन सहनी, मंत्री : अभी बहुत है ।

(व्यवधान)

श्री सदानन्द सिंह : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी समस्तीपुर जिला के ही हैं क्या ?

अध्यक्ष : सदानन्द बाबू, वैसे तो कोई भी माननीय सदस्य समस्तीपुर के हो जायं तो आसन को खुशी होगी लेकिन मदन सहनी जी दरभंगा जिला के हैं ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी : अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का सवाल है । प्रश्नकर्त्ता सदस्यों के लिए भी यह फिक्स्ड है कि कितने शब्दों में क्वेश्चन करना है और सरकार को भी हॉ और

ना में जवाब देना है और वस्तुस्थिति से अवगत कराना है । यदि पुलिंदा है तो सरकार पहले सदन के सभी माननीय सदस्यों को सर्कुलेट कर दे और आगे तारीख को पूरक पूछने के लिए निर्धारित कर दें ।

अध्यक्ष : ठीक है । माननीय मंत्री जी, इसको सर्कुलेट करा दीजिये, आगे दिन इसपर जारी रहेगा। प्रश्न संख्या-852 : डॉ0 अशोक कुमार ।

(व्यवधान)

मतलब अंत में माननीय मंत्री जी विजयी रहे । मंत्री जी का पूरा जवाब सुनने का सब्र माननीय प्रश्नकर्त्ता क्या, सदन में किसी को नहीं रहा ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी : महोदय, आप क्लास लेते हैं नहीं ! सिर्फ माननीय सदस्यों का क्लास लेते हैं, कभी-कभी माननीय मंत्रियों का भी तो क्लास लिया कीजिये ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जब सदन में माननीय मंत्री विस्तार से प्रश्न का जवाब देते हैं तो इनको सुनने का साहस नहीं होता है, अगर छोटा जवाब रहता है तो माननीय सदस्य कहते हैं कि पूरा जवाब नहीं आता है । समझ में बात नहीं आती है कि कैसा जवाब ये सुनना चाहते हैं ? ये विपक्ष के माननीय सदस्य हैं, उनकी धैर्य के सीमा की परीक्षा भी हो रही है कि आप सुनना नहीं चाहते हैं प्रश्नों का जवाब, सिर्फ टाईम पास करना चाहते हैं ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या- 852 (डॉ0 अशोक कुमार)</u>

श्री राणा रणधीर, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, 1- वरीय परियोजना अभियंता, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, कार्य प्रमंडल, दरभंगा के पत्रांक-949 दिनांक-02.09.2013 के द्वारा 1,65,98,706 रू0 मात्र की राशि भू-अर्जन कार्यालय, समस्तीपुर को उपलब्ध कराया गया था ।

वास्तविकता यह है कि पहुँच पथ का निर्माण हो चुका है तथा आवागमन चालू है, मात्र रंग-रोगन का कार्य बाकी है । पुल निर्माण के बाद पहुँच पथ हेतु बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, कार्य प्रमंडल, दरभंगा द्वारा अधियाचना दिनांक-28.12.2016 को समर्पित किया गया । दिनांक- 05.07.2017 को जिलाधिकारी, समस्तीपुर की अध्यक्षता में सम्पन्न पुल-पुलिया परियोजना की समीक्षात्मक बैठक में अर्जनाधीन भूमि का रकबा 0.47 एकड़ कम रहने तथा पूर्व में ही स्थल पर पुल का निर्माण हो जाने के कारण जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर द्वारा अधियाची विभाग को लीज नीति के तहत अर्जन हेतु निदेशित किया गया । परंतु बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, कार्य प्रमंडल, दरभंगा के पत्रांक-694, दिनांक- 09.08.2018 के द्वारा भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्स्थापना में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता अधिकार

अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत पुनः अर्जन हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ । उक्त के आलोक में अर्जन की प्रक्रिया अन्तर्गत एस0आई0ए0 हेतु दिनांक 01.07.2019 को सुनवाई सम्पन्न हो चुकी है । प्रतिवेदन जैसे ही प्राप्त होगा, प्रतिवेदन प्राप्त होते ही अर्जन की अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी ।

डॉ0 अशोक कुमार : महोदय, मैं सरकार के उत्तर को चुनौती देता हूँ, जो इन्होंने कहा कि पहुँच पथ बनकर तैयार है । यह पूर्णतया गलत इनको रिपोर्ट मिला है । अभी तक वहाँ पर गड्ढे हैं और लोग बनने नहीं दे रहे हैं क्योंकि उनको भुगतान नहीं हुआ है, इसलिये काम होने नहीं दे रहे हैं । किस आधार पर ये कह रहे हैं कि बनकर तैयार है ? यातायात तो बिल्कुल एक तरफ का बन्द है । गलत रिपोर्ट है । अध्यक्ष महोदय, कृपया आज इसे स्थगित किया जाय । मैं जवाब को चुनौती देता हूँ ।

अध्यक्ष : इसकी जॉच करा ली जाय और माननीय सदस्य को भी जानकारी दे दीजियेगा ।

डॉ0 अशोक कुमार : अभी तक कोई भुगतान भी नहीं हुआ है ।

श्री आलोक कुमार मेहता : महोदय, इस तरह के 5 पुल ऐसे हैं जो बनकर तैयार हैं, पहुँच पथ के सन्दर्भ में भू-अर्जन की प्रक्रिया पूरी हुई या नहीं हुई लेकिन भुगतान नहीं हुआ, उसकी वजह से लगभग डेढ़-दो साल से पहुँच पथ के अभाव में उस तरह के पुल के बगल में बहुत गड़ा-बड़ा गड्ढा हो चुका है, आवागमन काफी प्रभावित है । कृपया जल्द से जल्द इसका समाधान निकाला जाय ।

अध्यक्ष : यह सही बात है कि जहाँ कहीं, अब जैसे पुल बन गया है, दोनों तरफ छोटा-छोटा एप्रोच बनना है, उसमें भूमि अधिग्रहण की बात है या वह लम्बित है, वह लम्बित रहने से पुल की उपयोगिता हो नहीं पाती है । इसलिये वैसे मामलों में सरकार को जरा उसपर विशेष गति देकर भू-अर्जन के काम को पूरा कराना चाहिये । इसको देखवा लिया जाय।

श्री आलोक कुमार मेहता : जिलाधिकारी ने 8 महीने पहले कहा कि उसकी मीटिंग हो गई है और एक महीना के अन्दर उसका भुगतान कराकर उसको किया जायेगा लेकिन अभी तक....

अध्यक्ष : उसका रिव्यू करा लीजियेगा मंत्री जी ।

श्री महेश्वर हजारी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं उस पुल के संबंध में जानता हूँ चूंकि जब मैं सांसद था तो मैंने ही उस पुल को बनवाया था । उस पुल में एप्रोच के लिये जो जमीन है, जमीन अधिग्रहण नहीं हुआ था, अधूरा एप्रोच बना था, जमीन मालिक उसपर केस कर दिया । उसके बाद हाल-फिलहाल एक महीना पहले उसमें जिला कलक्टर के द्वारा अधिसूचना निकाला गया कि उस जमीन का अधिग्रहण के लिये दिया गया है, जमीन मालिक पर आपत्ति करें । चूंकि मैं व्यक्तिगत रूप से उस पुल के बारे में जानता हूँ, कांकर घाट है।

श्री सी0एन0 गुप्ता : महोदय, हमारे अल्पसूचित प्रश्न का क्या हुआ ?

अध्यक्ष : वह तो समय की कमी के कारण आपका प्रश्न पिछड़ गया ।

तारांकित प्रश्न संख्या- 853 (श्री विद्यासागर केशरी)

श्री सुरेश कुमार शर्मा, मंत्री : महोदय, 1- स्वीकारात्मक है ।

2- स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि राज्य के नगर निकायों के सभी वार्ड मुख्यमंत्री नाली-गली पक्कीकरण निश्चय योजना से आच्छादित हैं। प्रश्नगत योजना भी नगर विकास द्वारा प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करा दिया जायेगा।

उपर्युक्त खंडों में स्थिति स्पष्ट किया गया है ।

श्री विद्या सागर केशरी : अध्यक्ष महोदय, 2017 की आई बाढ़ से सबसे ज्यादा तबाही इसी वार्ड के लोगों को झेलनी पड़ी थी जिससे वार्ड की यह लम्बी सड़क नाला में परिवर्तित हो गई है । अबतक इस सड़क का निर्माण नहीं हो पाया है जबकि यह सड़क शहर का लाईफ-लाईन माना जाता है.....

अध्यक्ष : पूरक प्रश्न पूछिये ।

श्री विद्या सागर केशरी : कबतक इस सड़क को माननीय मंत्री जी बनवा देंगे ? समय-सीमा तय कर दें।

श्री सुरेश कुमार शर्मा, मंत्री : महोदय, सात निश्चय के अन्दर यह रोड है, यह प्राथमिकता में है, इसको बनवा दिया जायेगा ।

श्री विद्या सागर केशरी : अध्यक्ष महोदय, पिछली बार यह सड़क जो है, इसमें चार आदमी इसी वार्ड के मारे गये थे, 2017 के वार्ड में इसी वार्ड के 4 आदमी गुजर गये थे बाढ़ में । इसलिये समय-सीमा निर्धारित करा दिया जाय, महोदय ।

तारांकित प्रश्न संख्या-854 (श्री समीर कुमार महासेठ)

श्री सुरेश कुमार शर्मा, मंत्री : आंशिक स्वीकारात्मक । बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 38 के प्रावधानों के अनुसार राज्य के नगर निकायों के कोटि 'क' एवं 'ख' के पदों के मामले में नियुक्ति प्राधिकार राज्य सरकार है तथा कोटि 'ग' एवं 'घ' के कर्मियों का नियुक्ति प्राधिकार नगरपालिका है ।

नगर निकायों के कोटि 'क' एवं 'ख' का पद का नियुक्ति प्राधिकार राज्य सरकार होने के फलस्वरूप इन कोटि के कर्मियों को एक नगर निकाय से दूसरे नगर निकायों में स्थानांतरित किया जाता है । कोटि 'ग' एवं 'घ' कर्मियों का नियुक्ति प्राधिकार नगरपालिका है, इसलिये कोटि 'ग' एवं 'घ' के कर्मियों का संवर्ग नगरपालिका स्तर का ही है, अतएव अधिनियम के वर्तमान प्रावधानों के आलोक में

नगर निकायों के कोटि 'ग' एवं 'घ' के कर्मियों को एक नगर निकाय से दूसरे नगर निकाय में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है ।

अधिनियम की धारा 36(1) के प्रावधानों के आलोक में राज्य सरकार द्वारा संकल्प संख्या 2503, दिनांक 3 मई, 2018 एवं 1435, दिनांक 5 मार्च, 2019 द्वारा नगर निकायों के लिये पदों की पुनर्संरचना के तहत विभिन्न प्रकार के पदों का सृजन किया गया है । अधिनियम की धारा 40 ए0 के प्रावधानों के आलोक में पदों की पुनर्संरचना के तहत सृजित इन पदों पर नियुक्ति एवं सेवा-शर्त के निर्धारण हेतु नियुक्ति नियमावली तैयार किये जाने पर विचार किया जा रहा है ।

अध्यक्ष : उत्तर दिया हुआ है, पूरक पूछिये ।

श्री समीर कुमार महासेठ : अध्यक्ष महोदय, जो हमारा प्रश्न है, उस प्रश्न के आधार पर माननीय मंत्री जी का विभाग, चूंकि 125 एम0एल0ए0 इससे इफेक्टेड हैं हरेक लोग.....

अध्यक्ष : पूरक पूछिये, उत्तर दिया हुआ है ।

श्री समीर कुमार महासेठ : महोदय, मैंने प्रश्न सभी कर्मियों के लिये पूछा था, अलग-अलग नहीं....

अध्यक्ष : तो उन्होंने सभी के लिए बताया है ।

श्री समीर कुमार महासेठ : मंत्री जी जवाब दे रहे हैं कि कोटि 'ग' एवं 'घ' का सम्वर्ग नगरपालिका स्तर का ही होता है और वर्तमान प्रावधान के आलोक में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है । मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार कोटि 'ग' एवं 'घ' के लिए राज्य-स्तरीय नियमावली बनाकर स्थानांतरण का प्रावधान करना चाहती है और यदि चाहती है तो कब तक ?

टर्न-5/आजाद/11.07.2019

श्री सुरेश कुमार शर्मा,मंत्री : महोदय, मैंने जवाब में ही दिया है कि उसके प्रावधान पर विचार किया जा रहा है कोटि ग के बारे में, घ के बारे में कोई विचार नहीं है ।

श्री समीर कुमार महासेठ : महोदय, आपका संरक्षण चाहिए ।

अध्यक्ष : आप संरक्षित हैं, बताईए न आपको क्या दिक्कत है ?

श्री समीर कुमार महासेठ : महोदय, हमारा यह कहना है कि जब आप नियमावली ही नहीं बना पायेंगे, जिसके लिए मेरा प्रश्न है । 125 विधायक परेशान हैं, त्रिस्तरीय पंचायत का वह अपना स्तम्भ है और वह भी उसपर अपना अधिकार नहीं रख सकता है .....

अध्यक्ष : समीर जी, माननीय मंत्री ने बताया है कि क, ख का तो होता ही हैं, ग, घ अभी नहीं हो रहा है । ग, घ का मतलब है क्लर्किअल ग्रेड और जो नीचे का होता है परिचारी वाला, उन्होंने कहा है कि हम ग के लिए भी विचार कर रहे हैं, नियमावली बना रहे

हैं राज्यस्तरीय बनाने के लिए, घ पर हम नहीं विचार कर रहे हैं, घ पर तो होता ही है, परिचारी तो फोर्थ ग्रेड का होता है ।

श्री समीर कुमार महासेठ : चपरासी लेवल का छोड़कर के .....

अध्यक्ष : मंत्री जी, वही कह रहे हैं ।

श्री समीर कुमार महासेठ : नहीं, नहीं प्रोमोट करके वह बड़ा बाबू बन गया है । जब चपरासी बड़ा बाबू बन गया.....

अध्यक्ष : जब चपरासी बड़ा बाबू बन गया तो आप क्या चाहते हैं कि उसपर नियम लगे चपरासी वाला, वह तो कह रहे हैं कि ग पर बना रहे हैं, जब वह बड़ा बाबू बन गया तो वह ग में चला गया, जब ग के लिए नियमावली बन जायेगा तो स्थानान्तरण होगा ।

श्री समीर कुमार महासेठ : कब तक बन जायेगा, यही तो हमारा प्रश्न है, एक महीना या दो महीना कुछ समय दे दें, चूँकि ये सारे लोगों का मामला है ।

श्री सुरेश कुमार शर्मा,मंत्री : सर, मैंने स्पष्ट कहा है कि इसकी नियमावली बन रही है, बहुत जल्द इसपर होगा ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

श्री विनोद प्रसाद यादव : महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय जी से जानना चाहता हूँ कि क्या ग, घ को प्रोन्नति देने का अधिकार नगरपालिका में उनके जो नगर निकाय के प्रतिनिधियों को है, अभी जो उन्होंने कहा है कि घ के लोग प्रधान सहायक बने हुए हैं, घ के फोर्थ ग्रेड के लोग प्रधान सहायक का, नाजिर का काम कर रहे हैं तो क्या नगरपालिका में उनके वहां पर नामित जो उनके अध्यक्ष हैं, कमिटी है, उनको क्या प्रोन्नति देने का अधिकार है ?

अध्यक्ष : यह आप अलग से उनको दे दीजिए ।

<u>तारांकित प्रश्न सं0-855(श्रीमती गायत्री देवी)</u>

श्री विनोद नारायण झा,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि सीतामढ़ी जिला के प्रखंड परिहार के पंचायत सिरसिया में सिरसिया ग्रामीण जलापूर्ति योजना एवं प्रखंड सोनवर्षा के सोनवर्षा ग्रामीण जलापूर्ति योजना है, दोनों योजना में जल मिनार से स्टैंड पोस्ट द्वारा जलापूर्ति की जा रही है । हर घर नल जल योजना के तहत सिरसिया जलापूर्ति योजना से वार्ड सं0-2, 3, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 14 कुल 10 वार्ड तथा सोनवर्षा जलापूर्ति योजना से वार्ड सं0-1, 2, 3, 4, 5 कुल 5 वार्ड के सभी घरों में नल के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराने हेतु क्रमशः 67.30 लाख एवं 67.62 लाख रू0 की योजना स्वीकृत की जा चुकी है । निविदा प्राप्त हो चुकी है और निस्तार की प्रक्रिया में है । तदुपरान्त संवेदक से एकरारनामा कर कार्य प्रारंभ कर दिया जायेगा ।

श्रीमती गायत्री देवी : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देती हूँ और शुद्ध जल देने का हमलोगों की सरकार की योजना है, हर घर शुद्ध जल देने का और पानी पीने की व्यवस्था है । आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहती हूँ कि कब तक हर घर में शुद्ध जल मिलेगा, इसका समय सीमा तो बता दें माननीय मंत्री जी?

अध्यक्ष : पूरा ।

श्रीमती गायत्री देवी : सब तो हो चुका है, इसलिए कब तक होगा, समय तो बता दें माननीय मंत्री जी ।

अध्यक्ष : तारांकित प्रश्न सं0-856 ।

तारांकित प्रश्न सं0-856(श्रीमती कुन्ती देवी)

(इस अवसर पर माननीय सदस्या अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न सं0-857(श्री उमेश सिंह कुशवाहा)

श्री राणा रणधीर,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बधाई देता हूँ कि इन्होंने बहुत ही अच्छा प्रश्न किसानों से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछा है ।

1. स्वीकारात्मक है ।

2. इस योजना के प्रावधानानुसार अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय,बिहार,पटना द्वारा सम्पादित फसल कटनी प्रयोग प्रतिवेदन के आधार पर थ्रेस होल्ड ऊपज दर की तुलना में वास्तविक ऊपज के ह्रास की स्थिति में ही योग्य किसानों को सहायता राशि अनुमान्य होता है । खरीफ, 2018 से फसल सहायता योजना लागू है और खरीफ, 2018 मौसम में बिहार राज्य फसल सहायता योजना के तहत वैशाली जिला अन्तर्गत महनार प्रखंड के 15 पंचायतों में 561 किसान एवं जन्दाहा प्रखंड के 23 पंचायतों में 1777 किसानों के द्वारा निबंधन कराया गया है । योजना के प्रावधानानुसार मात्र जन्दाहा प्रखंड के 21 पंचायतों के 1387 योग्य किसानों को सहायता राशि अनुमान्य है । जिसमें से 870 किसानों को 43 करोड़ 16 लाख रू0 सहायता राशि उनके खाते में स्थानान्तरित किया जा चुका है और शेष योग्य किसानों का भुगतान प्रक्रियाधीन है ।

उपर्युक्त खंडों में वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दी गई है ।

श्री उमेश सिंह कुशवाहा : महोदय, मैं मंत्री जी से यह जानना चाह रहा हूँ, जिनको वे पात्रता नहीं समझे हैं, जिनको आयोग्य कर दिये हैं तो उन किसानों को कब तक सुनिश्चित करेंगे...

अध्यक्ष : मेरी समझ से माननीय सदस्य जानना चाह रहे हैं कि उनको आयोग्य घोषित कर देने का क्या आधार होता है, यही न पूछना चाहते हैं ?

श्री उमेश सिंह कुशवाहा : जी, सर और मैं यह भी पूछना चाहता हूँ कि महनार, जन्दाहा के साथ-साथ पूरे बिहार में कितने किसान ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन कराया है ?

श्री राणा रणधीर,मंत्री : इनका पूरक भी अच्छा है अध्यक्ष महोदय और यह माननीय सदस्यों को जानना भी चाहिए, यह बिहार सरकार की महत्वकांक्षी योजना है । फसल सहायता योजना जैसा मैंने कहा खरीफ, 2018 से शुरू है, इसमें अर्थ एवं सांख्यिकी विभाग फसल कटनी प्रयोग करता है और उस प्रयोग के तहत वह पंचायत स्तर तक करता है। वह पंचायत में जाकर के कम से कम 5 जगह पर जाकर स्थल का चयन करता है और उसमें फसल कटनी करने के बाद उसको 15 दिनों तक रखता है, पहले ग्रीन वेट और फिर ड्राई वेट दोनों करने के पश्चात् जो थ्रेड होल्ड है 70 प्रतिशत का, विभाग ने यह रखा है, दो विभाग है, एक विभाग सहकारिता विभाग सहायता राशि देता है लेकिन इसकी पूरी तैयारी अर्थ एवं सांख्यिकी विभाग, योजना एवं विकास विभाग जो रिपोर्ट सहकारिता विभाग को देता है फसल कटनी का, क्रौप कटनी के आधार पर वैसे ही किसानों को हम फसल सहायता देते हैं । इस योजना के तहत यही प्रावधान है ।

अध्यक्ष : मंत्री जी, जब क्रौप कटनी इसमें इनवोल्व है तब तो हमको लगता है कि कृषि विभाग भी इनवोल्व होगा क्योंकि क्रौप कटनी का जो आपका सांख्यिकी विभाग है, उसका तो कोई डाटा होता नहीं होगा, वह तो कृषि विभाग से लेते होंगे ?

श्री राणा रणधीर,मंत्री : क्रौप कटनी का डाटा ऐवेलेबुल है अध्यक्ष महोदय और उसमें 7 वर्षों का समय रहता है, 7 साल का ऐवेरेज लेकर ।

अध्यक्ष : आप जितेन्द्र जी पूछियेगा, यह आपके विशेषज्ञता वाला क्षेत्र है । उमेश जी ।

श्री उमेश सिंह कुशवाहा : महोदय, हम यह जानना चाह रहे हैं, मैं माननीय मंत्री जी का स्पष्ट हम नहीं समझ पाये, उनका जो उत्तर है, यह हम नहीं समझ पाये कि नीचे स्तर पर जो उनको अपात्र कर देता है किसान को, कृषि के जो कर्मचारी/पदाधिकारी होते हैं, वो करते हैं, हमको जहां तक जानकारी है ।

अध्यक्ष : उमेश जी, माननीय मंत्री जी ने आपको बताया है कि उसमें क्रौप कटनी से लेकर जो डाटा फिगर या आंकड़े उपलब्ध कराये जाते हैं, उसी के आधार पर यह पात्रता और अपात्रता का निर्णय लेते हैं । मंत्री जी ने यही बताया है, इसके बाद आपको देखना यह होगा कि जिस पंचायत के लोग पात्र हो जाते हैं, उनको अपात्र बनाने में कृषि विभाग या सांख्यिकी विभाग के कौन पदाधिकारी प्रतिवेदन भेजते हैं और प्रतिवदेन भेजने के समय में उन्होंने सही प्रतिवेदन भेजा कि नहीं भेजा, इसपर नजर रखने की जरूरत होगी। अभी आपका अगर कोई और पूरक है तो पूछ लीजिए ।

चलिए जितेन्द्र जी को पूछने दीजिए ।

श्री जितेन्द्र कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूँ कि सांख्यिकी विभाग द्वारा जो रिपोर्ट किया गया है, उसका अवलोकन करवाना चाहते हैं कि सही भेजा है कि नहीं ? नालन्दा जिला के अस्थामा, सरमेरा, बिन्द, कतरीसराय में महोदय सुखाड़ की स्थिति रही और सरकारी अनुदान भी मिला किसानों को और फिर फसल सहायता का लाभ किसानों को नहीं मिल पाया तो सांख्यिकी विभाग का जो रिपोर्ट गया है, उसका फिर से अवलोकन करवाना चाहते हैं ?

अध्यक्ष : चलिए अवधेश जी ।

टर्न-6/शंभु/11.07.19

श्री अवधेश कुमार सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक जी ने नालन्दा का प्रश्न ठीक ही कहा है । हम पूरे बिहार का बोलते हैं जो हमारी जानकारी है वजीरगंज 19 पंचायत का ब्लॉक है उसमें चार पंचायत को स्टेटिकल ऑफिसर, सांस्थिक विभाग के द्वारा सुखाड़ घोषित किया गया है । जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे गया जिला को सुखाड़ग्रस्त घोषित किये । एक मिनट अध्यक्ष महोदय सुन लिया जाय कि ये सांस्थिक विभाग जो माननीय मंत्री सहकारिता जवाब दे रहे थे और जितना नियम बता रहे थे उस नियम के एक भी प्वाइंट को उसने सर्व नहीं किया, सिर्फ अपने औफिस में बैठकर एक कागज पर लिखकर और किसानों के हक को मारा है । इसलिए अध्यक्ष महोदय....

अध्यक्ष : आप तो सवाल पूछ ही नहीं रहे हैं । आप जो कह रहे हैं वही जितेन्द्र जी ने भी कहा है । आप वही बात कह रहे हैं जो जितेन्द्र जी ने पूछा है । चलिये अब मेवालाल जी को पूछने दीजिए ।

श्री मेवालाल चौधरी : महोदय, माननीय मंत्री जी ने खुद कहा कि अगर क्रॉप कटिंग का डेटा उपलब्ध नहीं होता है जबकि प्रति स्वायर मीटर क्रॉप कटिंग का डेटा हर साल होना चाहिए । वैसी स्थिति में सात साल का ऐवरेज ले लेते हैं । महोदय, हुआ क्या कि तारापुर विधान सभा क्षेत्र में हमारे तारापुर में 12 पंचायत है और इसमें 2 पंचायत में क्रॉप कटिंग का जो डेटा आया वह सात साल का ऐवरेज निकालकर बहुत ज्यादा आया जबकि वह भी क्षतिग्रस्त एरिया है । इसी बहाने किसी किसी को फसल क्षति बीमा योजना का लाभ नहीं मिला ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, लगभग सभी पूरक प्रश्नकर्त्ताओं ने जितेन्द्र जी, अवधेश बाबू सारे लोगों ने एक ही बात कही है जिस बात की चर्चा मैंने शुरू में ही की कि आपकी पात्रता, अपात्रता किसी खास विभाग के अधिकारी या कर्मचारी के प्रतिवेदन के आधार

पर होती है और कोई कर्मचारी या अधिकारी कृषि विभाग का हो चाहे सांख्यिकी का हो, अगर सही रिपोर्ट नहीं देता है तो सैंकड़ों किसान लाभ से वंचित हो जाते हैं । जो लाभ सरकार अपने फैसला से किसानों को देना चाहती है वह लाभ किसानों को नहीं मिल पाता है । इसलिए उस प्रतिवेदन के बारे में आप बताना चाहते हैं तो बता दीजिए।

श्री राणा रणधीर,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, अभी 6 तारीख को एक बैठक आपदा की माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी किया था और उसमें भी यह विषय आया था । माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसपर संज्ञान भी लिया था । ये अर्थ और सांख्यिकी विभाग क्रॉप कटिंग एक्सपेरीमेंट कई वर्षों से हो रहा है और अंग्रेजों के जमाने का ही है । वह क्रॉप कटिंग एक्सपेरीमेंट करके उसके आधार पर इसमें जिलाधिकारी इन्वोल्व होते हैं, प्रखंड के कृषि पदाधिकारी, बी0डी0ओ0, कृषि समन्वयक सलाहकार, सी0आइ0 ये सब– यह सुनिश्चित किया गया है जिलाधिकारी के पूरे मोनेटरिंग में यह व्यवस्था होती है । वहां से रिपोर्ट आता है । हमलोग ऐवरेज सात वर्षों का लेते हैं । फसल सहायता योजना के अन्तर्गत ऐसा माना गया है कि 30 प्रतिशत फसलों की क्षति हो सकती है, कोई प्राकृतिक विपदा न भी हो तो भी मिट्टी के कारण, जलवायु के कारण किन्ही कारणों से और अगर 30 प्रतिशत से ज्यादा फसलों की क्षति हुई है जो थ्रो स्वाइल लिमिट माना है 70 प्रतिशत का तो उसके आधार पर हम फसल सहायता देते हैं, लेकिन हम यह रिपोर्ट इकट्ठा करते हैं अर्थ और सांख्यिकी विभाग जो हमको रिपोर्ट देता है । इस पूरी प्रक्रिया में जैसा मैंने बताया कि जिला पदाधिकारी के मार्गदर्शन में पूरा इनवोल्वमेंट रहता है सबलोगों का उसके आधार पर रिपोर्ट आता है । उस रिपोर्ट की समीक्षा की बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने बैठक में कही है । अर्थ और सांख्यिकी विभाग जो डेटा देता है उसकी समीक्षा भी होगी और उसके पश्चात् जो रिपोर्ट आयेगा उससे किसानों को लाभ दिलायेगी ।

अध्यक्ष : जिवेश जी, एक मिनट बैठ जाइये । कोई पूरक पूछने से पहले जो आप सभी माननीय सदस्यों की चिंता थी । जो सांख्यिकी विभाग या कृषि विभाग के कर्मचारी या अधिकारी के द्वारा गलत प्रतिवेदन के कारण किसान सरकार द्वारा दिये जानेवाले लाभ से वंचित हो जाते हैं । माननीय मंत्री ने स्पष्ट कहा है कि जो रिपोर्ट आयी है, जहां से सही नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने स्तर से समीक्षा करके उन रिपोर्टों की पुनर्समीक्षा का आदेश दिया है । अब क्या कहना चाहते हैं ? अगर कोई सूचना है तो लिखकर दे दीजिए ।

श्री जिवेश कुमार : जो सरकार थ्रेसहोल्ड को कैलकुलेट करती है वह सिस्टम ही गलत है, अगर सात साल का ऐवरेज हम निकालकर इस साल सुखाड़ पड़ेगा, बाढ़ आयेगी और पीछे के सात साल का ऐवरेज निकालकर छः साल में अगर खूब उपज हुई तो सात साल

का ऐवरेज निकालकर थ्रेसहोल्ड निकालेंगे तो यह प्रक्रिया ही गलत हो जायेगी । इसलिए मेरा कहना है कि इसपर कोई ठोस निर्णय सरकार ले ।

अध्यक्ष : आप सुझाव दे दीजिए ।

श्री जिवेश कुमार : यह सुझाव ही दे रहे हैं ।

तारांकित प्रश्न सं0-858(श्री मो0 आफाक आलम)

श्री राणा रणधीर,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, उत्तर स्वीकारात्मक है । समाहर्त्ता पूर्णियां के पत्रांक-789, दिनांक-05.07.2019 से प्राप्त प्रतिवेदनानुसार पूर्णियां जिले के अन्तर्गत जलालगढ़ अंचल में पूर्व से 3 पद तथा विभागीय पत्रांक-662, दिनांक-24.06.2010 के आलोक में पंचायतों की संख्या के आधार पर राजस्व हल्का का पुनर्गठन कर राजस्व कर्मचारी का 7 पद नवसृजित करते हुए कुल 10 पद स्वीकृत किया गया है । नवसृजित पद पर अभी तक नियुक्ति नहीं होने के कारण वर्तमान में स्वीकृत पद 3 के विरूद्ध जलालगढ़ में 2 राजस्व कर्मचारी पदस्थापित हैं जिनके द्वारा कार्यों का निष्पादन किया जा रहा है ।

श्री मो0 आफाक आलम : अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना है कि राजस्व की जो वसूली है वह नहीं हो पाती है इससे सरकार को भी लौस है । दूसरी बात यह है कि जो किसान पर लोड पड़ जाता है उसको देने में भी परेशानी बढ़ जाती है चूंकि इतना राजस्व उसके सर पर कर्ज हो जाता है । मेरा कहना है कि वह जो 7 पद है उसपर माननीय मंत्री जी कब तक बहाली करेंगे ?

श्री राणा रणधीर,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, राजस्व कमर्चारी की कमी को देखते हुए कुल 4353 राजस्व कर्मचारी के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु विभागीय पत्रांक-92, दिनांक- 14.02. 2014 द्वारा अधियाचना बिहार कर्मचारी चयन आयोग को भेजी गयी है । बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा माह दिसम्बर, 2018 में नियुक्ति प्रयोजनार्थ प्रारंभिक स्तर की परीक्षा ली जा चुकी है । बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा अनुशंसा प्राप्त होते ही रिक्त पदों पर अविलंब राजस्व कर्मचारियों की नियुक्ति की जायेगी ।

अध्यक्ष : इसमें तो सेवानिवृत्त कर्मचारियों की सेवा लेने का भी प्रावधान सरकार ने किया है, कलक्टर अपने स्तर से करते हैं ।

श्री राणा रणधीर,मंत्री : जी ।

तारांकित प्रश्न सं0-859(श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह)

श्री सुरेश कुमार शर्मा, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, 1-स्वीकारात्मक है । नगर पंचायत नवीनगर द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि नगर पंचायत नवीनगर क्षेत्रान्तर्गत बूढ़ी बांध रामपुर एवं शिवा बिगहा एवं नयका बिगहा में पथ निर्माण का कार्य मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना के अधीन पूरा किया जाना प्रस्तावित है । नगर पंचायत नवीनगर द्वारा एन0आइ0टी0 सूचना

सं0–7/2018–19 से निविदा प्रकाशित किया जा चुका है । कार्य प्रगति पर है, जल्द ही काम कराया जायेगा ।

श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह : समय सीमा बता देते माननीय मंत्री जी ।

अध्यक्ष : समय सीमा पूछ रहे हैं । शीघ्र बता दीजिए ।

श्री सुरेश कुमार शर्मा,मंत्री : टेंडर हो गया है तो जल्द ही काम हो जायेगा । यथाशीघ्र हो जायेगा ।

अध्यक्ष : अब प्रश्नोत्तर काल समाप्त हुआ जिन प्रश्नों के उत्तर तैयार हों उन्हें सदन पटल पर रख दिया जाय । अब शून्यकाल । श्री विनोद प्रसाद यादव ।

(व्यवधान)

आज हमलोग कल की संख्या तक भले नहीं पहुंचे हों लेकिन सदन की कार्यवाही सार्थक और अर्थपूर्ण तरीके से चली इसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं और सूचना जो है उसके हिसाब से डबल डिजिट 12–13 हो गया है तो डबल डिजिट तो पहुंच ही गये । आप अल्पसूचित छोड़ रहे हैं क्या ? चलिए, विनोद प्रसाद यादव ।

शून्यकाल

श्री विनोद प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, गया एवं औरंगाबाद जिलान्तर्गत एन0एच0-2 पर मदनपुर, आमस, शेरघाटी, डोभी एवं बाराचट्टी तक लंबाई 69 कि0मी0 में तीन वर्षों से पुल, पुलिया, सड़क एवं एप्रोच रोड का मेनटेनेन्स नहीं किया जा रहा है । जनहित में मेनटेनेन्स कार्य होने तक आमस टॉल प्लाजा पर वसुली पर रोक लगाने की मांग करता हूँ ।

टर्न-07/ज्योति/11-07-2019

श्री अशोक कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, औरंगाबाद जिलान्तर्गत बारुन प्रखंड में पुराना जी.टी. रोड में बभंडी जोगिया के पास पुल क्षतिग्रस्त है पुल क्षतिग्रस्त रहने से आम जनों को आवागमन में काफी असुविधा हो रही है । जनहित में क्षतिग्रस्त पुल के स्थान पर बभंडी जोगिया नया पुल निर्माण कराने की सरकार से मांग करता हूं ।

श्री मदन मोहन तिवारी: अध्यक्ष महोदय, पश्चिम चंपारण जिलान्तर्गत सूगर मिल मझौलिया में गन्ना ि कसानों का भुगतान 10 फरवरी 2019 तक किया गया है जो कुल गन्ना क्रय का मात्र 30 प्रतिशत है शेष गन्ना किसानों का भुगतान नहीं होने से किसानों के समक्ष भूखमरी की स्थिति बनी हुई है ।

श्री मो0 नवाज आलम : महोदय, भोजपुर जिला के आरा प्रखंड के बड़की समदिया से पहले आरा सलेमपुर रोड में दो नंबर छलका के बाद पथ निर्माण विभाग का पुलिया ध्वस्त हो चुका है, आवागमन पूरी तरह ठप है पुलिया का निर्माण शीघ्र करावे ।

श्री ललन पासवान: अध्यक्ष महोदय, रोहतास जिलान्तर्गत चेनारी प्रखंड अंतर्गत ग्राम लोधी से दतौली होत हुए कटरा (बभनगामा) तक कच्ची पथ है, लोगों को आने जाने में काफी परेशानी है, सरकार से मांग करते हैं कि कच्ची सड़क को पक्की सड़क निर्माण करावे।

श्री समीर कुमार महासेठ : महोदय, पर्यावरण संतुलन के लिए वृक्षों का होना आवश्यक है इसलिए मधुबनी जिलान्तर्गत पण्डौल रहिका प्रखंड के अंतर्गत सभी महाविद्यालयों, सभी प्लस टू, सभी उच्च विद्यालयों एवं सड़कों के किनारे वृक्षारोपण हेतु मांग करता हूँ ।

श्री अमित कुमार : अध्यक्ष महोदय, सीतामढ़ी रीगा प्रखण्ड अंतर्गत पिपरा बराही मठ के गनौर राम के पुत्र शत्रुघ्न राम का 21-10-2018 को दो बजे पोखरा में कुव्यवस्था के कारण स्नान करने के दौरान डूब कर मृत्यु हो गयी । हताहत परिवार को मुआवजा का भुगतान शीघ्र करायी जाय ।

श्री विजय कुमार खेमका : अध्यक्ष महोदय, पूर्णिया सनोली एस.एच. पथ के बेलौरी तथा सिटी सनौली चौक एस.एच. पथ के हांसदा मुख्य सड़क से रेल लाइन गुजरती है । मुख्य

मार्ग पर अवस्थित रेल लाइन पर रेल गाड़ी के गुजरते वक्त जाम से आवागमन प्रतिदिन घंटो बंद हो जाती है ।

अतः मैं सरकार से उक्त दोनों स्थान पर जाम से निजात दिलाने के लिए फ्लाईओवर निर्माण की मांग करता हूँ ।

श्री मो0 नेमतुल्लाह : अध्यक्ष महोदय, गोपालगंज जिला के प्रखंड बरौली के ग्राम-कोहवा में मुनीलाल यादव पिता-दशरथ यादव की तीन भैंस एवं एक गाय तथा हीरा चौधरी पिता-जयश्री चौधरी की एक भैंस की मृत्यु दिनॉक 21-06-2019 को भयानक गर्मी से लू लगने के कारण हुई है । अतः सरकार उक्त पशुपालकों को आपदा से भुगतान करे ।

श्री सरोज यादव : अध्यक्ष महोदय, भोजपुर जिलान्तर्गत बड़हरा प्रखंड में पूर्वी बबूरा के ग्राम -कोल्हरामपुर में सन् 2018 के जनवरी माह में पंचायत सरकार भवन का संविदा संवेदक को दिया गया । 15 माह बितने क बाद भी आज तक उक्त भवन का निर्माण जमीन विवाद के कारण नहीं हुआ । जमीन विवाद के कारणों से भवन का निर्माण कार्य शुरु नहीं हुआ है ।

अतः मैं मांग करता हूँ कि उक्त ग्राम में दूसरे सरकारी जमीन पर पंचायत सरकार भवन का निर्माण करावें ।

श्री राजेन्द्र कुमार : अध्यक्ष महोदय, हरसिद्धी विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत गायघाट एस.एच. रोड से हरसिद्धी प्रखंड मुख्यालय एस.एच. रोड तक जाने वाली, ग्रामीण कार्य विभाग की पथ, पथ निर्माण विभाग को अधिगृहित हो चुकी है अतः उक्त पथ को बरसात के दिनों में आवागमन बंद होने से बचाने हेतु अविलम्ब वाहन योग्य मोटरेबुल बनाने की कृपा की जाय ।

श्री अशोक कुमार सिंह,(क्षे.स.203): अध्यक्ष महोदय, कैमूर जिला के दुर्गावती प्रखण्ड में आये दिन एन.एच. -2 पर दुर्घटना होती रहती है, कुल्हरियॉ गांव के पास एन.एच.-2 से सटे स्वास्थ्य विभाग के उप केन्द्र की भूमि पर सरकार से ट्रामा सेंटर बनाने की मांग करता हूँ ।

श्री विद्यासागर केशरी : अध्यक्ष महोदय, अररिया जिलान्तर्गत फारबिसगंज प्रखंड के 2018 में परमान नदी में आयी बाढ़ के पानी के तेज प्रवाह से आर.डब्लू.डी. की सड़कों को-खवासपुर,अम्हारा कमता, खैरखा, मझुआ आदि जगहों पर कटाव के कारण रास्ता अवरुद्ध हो गयी है । उसकी तत्काल मरम्मती आर.डब्लू.डी. द्वारा संवेदकों से करायी गयी, जिसका भुगतान अबतक लंबित है , भुगतान की मांग करता हूँ ।

श्री संजय कुमार तिवारी: अध्यक्ष महोदय, आजादी के 72 वर्षों बाद भी सदर प्रखंड बक्सर के उपाध्यायपुर, पांडेपुर गांव में आज तक सड़क नहीं है । जिससे वहॉ की लगभग 5

हजार की आबादी उपेक्षित है । मैं सदन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूँ कि अविलम्ब यहाँ पहुंच मार्ग की व्यवस्था हो ।

श्रीमती भागीरथी देवी : अध्यक्ष महोदय, बेतिया जिला के रामनगर प्रखण्ड एवं गौनाहा प्रखण्ड के किसानों को गन्ना का भुगतान अभी तक बाकी है । गन्ना किसानों का भुगतान जल्द हो उसकी मैं मांग करती हूँ ।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह: महोदय, राज्य में वर्षा प्रारम्भ होने से पटना सहित अन्य जगहों पर कई पुराने मकान/बाउन्ड्री ध्वस्त होने से जन जीवन के क्षति के साथ विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो रही है । जानमाल की क्षति को रोकने हेतु पुराने निर्माण को चिन्हित कर उससे लोगों को अलग रखने हेतु सरकार आवश्यक कार्रवाई करे ।

श्री आनंद शंकर सिंह: अध्यक्ष महोदय, औरंगाबाद जिलान्तर्गत सदर अस्पताल अवस्थित सिविल सर्जन कार्यलय में लिपिक श्री अखिलेश्वर प्रसाद विगत 20 वर्षों से एक ही जगह पदस्थापित हैं ।

अत: उनका स्थानान्तरण अन्यत्र किया जाय एवं उनका किन परिस्थितियों में एक ही जगह रखा गया इसकी भी जाँच सुनिश्चित की जाय ।

श्री सुधीर कुमार उर्फ बंटी चौधरी : महोदय, जमुई जिला के खैरा थाना के केस संख्या -162/2019 में अभियुक्तों की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है । दिनाँक 19-06-19 की रात्रि में नामजद अभियुक्तों द्वारा बेरहमी से मो. रियाज अंसयारी, ग्राम-चौकी टाँड़ को पीटा गया था । जिस कारण मृत्यु हो गई थी । मैं गिरफ्तारी की मांग करता हूँ ।

श्री सुनील कुमार : अध्यक्ष महोदय, सीतामढ़ी जिलान्तर्गत डुमरा प्रखंड स्थित विश्वनाथ चौक से भाया डी.ए.भी. स्कूल होते भैरोगढ़ी चौक तक जाने वाली सड़क विगत 5 वर्षों से जर्जर है । अत: वर्णित सड़क का अतिशीघ्र जीर्णोद्धार करावें ।

श्री जिवेश कुमार : अध्यक्ष महोदय, दरभंगा जिला समेत मिथिलांचल के सभी जिलों के लिए पटना उच्च न्यायालय का बेंच दरभंगा में स्थापित किया जाय ताकि सुदूर गरीब क्षेत्र के लोगों को पटना आवा-जाही में होने वाले खर्च के बचत के साथ-साथ जल्दी न्याय भी मिल सके ।

श्री सुदामा प्रसाद : महोदय, ठेका-मानदेय पर बहाली की प्रक्रिया में न मानदेय की गारंटी है, यन सुरक्षा की । सभी स्कीम वर्करों के लिए न्यूनतम 18 हजार रुपया मानदेय, मनरेगा मजदूरों के लिए 500 रुपया दैनिक मजदूरी व न्यूनतम 250 दिन काम और नूयनतक 3 हजार रुपये वृद्धावस्था पेंशन करने का प्रावधान किया जाय ।

श्री सुबोध राय: महोदय, भागलपुर प्रमंडल-1 ग्रामीण कार्य विभाग के आर.सी.डी. पथ सुल्तानगंज-असरगंज के असियाचकमंझली प्रधानमंत्री सम्पर्क पथ में नवनिर्मित पुल

का पहुंच पथ विगत दो दिनों के वर्षा से ध्वस्त हो जाने से मार्ग अवरुद्ध है। अतः गुणवत्ताविहीन कार्य कराने वाले ठीकेदार/अभियंता के विरुद्ध कार्रवाई तथा मार्ग की मरम्मती की मांग करता हूँ ।

अध्यक्ष : अब ध्यानाकर्षण सूचना डा0 अब्दुल गफूर एवं अन्य से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना । डा0 अब्दुल गफूर सूचना पढ़ें ।

डा0 अब्दुल गफूर, मो0 नेमतुल्लाह एवं अन्य नौ सभासदों की ध्यानाकर्षण सूचना तथा उसपर सरकार (शिक्षा विभाग) की ओर से वक्तव्य

डा0 अब्दुल गफूर : अध्यक्ष महोदय, शिक्षा विभाग के ज्ञापॉक-583, दिनॉक 15-04-19 के आलोक में अनुकम्पा पर नियोजन हेतु मृत सरकारी शिक्षक के आश्रित को शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीण होना आवश्यक किए जाने के कारण अनुकम्पा के आधार पर नियोजन बंद हो गया है ।

अतः मृत सरकारी शिक्षक के आश्रित को शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्णता की अनिवार्यता को खत्म करने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।

श्री कृष्णनंदन वर्मा, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा एम.जे.सी. नं0 2226/2019 ज्येन्द्र पाठक बनाम बिहार सरकार एवं अन्य एवं संलग्न एम.जे.सी. नं0 2225/2017 बादल कुमार बनाम बिहार सरकार एवं अन्य में क्रमशः दिनॉक 23-03-2018 एवं दिनॉक 19-04-2018 को पारित आदेश के अनुपालन में विभागीय आदेश ज्ञापॉक 583 दिनॉक 15-04-2019 निर्गत किया गया। उक्त आदेश में शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों जिनकी सेवा काल में मृत्यु हो गयी के आश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर नियोजन के संदर्भ में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एल.सी.टी. के पत्रांक 55345दिनॉक 12-10-2017 से प्राप्त सूचना के आलोक में यह स्पष्ट किया गया हे कि संबंधित आश्रित को अपेक्षित अर्हता यथा पंचायत या प्रखंड या नगर शिक्षक के पद पर नियोजन हेतु इन्टरमीडियेट होने के साथ साथ प्रशिक्षित एवं शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक है।

क्रमशः

टर्न-8/11.07.2019/बिपिन

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, मंत्रीः क्रमशः ... गौरतलब है कि शिक्षक के पद पर नियोजन के लिए अहर्त्ता का निर्धारण एन.सी.टी.ई. के द्वारा किया जाता है । इस प्रकार शिक्षक पात्रता परीक्षा

में उत्तीर्णता की अनिवार्यता को खत्म करने का विचार सरकार के स्तर पर विचाराधीन नहीं है ।

श्री डॉ0 अब्दुल गफूर : अध्यक्ष महोदय, ट्रेनिंग तो लोग कर लेंगे लेकिन चूँकि अनुकम्पा के आधार पर आप नियुक्ति दे रहे हैं तो अगर मेरिट होगा और जब वह टी.इ.टी. परीक्षा पास ही कर लेगा तो अनुकम्पा का क्या मतलब हुआ ? कुछ तो रियायत होनी चाहिए।

अध्यक्ष : उन्होंने तो कहा कि कोर्ट का ऑर्डर है ।

श्री डॉ0 अब्दुल गफूर : कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ सरकार जा सकती है । सरकार को विचार करना चाहिए । माननीय मुख्यमंत्री जी भी हैं और कहीं भी जब से यह चिट्ठी आई है, अब कोई शिक्षक का आश्रित शिक्षक नहीं बन सकता है अनुकम्पा के आधार पर। जब एक तरफ क्लर्क का आश्रित क्लर्क बन सकता है उसके मृत्यु के बाद लेकिन शिक्षक का आश्रित क्यों नहीं हो सकता है ? सरकार इसपर विचार करे ।

अध्यक्ष : समूह 'घ' में तो भर्ती होती है न ! शिक्षक का लड़का शिक्षक ही बने, अगर पात्रता नहीं है तो यह कोई अच्छी बात होगी ! वैसे समूह 'घ' की नौकरी तो उसको दी जा सकती है ।

<u>सर्वश्री अत्री मुनी उर्फ शक्ति सिंह यादव, भोला यादव एवं अन्य छह सभासदों की ध्यानाकर्षण सूचना तथा उसपर सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) की ओर से वक्तव्य</u>

अध्यक्ष : श्री अत्री मुनी उर्फ शक्ति सिंह यादव सूचना पढ़ें ।

श्री अत्री मुनी उर्फ शक्ति सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना द्वारा विज्ञप्ति वि0स0-02/19 में संवर्गवार आरक्षण नहीं दिया गया है । उदाहरणस्वरूप पुलिस उपाधीक्षक के 62 पदों में से पिछड़ा वर्ग को शून्य, अति पिछड़ा को मात्र 04 पद दिया गया है जबकि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 06 सीट दिया गया है ।

आरक्षण, संविधान में निहित प्रावधान के तहत प्रतिनिधित्व का है । इस तरह बिहार पुलिस सेवा में पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधित्व मानक के अनुरूप नहीं है ।

अत: प्रत्येक संवर्ग में सभी वर्ग के समानुपातिक प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।

अध्यक्ष : सरकार ने इसमें समय चाहा है । इसको स्थगित किया जाता है ।

अब सभा की कार्यवाही 2.00 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है।

टर्न : 09/कृष्ण/11.07.2019

(अंतराल के बाद)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है ।

वित्तीय कार्य

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, परिवहन विभाग के अनुदान की मांग पर वाद-विवाद, सरकार का उत्तर एवं मतदान होगा । इसके लिये 3 घंटे का समय उपलब्ध है । विभिन्न दलों को उनकी सदस्य संख्या के आधार पर समय का आवंटन निम्न प्रकार किया जाता है। इसी समय में से सरकार को उत्तर के लिये समय दिया जायेगा :-

राष्ट्रीय जनता दल	:	60 मिनट
जनता दल यूनाईटेड	:	52 मिनट
भारतीय जनता पार्टी	:	41 मिनट
इन्डियन नेशनल कांग्रेस	:	19 मिनट
सी0पी0आई0एम0एल0	:	02 मिनट
लोक जनशक्ति पार्टी	:	02 मिनट
हिन्दुस्तान आवाम मोर्चा	:	01 मिनट
निर्दलीय	:	03 मिनट

माननीय मंत्री, परिवहन विभाग अपनी मांग प्रस्तुत करें ।

श्री संतोष कुमार निराला,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"परिवहन विभाग के संबंध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होनेवाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्त्ति के लिये 4,57,42,04,000/- (चार अरब संतावन करोड़ बयालीस लाख चार हजार) रूपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय ।"

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है ।

अध्यक्ष : इस मांग पर माननीय सदस्य श्री अब्दुल बारी सिद्दीकी, श्री ललित कुमार यादव, श्री सदानन्द सिंह, श्री भोला यादव, श्री महबूब आलम, श्री समीर कुमार महासेठ एवं श्री रामदेव राय से कटौती प्रस्ताव प्राप्त हुये हैं, जो व्यापक हैं एवं जिनपर सभी माननीय सदस्य विचार-विमर्श कर सकते हैं ।

माननीय सदस्य श्री अब्दुल बारी सिद्दीकी का प्रस्ताव प्रथम है । अतएव माननीय सदस्य श्री अब्दुल बारी सिद्दीकी अपना कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करें ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दीकी : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"इस शीर्षक की मांग 10/-रूपये से घटायी जाय ।"

महोदय, हमारी पार्टी के जो माननीय सदस्य हैं, वह परिवहन विभाग पर अपनी राय रखेंगे और अंत में अगर हमको मौका दीजियेगा तो बोलेंगे।

अध्यक्ष : ठीक है । माननीय सदस्य श्री मो0 नेमतुल्लाह ।

श्री मो0 नेमतुल्लाह : अध्यक्ष महोदय, मैं कटौती प्रस्ताव के पक्ष में और अनुदान मांग के विरोध में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं । महोदय, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट आय का एक बहुत बड़ा स्रोत है लेकिन आज इस ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का क्या हाल है, सब जानते हैं। पहले ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को लाईफ लाइन कहा जाता था । पहले परिवहन निगम एक जगह से दूसरी जगह जाने का एकमात्र साधन था, माननीय सदस्य भी इसी ट्रांसपोर्ट से आया-जाया करते थे इसलिये परिवहन निगम की बसों में एक सीट माननीय सदस्यों के लिये आरक्षित रहता था जिसको खत्म कर दिया गया । केवल माननीय सदस्यों के लिये ही नहीं बल्कि उनके सहयात्री के लिये भी एक सीट आरक्षित होता था । वह एक मात्र साधन था कहीं आने-जाने के लिये । लेकिन आज माननीय सदस्यों को लोन से कार उपलब्ध कराया जाने लगा है, वे आसानी से आने-जाने लगे । लेकिन आज जिस तरह से पेट्रोल का दाम दिन व दिन बढ़ता जा रहा है, जिस तरह से दिल्ली में बजट पास किया गया । बड़ी शोर सुनते थे पहलू में दिल का, चीरा तो एक कतरा खून का भी न निकला तो उसी तरह से हाल है सेंट्रल बजट का।

महोदय, सब कुछ सस्ता हो गया लेकिन डीजल और पेट्रोल मंहगा कर दिया गया, जो मुख्य चीज हैं, उसी से सारी चीजें प्रभावित होती है और उसी को मंगहा कर दिया गया । महोदय, मंहगाई कहां चली गयी ? चरम सीमा पर चली गयी । आज बिहार में पेट्रोल का दाम सबसे ज्यादा है । महोदय, लोग यहां पेट्रोल नहीं भरवाते हैं, बगल में यू0पी0में चले जाते हैं, वहां पेट्रोल लते हैं क्योंकि वहां सस्ता पेट्रोल है । झारखंड से पेट्रोल डीजल लेते हैं, वहां सस्ता है । बिहार में एन0एच0 से हजारो-हजार ट्रांसपोर्ट रोज गुजरती हैं लेकिन बिहार में इतना मंहगा पेट्रोल और डीजल मिलता है कि लोग यहां अपनी गाड़ियों में पेट्रोल नहीं भरवाते हैं । जो पेट्रोल और डीजल का पम्प है, आज वह भी त्राहिमाम् कर रहा है, वह बंद होने के कगार पर है । जो आस-पड़ोस में अगल-बगल में पेट्रोल पम्प हैं, वह तो समझिये बंद ही होनेवाले हैं ।

महोदय, आप जानते हैं कि माननीय लोग निगम की बसों पर चलते थे, आरक्षित सीट को हटा दिया गया । हर जिला में सरकारी बस स्टैंड, बस डिपो है, उसका क्या हाल है ? उसकी सफाई का क्या हाल है ? अगर आप वहां चले जाईयेगा तो अगर

आपको कोई बीमारी नहीं है, अगर वहां के शौचालय में चले जाईयेगा तो 10 बीमारी लेकर चले आईयेगा । यह स्थिति है जिलों में सरकारी बस डिपो की । इसलिये परिवहन विभाग को बंद कर देना चाहिए । इसका कोई औचित्य नहीं रहा ।

महोदय, ये लग्जुरिअस बसें खरीदे, वोल्वो बसें खरीदे, कौटिल्य होटल के पास सारी बसें पड़ी हुई है, सड़ रही है, असेम्बली से दस कदम पर है, चल कर देखे लीजिये कि कितनी बसें वहां पर पड़ी हुई है और सब सड़ रही है । टूरिज्म डिपार्टमेंट को इन्होंने इन बसों को चलाने के लिये दे दिया है लेकिन क्या हाल है उसका ?

महोदय, हमारे सीवान, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर से लोग बस से दिल्ली जाते हैं । यहां कौन बस चलती है ? यू0पी0 की बसें चलती है । बिहार की बसें नहीं चलती हैं। आप के यहां रजिस्ट्रेशन है कि नहीं, यह आप जानते हैं । लेकिन वोल्वो बसें कोलकाता या जितने बड़े-बड़े शहर है, वहां से चलती है । लोगों को रेल में आरक्षण नहीं मिलती है तो मजबूरी में लोग बस से दिल्ली जाते हैं । महोदय, लोग बसों से दिल्ली जाते हैं लेकिन किसी तरह की उनकी सुरक्षा नहीं है । आये दिन बसें दुर्घटनाग्रस्त हो जाया करती है लेकिन यात्रियों की सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं हळ ।

महोदय, आज एन0एच0 मौत का कुआं बन गया है । आये दिन एन0एच0 28 पर दुर्घटनायें होती रहती है । इन्होंने कहा कि हम रोड एम्बुलेंस चलायेंगे, वह कहां है ? दुर्घटना होती है, लोग सड़क जाम करते हैं । वहां लोकल प्रशासन मुआवजा देता है तब जाम हटता है । महोदय, इस तरह की व्यवस्था आज ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट किये हुये है तो कैसे होगा ? यह विभाग आय का मुख्य स्रोत है, जिस तरह से सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट है । उत्पादन एवं मद्य निषेध विभाग जिस तरह से आय का एक अच्छा स्रोत था, उसको तो बंद ही कर दिया गया । यह विभाग आय का एक बहुत बड़ा जरिया है । हर जगह डी0टी0ओ0 कार्यालय है, वहां करप्शन है । डी0टी0ओ0 ऑफिस में आप लाईसेंस के लिये अप्लाई कीजिये, ड्राईविंग लाईसेंस के लिये अप्लाई कीजिये, वहां बिना पैसा लिये काम नहीं होता है । वहां हर टेबुल पर लोगों को पैसा देना पड़ता है । इनकी कोई व्यवस्था नहीं है । रजिस्ट्रेशन को ले लीजिये । सरकार कहती है कि हमारी सरकार सुशासन की सरकार है । बहुत अच्छा से काम कर रहे हैं । महोदय, पहले सुल्तान पैलेस में ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन का कार्यालय था, आज सुल्तान पैलेस का क्या हाल है ? पहले वहां रौनक होती थी लेकिन आज सारी रौनक खत्म हो गयी सुल्तान पैलेस की । इसलिए इनको उस पर सोचना चाहिए ।

महोदय, आज जिस तरह से प्राईवेट बसें चल रही हैं, इनका कोई बस नहीं चल रहा है, नेपाल से एग्रीमेंट हुआ कि नेपाल हमारी बसें जायेगी लेकिन हफ्ता में इनकी कितनी बसें नेपाल जाती है ?

महोदय, जहां तक इनके खर्च का सवाल है, इनका टारगेट फिक्स है, ये हर तरह से टारगेट को एचीव करते हैं, वसूल करते हैं ये, जब मार्च का महिना आता है तो दिसंबर और जनवरी से ही तो इनके सारे अफसर रोड पर निकल जाते है ।

क्रमशः

टर्न-10/अंजनी/11.07.19

श्री मो0 नेमतुल्लाह :...क्रमशः.... और ट्रक का दोहन करते हैं, बस का दोहन करते हैं और यहां तक लोकल थाना भी पैसा वसूलने के लिए निकल जाता है रोड पर और अगर कुछ नहीं मिलता है तो वह शराब की बोटल खोजने लगता है कि इसमें शराब की बोटल है कि नहीं चूंकि शराब पर प्रतिबंध है । अगर एक भी बोटल मिल गया तो उससे पैसा की उगाही करने लगते हैं । इनके डिपार्टमेंट पर कोई अंकुश नहीं है, इसपर सरकार को अंकुश लगाना चाहिए । अगर इनपर अंकुश नहीं लगाइयेगा तो व्यवस्था आपका ध्वस्त हो जायेगा, इसलिए कि परिवहन विभाग बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है । महोदय, इन्होंने टारगेट रखा 2017-18 में 15 हजार 24 करोड़ का तो इन्होंने अचिभ कर लिया, इस साल इन्होंने टारगेट रखा 2019-20 में तो ढ़ाई हजार करोड़ का, महोदय, इनको टारगेट मिल जाता है, मिलेगा ही, जब रोड पर आकर अच्छे-अच्छे लोग को तंग करेंगे तो वे पैसा वसूलेंगे ही और वे परेशानी की डर से पैसा दे देता है, इस तरह से पैसे की उगाही होती है । आप पटना में चले जाइए, आपने कहा कि 18 वर्ष जिन वाहन का हो गया है, वह नहीं चलेगा लेकिन आज वह चल रहा है, जिसके कारण प्रदूषण आज दिन-पर-दिन बढ़ते जा रहा है । हमलोग पोलुशन के बारे में कितना चर्चा करते हैं लेकिन जिस तरह से वाहन का पोलुशन हो रहा है, ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, जिसके कारण आदमी पर खतरा बढ़ते जा रहा है, बीमारी बढ़ती जा रही है । आपका प्रोग्राम था कि 18 वर्ष की पुरानी जो गाड़ियां हैं, उन्हें रोड से ऑफ कर दिया जायेगा लेकिन क्या किया आपने ? आपने उनको रोड से हटाया, आप डाकबंगला चौराहा पर खड़े हो जाइए तो आपको पुरानी-पुरानी, सड़ी-सड़ी गाड़ियां धुआं फेकते हुए गुजरते हुए नजर आती है । महोदय, उससे पोलुशन बढ़ता है । अगर रोड पर आदमी चला जाये तो आंख में जलन होता है । उसी के साथ ध्वनि पोलुशन, जागरूकता हेतु इनके पास कोई स्कीम नहीं है । इनको तो लोगों को जागरूक करना चाहिए, लेकिन नहीं होता है, इसलिए कि इनके यहां कोई व्यवस्था नहीं है ।

अध्यक्ष : आपका समय अभी है और नेमतुल्लाह जी, आप तो मेरे आसन पर बैठकर माननीय सदस्यों से समय पालन कराते रहे हैं । आप स्वयं अनुशासित हैं, मैं तो सिर्फ आपको स्मारित कर रहा हूँ कि आपका समय 2 बजकर 20 मिनट तक है ।

श्री मो0 नेमतुल्लाह : महोदय, मैं ससमय ही अपना भाषण समाप्त करने की कोशिश करूंगा ।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, इनका समय बढ़ा दीजिए ।

अध्यक्ष : अगर आपके दल की राय है कि आप जितना बोल सकते हैं, बोलिए, बाकी समय में एडजस्ट हो जायेगा तो आसन को कोई एतराज नहीं है ।

श्री मो0 नेमतुल्लाह : महोदय, मैं ससमय ही समाप्त कर दूंगा, मैं आपके आदेश का पालन करूँगा ।

अध्यक्ष : मेरा कोई आदेश नहीं है ।

(इस अवसर पर श्री तारकिशोर प्रसाद ने माननीय सभापति का आसन ग्रहण किया)

श्री मो0 नेमतुल्लाह : बहुत पहले जो ग्रेजुएट पास होते थे तो उनको बेरोजगारी दूर करने के लिए लोन पर एक मिनी बस मिलती थी । इसमें पटना में भी और विभिन्न जिलों में भी बहुत सारे लोगों ने बस लेकर चलाया और उससे उनका बेरोजगारी भी दूर हुआ लेकिन आज उसको भी समाप्त कर दिया गया । जिसके कारण नौजवान बेरोजगार हो गये हैं । महोदय, पहले सरकारी बस चलती थी, वह स्कूल और कॉलेजों के लिए रिजर्व था, सिर्फ छात्र जाते थे, वह गर्ल्स स्टूडेंट के लिए रिजर्व था, वह दानापुर से या किसी दूसरे जगह से जिनको पटना यूनिवर्सिटी जाना होता था तो वह रिजर्व बस उन इलाकों से ग्लर्स स्टूडेंट को लेकर जाते थे और फिर ससमय उनको घर पहुंचाते थे, जिसके कारण महिलायें सुरक्षित थीं। हमारी बच्चियां, बेटियां जाती थी और आज उनको भी समाप्त कर दिया गया । इस तरह से अब कोई व्यवस्था नहीं रह गयी है कि जो हमारी ग्लर्स स्टूडेंट हैं, वह कॉलेजों में, स्कूलों में सुरक्षित तौर पर जा सकें । इसकी व्यवस्था करनी चाहिए । मनेर है, फुलवारीशरीफ है, दानापुर है, इससे बहुत सारी यूनिवर्सिटी में और मगध यूनिवर्सिटी के जो यहां कॉलेजेज हैं, उसमें पढ़ने बच्चे और बच्चियां जाती थी लेकिन आज उनकी सुविधा के लिए कोई व्यवस्था नहीं है । उनको मंथली पास दिया जाता था और उसपर वे सफर करते थे । महोदय, पिछले लोक सभा चुनाव की बात हो रही थी, आपको मैनडेड मिला, इनको बहुत अच्छा मैनडेड मिला और इस मैनडेड से ये नशे में चूर हो गये, नशे में चूर हैं, अब काम करना बंद कर दिये तो क्या यह ई0भी0एम0 का पावर था, इसलिए इनको मैनडेड मिल गया और हम जीरो पर आउट हो गये लेकिन ये नशे में चूर हो गये, उनको तो काम करने के लिए मैनडेड मिला था, अरे नशा पिलाकर गिराना तो सबको आता है, कमाल तब है कि गिरते को थाम ले शाकी ।

सभापति महोदय, अल्पसंख्यक विभाग भी इसी में है । अल्पसंख्यक डिपार्टमेंट का वक्फ बोर्ड है, उर्दू प्रोग्राम सेंटर है, उर्दू का एक डायरेक्ट्रेट भी है और उर्दू एकेडमी है । हम दो बात कहना चाहते हैं कि उर्दू एकेडमी में पैसा बढाया, बहुत धन्यवाद । उर्दू डायरेक्ट्रेट है, उसमें भी पैसा बढ़ा तो उर्दू के विकास के लिए, उर्दू को प्रोत्साहन देने के लिए, उर्दू का प्रचार और प्रसार करने के लिए पैसा खर्च करना चाहिए लेकिन चंद लोगों के पॉकेट में पैसा सिमटकर रह जाता है । आप सिर्फ पटना में, अजीमाबाद में ही उर्दू की तरक्की होती है कि खेतों और खलिहानों में, गांवों में, रिमोट एरिया में भी उर्दू के बच्चे उर्दू पढ़ते हैं तो कभी आप सलम एरिया में, कभी देहात में उर्दू की गोष्ठी कराते हैं, आप सिर्फ पटना में कराते हैं । बड़े-बड़े शोहरतों को ले आकर यहां जहीनी अय्याशी करते हैं । इसलिए हम सरकार को एक सुझाव देना चाहेंगे कि जिलों में, प्रखंडों में उर्दू का सेमिनार करें । उर्दू एकेडमी है माइनॉरिटी वेलफेयर में, उर्दू डायरेक्ट्रेट भले नहीं होगा लेकिन उर्दू एकेडमी है, वक्फ बोर्ड है, मदरसा बोर्ड है, ये सब माइनॉरिटी वेलफेयर में आता है । वक्फ कमिश्नर बहाल हुआ था सर्वे के लिए कि जितनी भी वक्फ की जमीन है, उसका सर्वे होगा, लेकिन कब सर्वे हुआ, कितना सर्वे हुआ, क्या आजतक उसका रिपोर्ट आया और यदि नहीं आया तो क्या आप फिर सर्वे करायेंगे और सर्वे कराकर विधान सभा के पटल पर रखेंगे । आप उसका सर्वे कराइए कि कितना रजिस्ट्रेशन हुआ वक्फ का, कितना कब्जा लोगों ने कर रखा है वक्फ बोर्ड की प्रोपर्टी को, लगातार रोज-ब-रोज वक्फ की प्रोपर्टी को बेच रहा है, आपका अंकुश खत्म है । आपका कुछ नहीं चल रहा है । आपने प्रोजेक्ट पास कर दिया कि हाई कोर्ट के मजार पर एक बड़ा कॉम्पलेक्स बनायेंगे । आज तक क्यों नहीं कम्पलीट हुआ । आप कहां छुपे हुए हैं । इसका जवाब वक्फ मंत्री देंगे ।

(व्यवधान)

सभापति(श्री तारकिशोर प्रसाद) : शांति-शांति, बैठ जायें ।

टर्न-11/राजेश/11.7.19

श्री मो0 नेमतुल्लाह: महोदय, परिवहन पर ही जवाब होगा लेकिन बीच में एक बात आ गयी माईनरिटी वेलफेयर की तो हमने कह दिया, तो माईनरिटी वेलफेयर में उर्दू भाषा के लिए सरकार बहुत ही चिंतित रहती है कि उर्दू भाषा को हम बढ़ावा दें और उसको ले जाए हम गॉव, तो आज हमारे बच्चे जो हैं वे उर्दू माध्यम से कम पढ़ रहे हैं, आप गॉव में जाइये तो प्राईवेट स्कूल से वे हिन्दी में पढ़ रहे हैं, अंग्रेजी में पढ़ रहे हैं, हिन्दी हमारी नेशनल लैंगुएज है, उर्दू दूसरी राज्य की सरकारी जुवान है, इसलिए हम उर्दू में

भी चाहते हैं कि बच्चे तालीम करें, हासिल करें, उसको प्रोत्साहन देना चाहिए, जो पैसे आप खर्च कर रहे हैं, वह सिर्फ शहरों में न खर्च हो, देहातों में भी खर्च हो, देहात में लड़के पढ़ेंगे, तो उर्दू के कंपीटिशन में आवेंगे, उनको जॉब अपर्चूनिटी मिलेगा, आज उर्दू का टीचर एप्वायंट करना है, उर्दू का टीचर नहीं मिल रहा है.....(व्यवधान)

सभापति (श्री तारकिशोर प्रसाद): शांति-शांति ।

श्री मो0 नेमतुल्लाह: इसलिए महोदय, मंत्री जी सदन में है, मैं जानता हूँ कि परिवहन विभाग का जवाब होगा लेकिन मंत्री जी के संज्ञान में मैं डाल देना चाहता हूँ कि यह जो पटना में सिर्फ खर्च होता है और बड़े-बड़े सोहरा और लेखक को ले आ करके उन्हीं के बीच पैसे को बॉट दिये जाते हैं, ऐसा कार्यक्रम देहातों में भी करें, प्रखंडों में करें नहीं तो कम से कम जिला में तो निश्चित रुप से कीजिये ताकि लोगों को उत्साह बढ़े और लोग उससे शिक्षित हों, जानकार हों, कि भाई उर्दू एकेडमी भी कोई चीज है, उर्दू डायरेक्टरेट भी है, जो ऐसे-ऐसे काम करती है, उर्दू डायरेक्टरेट का यहॉ पर बहुत बड़ा फंग्शन हुआ और यहॉ माननीय सदस्य जो उर्दू जानने वाले हैं, उन्हें जानकारी भी नहीं हुई कि किसीतरह का फंग्शन हो रहा है, इसलिए उनको जोड़ना चाहिए, जनप्रतिनिधियों को खबर होना चाहिए और उनको जोड़ना चाहिए लेकिन वे तो अपने, पता नहीं किस नशे में डूबे हुए हैं कि यह जो पैसा है, उसको खुर्द-बुर्द कर दें, उसको आपस में ही बॅटवारा कर लें । इसलिए महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने समय दिया, मैं आपका आभारी हूँ और अपनी पार्टी का भी आभारी हूँ कि आपने मुझे समय दिया । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

सभापति (श्री तारकिशोर प्रसाद): माननीय सदस्य श्री रत्नेश सादा, 10 मिनट ।

श्री रत्नेश सादा: सभापति महोदय, मैं आज परिवहन विभाग के बजट के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ । महोदय, परिवहन विभाग वह विभाग है, जिस विभाग के कारण रेल परियोजना का नेटवर्किंग तो है लेकिन उसको सहयोग देने के लिए परिवहन विभाग भी अहम भूमिका निभाती है । महोदय, परिवहन विभाग से आर्थिक मजबूती होती है, रोजगार सृजन होता है, बेरोजगारों को रोजगार मिलता है, परिवहन विभाग वह विभाग है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने जब गद्दी पर बैठे, तो सभी विभागों को देखते हुए, हम पॉच तारीख को कहे थे कि माननीय मुख्यमंत्री है लोक शिक्षक, मेरा कहने का तात्पर्य यह था कि जिसको कोई नहीं पूछता था, जिस समाज को, जिस विभाग को, उस सब विभागों को चलाने का काम, उसको रास्ते पर लाने का काम, सभ्य समाज को आर्थिक, राजनीति, सामाजिक, शैक्षणिक विकास से जोड़ने का काम किया है हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने, इसीलिए मैं इनको लोक शिक्षक के रुप में देखता हूँ महोदय । महोदय, माननीय मुख्यमंत्री ने ग्रामीण क्षेत्रों के बेरोजगार युवकों के लिए कमजोर वर्ग

के बच्चों के लिए रोजगार सृजन करने के लिए, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री परिवहन ग्राम योजना का शुरुआत किया, जिससे पूरे बिहार में पॉच-पॉच, तीन अनुसूचित-जाति एवं जनजाति के लिए और दो अति पिछड़ा और पिछड़ा वर्गों के लिए परिवहन की गाड़ी की व्यवस्था की महोदय, इतना ही नहीं महोदय, मैं जब 1984 में पटना आया था, तो मॉ जानकी एक ही एक्सप्रेस बस था पटना आने के लिए, सहरसा से पटना आने के लिए, उस समय बस की व्यवस्था भी नहीं थी, सड़कें जो भी थी महोदय, जर्जर थी, लोग 24 घंटा में सहरसा से पटना पहुंचते थे, यह तो स्थिति थी लेकिन आज माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, भाई संतोष निराला के नेतृत्व में परिवहन विभाग में चार चॉद लग गया है । महोदय, परिवहन विभाग का दायित्व है, जो परिवहन के नियंत्रण मोटरगाड़ी, राज्य पथ परिवहन निगम में नियंत्रण, यंत्रचालित जलयानों राष्ट्रीय मार्ग, राष्ट्रीय जलमार्ग, अर्न्तदेशीय मार्ग, जहाजरानी । महोदय, मोटर वाहन अधिनियम में वाहनों का निबंधन एवं कर वसूली है, चालक की अनुज्ञप्ति, प्रदूषण एवं सड़क सुरक्षा की व्यवस्था की है महोदय ।

महोदय, परिवहन विभाग में राजस्व का भी संग्रह होता है । विगत 10 वषों में परिवहन विभाग के राजस्व में वृद्धि हो रही है । महोदय, 2008-09 में मात्र महोदय, 3.65 करोड़ की वृद्धि हुई थी लेकिन माननीय मुख्यमंत्री और माननीय मंत्री संतोष निराला जी के नेतृत्व में 1624 करोड़ की वृद्धि हुई है, उसीतरह से 2018-19 में 2000/- करोड़ की वृद्धि हुई है, मॉर्च 2019 में 2067.21 करोड़ की वृद्धि है, जो 100 प्रतिशत इनकी वृद्धि का अनुमान लगाया जाता है । उसीतरह से वाहन निबंधन में भी वृद्धि हुई है महोदय, इससे पहले की सरकारों में वाहन बिना नंबर के खुलेआम रोड पर चलता था लेकिन आज निबंधन के जरिये महोदय, 2008-09 में 22 हजार 441 निबंधन कराये गये, 2018-19 में 12 लाख 2 हजार 188 निबंधन हुए हैं महोदय तथा निबंधन विभाग में 8 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और आज जो वृद्धि हो रहा है वह केवल परिवहन विभाग और माननीय मंत्री के एक्टिव रहने के कारण, अगर ये एक्टिव नहीं रहते, तो यह वृद्धि नहीं होता, इसके साथ ही महोदय अन्य राज्यों से भी समझौता किया गया है, जैसे झारखंड के विभिन्न मार्गो पर 200 बसें चलाये जा रहे हैं, उसीतरह से छत्तीसगढ़ में 28 मार्गों पर बस चलाये जा रहे हैं, उड़ीसा में 35 मार्गों पर बस चलाये जा रहे हैं, पश्चिम बंगाल में 45 मार्गों पर बस चलाये जा रहे हैं, जैसा कि अभी हमारे भाई कह रहे थे कि एक भी बस का परिचालन नहीं हो रहा है लेकिन हमारी सरकार का अन्य राज्यों के साथ जो समझौता हुआ है झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल के साथ समझौता कर मार्गों को चिन्हित किया गया है, उसीतरह से उत्तरप्रदेश में 47 मार्गों को चिन्हित किया गया है, उत्तरप्रदेश में 2019 में

चार नये मार्गों को भी चिन्हित किया गया है और गाजियाबाद एवं नोएडा तक परिवहन सेवा का विस्तार किया गया है । अन्तर्क्षेत्रीय मार्गों में यात्री बसों को नियंत्रित करने के लिए 3284 मार्गों को चिन्हित किया गया है ।

क्रमशः

टर्न-12/सत्येन्द्र/11-7-19

श्री रत्नेश सादा (क्रमशः) भारत नेपाल के बीच समझौता हुआ है जिसके तहत 2015 में पटना से जनकपुर, बोधगया से काठमांडू बस सेवा को प्रारम्भ किया गया है महोदय । महोदय, बिहार सड़क सुरक्षा नीति के तहत 2015 में कार्य परियोजना के लिए सुरक्षा निधि नियमावली 2018, स्टॉप प्रोटोकोल 2017 पर अपेक्षित कार्रवाई की जा रही है । महोदय, सड़क सुरक्षा संबंधी विभाग के अलग अलग कार्यों में निधि उपलब्ध कराये गये हैं जो सड़क सुरक्षा के लिए एस0पी0 और डी0एम0 को निर्देशित किया गया है, उसमें 76 लाख रू0, 2-2 लाख रू0 कुल 38 जिलों में सड़क सुरक्षा के लिए पैसा आवंटित किया गया है, कुल 76 लाख रू0 दिये गये हैं महोदय, मशीन एवं उपकरणों के लिए 3-3 लाख रू0 का व्यवस्था किया गया है महोदय । महोदय, सस्ती एवं सुलभ परिवहन, रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन एवं 1950 के अन्तर्गत बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना 1-5-1959 को की गयी । महोदय, 3-5-18 को माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा पटना शहरी क्षेत्र में बस का परिचालन शुभारम्भ किया गया है, गांधी मैदान से दानापुर भाया पटना जं0 बेली रोड, गांधी मैदान से दानापुर रेलवे स्टेशन भाया पटना जं0 से बेली रोड महोदय, गांधी मैदान से फुलवारी एम्स तक और गांधी मैदान से पटना विश्वविद्यालय तक, गांधी मैदान से हाजीपुर तक, गांधी मैदान से पटना सिटी भाया राजेन्द्र नगर तक बस का शुभारम्भ किया गया है महोदय लेकिन इनके नेमतुल्लाह साहब कह रहे थे कि कहीं बस की कोई व्यवस्था नहीं है लेकिन मैं इनको गिना रहा हूँ कि कहां-कहां बस की व्यवस्था की गयी है महोदय । महोदय, इतना ही नहीं , गुरू गोबिन्द सिंह जी के हांडी साहेब भाया दीघा होकर के बस सेवा शुरू किया गया है । महोदय, बिहार उत्तर प्रदेश में वोल्वो बस की व्यवस्था की गयी है महोदय । पटना, बक्सर, बिहारशरीफ, किशनगंज, गाजियादाबाद 9 बसों का संचालन किया गया है । महोदय, हमारे माननीय मंत्री बड़े भाई नीरज जी यहां बैठे हुए हैं चूंकि इनका भी विभाग है माननीय मुख्यमंत्री ने इनके विभाग में, मैं इनसे जानना चाहता हूँ कि इनके विभाग में सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री जी ने सूचना का अधिकार लागू करने का काम किया है । महोदय और इतना ही नहीं, लोगों की सेवा के लिए, लोगों के

दुख निवारण के लिए उनके लिए लोक शिकायत निवारण केन्द्र की स्थापना किय गया हैं । महोदय, इन विभागों में विशेष कार्य..

(व्यवधान)

श्री भाई वीरेन्द्रः सभापति महोदय..

सभापति(श्री तारकिशोर प्रसाद) शांति शांति बैठ जायें । इनकी बात समाप्त होने दें फिर अपनी बात कहेंगे ।

श्री भाई वीरेन्द्रः ये अपने भाषण के दौरान जो कह रहे थे, महोदय, नीरज बाबू इनसे छोटे हैं और ये कह रहे थे कि हमारे बड़े भाई नीरज बाबू हैं ।

सभापति (श्री तारकिशोर प्रसाद) माननीय सदस्य अपनी बात जारी रखिये ।

श्री रत्नेश सादाः इनके विभाग में विशेष प्रचार अभियान कमजोर वर्गों के लिए विशेष अंगीभूत योजना, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति के लिए योजना, बिहार पत्रकार सम्मान योजना सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि आजतक जितने भी आजादी के बाद मुख्यमंत्री बने थे लेकिन आज तक, सुन रहे हैं होंगे पत्रकार भाई, उनके लिए सम्मान पेंशन योजना नहीं लागू किया गया था, उनके लिए बीमा योजना नहीं लागू किया गया था ये माननीय मुख्यमंत्री का ही देन है जो पत्रकारों के लिए बीमा और पेंशन योजना लागू किया गया है महोदय और इतना ही नहीं महोदय, माननीय मुख्यमंत्री ने इस बिहार में जितने भी बुजुर्ग माँ पिता हैं, जो बेटा उन मां बाप को कमाकर नहीं खिलाते थे उनके लिए भी कानून बनाने का काम किये हैं मुख्यमंत्री ..

(व्यवधान)

सभापति(श्री तारकिशोर प्रसाद) आप नोक झोंक में नहीं फंसे, आसन को देखकर अपनी बात कहें।

श्री रत्नेश सादाः महोदय, इनके नेमतुल्लाह भाई ने कहा कि अल्पसंख्यकों के लिए कुछ नहीं किया माननीय मुख्यमंत्री जी ने..

सभापति (श्री तारकिशोर प्रसाद) अब आप समाप्त करिये ।

श्री रत्नेश सादाः सभापति महोदय,आपने परिवहन विभाग पर बोलने का हमें मौका दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद ।

सभापतिः (श्री तारकिशोर प्रसाद) श्री सचिन्द्र प्रसाद सिंह ।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंहः सभापति महोदय, आज परिवहन विभाग के द्वारा प्रस्तुत बजट के पक्ष में और इस पर आदरणीय विरोधियों के द्वारा लाये गये कटौती प्रस्ताव के विरोध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ । महोदय, परिवहन विभाग के साथ-साथ आज मुख्यबंध में शामिल सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, कला संस्कृति एवं युवा विभाग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग और उसके आदरणीय मंत्री सम्मानीय श्री संतोष कुमार निराला जी, आदरणीय नीरज जी, प्रमोद कुमार जी और खुर्शीद साहब को सहृदय

धन्यवाद देता हूँ और बिहार सरकार के आदरणीय मुखिया श्री नीतीश कुमार, उप मुखिया श्री सुशील कुमार मोदी जी को भी धन्यवाद देता हूँ जो बिहार को विकसित राज्य बनाने की दिशा में बिहार को पथ पर ले जाने की दिशा में लगातार सार्थक प्रयास करते हुए बिहार को विकास के रास्ते पर ले जा रहे हैं । बिहार को विकास के रास्ते पर ले जाने में जैसे हम कहते हैं कि बिहार की गाड़ी विकास के रास्ते पर बढ़ रही है तो इसमें गाड़ियों की भी अहम भूमिका है और आज ये गाड़ियों का विभाग जो परिवहन विभाग है जिसके विषय में हम सब चर्चा करते हैं तो मैं बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से महोदय, इस सदन को कि आज शायद ही कोई गांव, कस्बा ऐसा बचा है, शायद कोई टोला ऐसा बचा है जहां परिवहन विभाग की सेवाएं हमें नहीं प्राप्त हो रही हो । आज गांव का छोटा टोला भी जो है जहां परिवहन के माध्यम से कोई न कोई टेम्पू, मिनी बस गाड़ियां चलती है और आम अवाम को जो सुविधाएं प्राप्त हो रही है, निश्चित रूप से पहले के परिप्रेक्ष्य में 10-12 वर्षों के पहले के परिप्रेक्ष्य में देखें तो उस परिप्रेक्ष्य में स्थिति आज बहुत ही बेहतर है। मैं आदरणीय मंत्री जी को एक बार अपनी ओर से और अपनी कल्याणपुर (पूर्वी चम्पारण) की जनता की ओर से बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ कि पटना में इतना बड़ा संस्थान खुल गया एम्स और आदरणीय मंत्री जी ने पिछली बार एम्स तक रोगियों को जाने के लिए और उसके अटेंडेंट को वहां तक पहुंचने के लिए गाड़ियों की जो व्यवस्था की है, पटना से रूट नं0 222 की गाड़ी जो महावीर कैंसर होते हुए पटना एम्स तक जाती है, मैं समझता हूँ कि इससे इलाज कराने वाले मरीजों को भी काफी सुविधा हुई है और पटना के किसी इलाके से आज एम्स तक पहुंचने में जो परेशानी थी, जो कठिनाई थी वह कम हुआ है महोदय, इसी प्रकार से ये जो विभाग है, ये विभाग उत्तोरत्तर प्रगति की तरफ आगे बढ़ रहा है और ये आज के दिन में राज्य का एक अच्छा कमाऊ विभाग है, जिसको जो लक्ष्य दिया जाता है 100 प्रतिशत से ज्यादा मैं समझता हूँ कि 100 प्रतिशत से आगे बढ़कर लगभग 112 प्रतिशत जो वसूली होता है, लक्ष्य प्राप्त होता है कि आपको 100 प्रतिशत वसूली करनी है तो मैं समझता हूँ कि 112 प्रतिशत का वसूली कर के शायद ये परिवहन विभाग पहला विभाग है जो सरकार को अच्छी आमदनी दे रही है और महोदय जब हमलोग बच्चे थे, छोटे थे देखते थे तो परिवहन की स्थिति यह थी कि घर से तीन चार पांच कि0मी0 जाते थे तब हमें कोई गाड़ियां मिलती थी तब अपने नियत स्थान को पहुंचते थे और इतना लम्बा इंतजार करने के बाद लोगों को डेढ़ घंटे, तीन घंटे तक इंतजार करना पड़ता था तब हमें कोई गाड़ियां प्राप्त होती थी और परिवहन की सेवाएं प्राप्त होती थी लेकिन अब कोई ऐसा इलाका नहीं है, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है, जहां हम बैठते हैं तो 2-4-10 मिनटों के अन्दर परिवहन की कोई न

कोई सेवाएं हमें प्राप्त हो जाती है और हमें अपने नियत और गंतव्य स्थान तक पहुंचने में सुविधा और सहुलियत हो जाती है । महोदय, परिवहन विभाग बहुत ही अच्छा विकास कर रहा है लेकिन मेरा कुछ सुझाव भी है इस विभाग के लिए, हमारे आदरणीय मंत्री जी और सभी मंत्री जी के विभाग के पदाधिकारी, वरीय पदाधिकारी यहां बैठे हुए हैं, मैं इस विभाग को सुझाव देना चाहता हूॅ कि आपके जो बस स्टैंड हैं, आपकी जितनी गाड़ियां चलती है, जितनी बसें चलती है विभाग के द्वारा या प्राइवेट सेक्टर की जितनी भी गाड़ियां चलती है, आप सभी गाड़ियों में एक रेट तालिका लगाईए, सभी गाड़ियों में दूरी के हिसाब से उसका रेट फिक्स करिये, आप अपने बस स्टैंड में एक दर तालिका लगाईए जिसमें लिखा हो कि अगर मोतिहारी से मुजफ्फरपुर तक जाना है तो पैसेंजर को कितना पैसा देना होगा (क्रमशः)

टर्न-13/मधुप/11.07.2019

...क्रमशः...

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह : नहीं तो कभी-कभी विवाद ऐसा फॅसता है कि रेट कुछ और है और उसमें जो कंडक्टर रहते हैं, पैसा वसूलने वाले लोग रहते हैं, इस प्रकार से विवाद फॅसा देते हैं कि पैसेंजर और गाड़ी चलाने वाले के बीच में झंझट हो जाता है । इसलिये मेरा पुनः आग्रह है कि आप सभी बस स्टैंड और सभी गाड़ियों में रेट तालिका लगाइये, दूरी के हिसाब से उसको फिक्स करिये ।

महोदय, आज हम सब लोग चिन्तित हैं, अभी परसों जलवायु परिवर्तन पर बात होने वाली है । अभी पर्यावरण की जो स्थिति है, अभी वातावारण जिस प्रकार से प्रदूषित होता है, मैं आपके माध्यम से सरकार को सलाह देना चाहूंगा कि आप ऐसा निर्धारित करिये कि किस व्यक्ति को कितना गाड़ी खरीदना है । आज बिहार में बढ़ती हुई आबादी और उस हिसाब से बढ़ती हुई गाड़ियॉ, सड़क पर जिस प्रकार से भीड़ लग रही है, जिस प्रकार से जाम लग रहा है, इसमें निर्धारित होना चाहिए कि एक आदमी को कितना गाड़ी रखना है और किसको कौन-सी गाड़ी रखनी है, किसको कौन-सी गाड़ी खरीदनी है । आज जिसके पास पैसा हो जा रहा है, आज पॉच-पॉच गाड़ियॉ वह रख रहा है । एक आदमी अकेले ड्राइविंग करते हुये जाता है और रोड पर कहीं गाड़ी लगाकर पान की दुकान पर चला जाता है, सब्जी के दुकान पर चला जाता है, सड़क जाम हो जाती है, दूसरे पैसेंजर को परेशानी हो जाती है और जाम की समस्या से हम सब हलकान रहते हैं । इसपर भी बैन लगना चाहिये । पटना में एक पीले रंग की गाड़ी चलती है, शायद वह सिटी बस सर्विस है । कभी-कभी हमलोग मोटर साइकिल वगैरह से जब उसके पीछे पड़ जाते हैं या अन्य लोग पीछे पड़ जाते हैं

तो इतना धुआँ उससे निकलता है, इतना प्रदूषण होता है कि आदमी को अपना नाक बंद कर लेना पड़ता है । या तो उस व्यवस्था को आप ठीक करिये, नहीं तो वैसी गाड़ियाँ जो अधिक प्रदूषण दे रही हैं, जो पर्यावरण को गंदा कर रही हैं, जो जलवायु को खराब कर रही हैं, आपके माध्यम से मेरा सरकार से निवेदन होगा कि वैसी गाड़ियों को बंद करना चाहिए या फिर कोई न कोई उसका उपाय और इंतजाम निकालना चाहिये ।

महोदय, रोड में एक्सीडेंट होता है तो कई बार गाड़ियाँ भाग जाती हैं, गाड़ियों का पता नहीं लगता है लेकिन कई बार गाड़ियाँ पकड़ा जाती हैं । आपस में मूवमेंट हो जाता है, गाँव के लोग, समाज के लोग आते हैं, आक्रोश होता है और गाड़ियाँ फूँक दी जाती हैं, रोड जाम कर दिया जाता है । आप उस गाड़ी वाले को या उस ड्राइवर को भी यह कहिये और उनके लिए यह नियम बनाइये कि आप मानवीय आधार पर वैसे लोग जो दुर्घटना में मारे जाते हैं, जो दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं, जिनका जीवन लीला समाप्त हो जाता है या जीवित भी रहते हैं तो काम के लायक नहीं रहते हैं, वैसे लोगों को मानवीय आधार पर भी आपको सहयोग करना चाहिये । चूंकि गाड़ी चलाने वाले जो बड़े-बड़े लोग हैं, बड़े-बड़े ऑनर हैं, उनको पैसा का कोई दिक्कत नहीं है, वे पैसा दे सकते हैं । ऐसा नियम बनाना चाहिये, सिर्फ उनको इस बात के लिए नहीं छोड़ना चाहिये कि सरकार उनको आपदा से राशि देगी या इनश्योरेंस डिपार्टमेंट पर वे केस करेंगे, कोर्ट में जायेंगे तब उनको राशि प्राप्त होगी । माननीय आधार पर इसमें निर्णय लेना चाहिये ।

महोदय, लाइसेंस की नीति आपको और पारदर्शी बनाना चाहिये । हम ऑनलाईन आवेदन जरूर करते हैं लेकिन मैं समझता हूँ, मैं सरकार की शिकायत की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सुझाव दे रहा हूँ कि इसमें इस प्रकार के कुछ लोग हेड क्वार्टर में बैठे होते हैं, जबतक जिनका लाइसेंस बनना रहता है, वे सम्पर्क नहीं करते हैं तबतक उनका लाइसेंस रिलीज नहीं होता है । महोदय, इसमें सुधार होना चाहिये ।

अन्य भी मेरे कुछ इस डिपार्टमेंट के लिए सुझाव हैं । मैं कहना चाहूंगा कि आप जिस प्रकार से जिला में अपना डिपो बनाये हैं, उसी प्रकार से अनुमंडल हेड क्वार्टर में, ब्लॉक हेड क्वार्टर में, यदि सम्भव हो तो आप पंचायत स्तर पर भी अपना एक डिपो चिन्हित कीजिये, एक बस स्टैंड या बस अड्डा बनाइये जहाँ से कई प्रकार की गाड़ियाँ आज के दिन में मिनी बस, टेम्पो और इस प्रकार की गाड़ियाँ खुलती हैं, आप पंचायत स्तर पर भी एक डिपो बनाने का काम करिये ।

महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करूंगा, मैं कल्याणपुर विधान सभा क्षेत्र से आता हूँ जो चम्पारण में आता है, वह ग्रामीण इलाका है, सुदूर ग्रामीण इलाका है जहाँ से आवागमन की बहुत बड़ी सुविधा नहीं है...

सभापति (श्री तारकिशोर प्रसाद) : अब आप समाप्त करेंगे ।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह : महोदय, सिर्फ दो मिनट और । मैं कल्याणपुर के लिए आग्रह करूँगा कि वहाँ पर बस डिपो बनाइये और वहाँ से मुजफ्फरपुर के रास्ते पटना आने के लिए आप निश्चित रूप से सरकारी बस सेवा के लिए शुरूआत करिये । ऐसा मेरा आग्रह है ।

महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि जो सरकारी बस स्टैंड के लिए जमीन चिन्हित किये गये हैं, जमीन लिये गये हैं, आज के दिन वह जमीन काफी महँगा हो गया है, कई जगह ऐसा आता है, जैसे डेहरी ऑन सोन के बारे में पता चला है कि वहाँ का जमीन अतिक्रमण हो रहा है ।

सभापति (श्री तारकिशोर प्रसाद) : अब आप समाप्त करिये ।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह : इसी प्रकार से मोतिहारी का जमीन अतिक्रमण हो रहा है । महोदय, मैं आपके माध्यम से आग्रह करूँगा कि आप ऐसे जगहों पर उसका घेराबंदी करिये । जो लोग जमीन अतिक्रमित कर रहे हैं, उनको वहाँ से बेदखल करिये । बहुत-बहुत धन्यवाद। महोदय, आपके प्रति और पूरे सदन के प्रति कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, सदन ने मुझे सुना, मैं आप सबके प्रति सहृदय धन्यवाद देते हुये अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ ।

सभापति (श्री तारकिशोर प्रसाद) : माननीय सदस्य श्री संजय कुमार तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी ।

श्री संजय कुमार तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी : महोदय, परिवहन विभाग के 4,57,42,04,000/- रूपये के बजट पर विपक्ष द्वारा प्रस्तुत कटौती-प्रस्ताव के समर्थन में मुझे बोलने का अवसर आपने दिया, इसके लिए आसन के प्रति आभार प्रकट करते हुये अपनी बात रखना चाहता हूँ।

महोदय, पूरे बिहार में परिवहन विभाग भ्रष्टाचार के रूप में देखा जाता है। चाहे वह ड्राइविंग लाइसेंस का मामला हो, चाहे वह परमिट का मामला हो, चाहे वह ओवरलोडिंग का मामला हो, हरेक जगह पैसे की जरूरत परिवहन विभाग को है । महोदय, मैं अभी भोजनावकाश के बाद आ रहा था तो एक स्कूल परिवहन दिखा, बड़े भाई सचीन्द्र भाई ने अभी जैसा कहा सदन में कि जहर उगलती हुई गाड़ियाँ शहर में चल रही हैं, सूबे बिहार की राजधानी पटना में चल रही हैं, उस गाड़ी का नंबर था - BR1AP-3873 आगे-पीछे चलने वाले लोग नाक बंद करके, मोटर साइकिल वाले लोग चलने को मजबूर हैं ।

महोदय, मैं आसन के माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करूँगा कि जिस प्रकार से सूबे बिहार की राजधानी पटना से दानापुर, खगौल, मनेरशरीफ गाड़ियाँ तो जाती हैं जरूर, लेकिन उनमें भेड़-बकरियों की तरह यात्रियों को ठूंस दिया जाता है और उसकी बगैर परवाह किये, चाहे वह बस कंडक्टर हो, अपने मन-मर्जी से यात्रियों से किराया भी वसूल किया जाता है । जैसा कि प्रायः देहातों में, सुदूर देहातों में देखा जा रहा है, जैसे-जैसे तेल के दाम में वृद्धि होती है, वैसे-वैसे उनके कंडक्टर, प्राइवेट ट्रेवेल एजेन्सी के बस वाले लोग मनमाने तरीके से यात्रियों से पैसे का दोहन करते हैं । महोदय, यह देखने वाली चीज है । आप सभी हमारे माननीय सदस्य यहाँ हैं, मैं आसन के माध्यम से सभी माननीय सदस्यों से भी आग्रह करूँगा कि आपलोग भी इस चीज को देखते हैं कि परिवहन विभाग में क्या दुर्व्यवस्थाएँ चल रही हैं ।

महोदय, रजिस्ट्रेशन का मामला है । बिहार में सबसे अधिक रजिस्ट्रेशन टैक्स है । महोदय, मैं आसन के माध्यम से माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूँ से कि क्या झारखंड से जो निबंधन हो रहा है, वह अधिक क्यों हो रहा है ? चूंकि हमारे यहाँ टैक्स बढ़े हुये हैं, गाड़ियों के उपर भी टैक्स बढ़े हुये हैं जिसके कारण लोग झारखंड में नम्बर भी लेते हैं और टैक्स देकर वहाँ से रजिस्ट्रेशन कराकर यहाँ गाड़ियाँ लायी जाती हैं । किन परिस्थितियों में झारखंड का नम्बर हमारे यहाँ आता है ?

महोदय, परिवहन विभाग निश्चित रूप से पैसे वाला विभाग बना है लेकिन सूबे बिहार में वह जो सुल्तान पैलेस आपने खड़ा कर रखा है, वह मुर्दा-घर जैसा दिख रहा है । एक जमाने में उसे लोग देखने के लिये आया करते थे लेकिन आज मुर्दा-घर के रूप में स्थापित है । महोदय, मैं आपके माध्यम से आदरणीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि सूबे बिहार की राजधानी पटना में कमोवेश 3 लाख गाड़ियाँ चलती हैं । (व्यवधान) सुल्तान पैलेस जो परिवहन विभाग का कार्यालय है, आज मुर्दा-घर जैसी स्थिति में है ।

महोदय, 3 लाख गाड़ियाँ कमोवेश चलती हैं, उसमें सूबे बिहार की राजधानी पटना में एम0वी0आई0 अफसर के नाम पर मात्र दो पदाधिकारी यहाँ काम करते हैं । यह अत्यंत दुखद और यह हमारे बिहार को शर्मसार करने वाली बात है । महोदय, सड़क सुरक्षा सप्ताह के नाम पर जिला में तो पैसा आवंटित किया गया निश्चित रूप से, लेकिन महोदय, प्रचार-प्रसार के नाम पर सिर्फ जिला मुख्यालयों में ही इसका प्रचार किया गया, शहरों में न होर्डिंग लगा, न बोर्ड लगा और न उसके बारे में विस्तार पूर्वक लोगों को जानकारी दी गई । महोदय, इसमें एक चीज और है कि आँखों का मुफ्त ईलाज करके चश्मा भी देने का काम था । महोदय, जिला मुख्यालयों में या सूबे बिहार के किसी भी जिला में ऐसा काम नहीं किया गया है ।

...क्रमशः...

टर्न-14/आजाद/11.07.2019

..... क्रमशः .....

श्री संजय कुमार तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी : मैं आसन के माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि इसकी जॉच आप स्वयं कराये तो पता चलेगा कि सड़क सप्ताह सुरक्षा के नाम पर कितनी धांधली हुई है । महोदय, हमारा क्षेत्र बक्सर है और गाजियाबाद के लिए हम और माननीय मंत्री जी ने एक वोल्वो बस का उद्घाटन किया । माननीय मंत्री जी ने घोषणा की कि इसका टिकट काऊंटर खुलेगा लेकिन आज तक उसका टिकट काऊंटर नहीं खुला । बस कब खुलती है और कब जाती है, यह यात्रियों को मालूम नहीं होता है । महोदय, कुछ दिन पहले सूबे बिहार की घटना है । मुजफ्फरपुर से दिल्ली जा रही एक निजी ट्रेवल की बस में 28 यात्रियों की मौत हो जाती है । उसके वातानुकूलित में आग लग जाने के कारण 28 यात्रियों की मौत होती है । परिवहन विभाग जब जॉच करता है महोदय तो उसका फर्जी नम्बर निकलता है । यह भी जॉच का विषय है और यह शर्मसार करने वाली घटना हमारे बिहार के लिए है । परिवहन विभाग अगर समय रहते नहीं सचेता, नहीं चेता तो निश्चित रूप से आने वाला समय हमारे बिहार के लिए परिवहन विभाग एक भयावह स्थिति में चला जायेगा । महोदय, छोटे-छोटे उम्र के बच्चों को ड्राईविंग लाईसेंस वितरित किया जाता है । 10 से 12 वर्ष के बच्चे को, 16 वर्ष के बच्चे को ड्राईविंग लाईसेंस वितरित किया जाता है और यह कागज में ही नहीं सड़कों पर ये बच्चे ऑटो और ट्रैक्टर चलाते हुए हम सभी देखा करते हैं और यह भी शर्मसार करने वाली बात है । महोदय, ओवरलोडेड बालू गाड़ियां जिसके लिए बिहार सरकार सख्त है, कार्रवाई के लिए चक्रवृद्धि ब्याज के अनुसार आपसे पैसा लिया जायेगा लेकिन वह अधिकारी, वह बाबू चन्द पैसों के लिए चूँकि मैं बॉर्डर इलाके से आता हूँ , मैं प्रायः देखता हूँ कि बाबू की गाड़ियां बालू के आगे-पीछे गाड़ियां लगी रहती है और बाबू लोग पैसा लेकर के ओवरलोडेड गाड़ियों को जाने के लिए फीट करा देते हैं । महोदय, मैं आसन के माध्यम से माननीय मंत्री जी से इसपर भी गहन विचार करने के लिए आग्रह करूंगा । महोदय, मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना निश्चित रूप से लाभकारी है । महोदय, मैं आसन के माध्यम से मांग करता हूँ कि ऊँची जाति के गरीब लोगों को भी दिया जाय । इसमें जो वाहन मुख्यमंत्री के द्वारा दिया जा रहा है, इसमें मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह भी किया था उस समारोह में कि ऊँची जाति के लोगों को भी जो गरीब तबका के हैं, उनको भी इसमें सम्मिलित किया जाय ताकि भविष्य में उनका भी भविष्य इसमें जुड़े ताकि वे इससे लाभान्वित हों।

महोदय, साथ ही साथ आज कला एवं संस्कृति विभाग भी है और मेरा बक्सर ऐतिहासिक, पौराणिक, धार्मिक जगह है । चारों तरफ से हमारे पूर्वांचल और शाहाबाद का हृदय स्थलीय है । चाहे मुंडन संस्कार हो, चाहे शादी-विवाह हो, निश्चित रूप से प्रत्येक दिन वहां मेला जैसा माहौल रहता है । महोदय, आदरणीय कला एवं संस्कृति मंत्री जी बैठे हैं, पर्यटन मंत्री भी एक समय में थे, मैं इनसे मिलकर के पंचकोसी यात्रा जो अधूरी है, उसको पूरा करने का आग्रह किया था, उस समय पर्यटन मंत्री थे । मैं आज आग्रह करूंगा आसन के माध्यम से कि कम से कम बक्सर के जो चार-चार, पॉच-पॉच मैदान जो अनफीट स्थिति में है, उस समय आदरणीय पर्यटन मंत्री शिवचन्द्र राम जी हुआ करते थे, 1 करोड़ 25 लाख रू0 उन्होंने बक्सर के किला मैदान के लिए आवंटित किया । आज तक वह पैसा किला मैदान के लिए नहीं जा सका है, ये अपने संज्ञान में लेकर कि चूँकि यह बक्सर का एकलौता किला का मैदान है, यह बक्सर का हृदयस्थली है । इसके लिए यह आवंटन मिला था, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि आप उस किले के मैदान के लिए और चार-चार उपेक्षित फिल्ड भूमिहारी स्कूल, ब्राह्मण स्कूल का खेल मैदान, कुल्हड़िया का खेल मैदान, पनिया का खेल मैदान और किले का मैदान जो उपेक्षित तौर पर है और बक्सर के जिलाधिकारी द्वारा .....

सभापति(श्री तार किशोर प्रसाद) : अब अपनी बात समाप्त करें ।

श्री संजय कुमार तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी : महोदय, एक मिनट, पूरा कर लूँगा । आपके यहां पत्रांक-282389 दिनांक 24.01.2017 को प्रतिवेदन भेजा गया है । महोदय, मैं आसन के माध्यम से आपसे आग्रह करूंगा और इन सब चीजों को और माननीय मुख्यमंत्री ने स्वयं राजपुर जाकर के यह घोषणा किया था कि किला का मैदान और राजपुर के किला को सुरक्षा और संरक्षित करने के लिए । आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया था लेकिन माननीय मुख्यमंत्री के घोषणा के लगभग डेढ़ साल के बाद भी आज तक वह दोनों काम नहीं हो सका है । यह मंत्री जी के संज्ञान में है । इसलिए आपको एवं आसन के प्रति आभार प्रकट करते हुए बहुत,बहुत धन्यवाद ।

सभापति(श्री तार किशोर प्रसाद) : माननीय सदस्य श्री मो0 नवाज आलम, 30 मिनट ।

मो0 नवाज आलम : सभापति महोदय, मैं आज कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ । महोदय, परिवहन विभाग सचमुच में एक लाईफ लाईन है । लाईफ लाईन इसलिए कहेंगे महोदय कि हमलोग जब देहातों और कस्बों में रहते थे और जो आने-जाने का सुदूर इलाका था, जहां कभी दूर-दूर तक जाने की सुविधा नहीं थी, परिवहन के माध्यम से उन जगहों पर सम्पर्क करने का मौका मिलता है । मैं कुछ झांकियां यहां परिवहन विभाग के बजट के ऊपर 2019-20 में स्कीम मद में 313.00

करोड़ रू0, स्थापना एवं परिवहन व्यय में 144.42 करोड़ रू0, टोटल मिलाकर के 457.42 करोड़ रू0 । आपका 2018-19 का जो लक्ष्य था, उस लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए आपने जो बजट प्रावधान किया था 2000 करोड़ रू0 का राजस्व प्राप्त करेंगे लेकिन बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आपने लक्ष्य के विरूद्ध दिसम्बर, 2018 तक 1477.94 करोड़ रू0 आपने संग्रह किया, इससे पता चलता है कि कहीं न कहीं परिवहन विभाग के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के लापरवाही के वजह से जो राजस्व की कमी हुई है, वह निश्चित रूप से सोचनीय विषय है । दूसरी चीजें है महोदय आपने मुख्यमंत्री ग्राम्य परिवहन योजना में आपने कुल आवेदन प्राप्त किया 42385 और उसमें से आप मात्र चयनित करते हैं महोदय 11950 लाभुकों को, इससे काफी लोंगों को उसका लाभ नहीं मिल पाया, जो आपका लक्ष्य था और जो प्राप्त आवेदन था, उसको आपने कहीं न कहीं लक्ष्य को पूरा करने का काम नहीं किया है, इसलिए यह आपकी पूरी तरह से लापरवाही सामने आती है । महोदय, जहां तक इस विभाग का एक विभाग जो निश्चित रूप से काम किया गया था, वह विभाग था रोड सेफ्टी के मामले में फंड इकट्ठा करना । रोड सेफ्टी के मामले में जो फंड इकट्ठा किया गया, रोड सेफ्टी के फंड को जो बहुत सारी चीजें सेफ्टी प्वायंट ऑफ व्यू से किये जाते हैं । गाड़ियों के कहीं जो निशान, डिवाईडर बहुत सारे चीजें हैं, उन चीजों को देने का काम करना चाहिए था, आपने उस फंड को इसी तरह यों ही घोटाले के रूप में इस्तेमाल करते हैं या आप उस फंड को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाये महोदय ।

ड्राईविंग लाईसेंस के मामले में पूरे बिहार में हम और आप जिस शहर से आते हैं, कोई भी ड्राईविंग लाईसेंस बगैर बिचौलिये के माध्यम से नहीं ले सकते। बिचौलियों का यह हालत है कि आप ड्राईविंग लाईसेंस वैसे लोगों को भी देते हैं जिनको ड्राईविंग करने नहीं आता, अभी कई लोगों का सिपाही बहाली में इसका नमूना देखने को मिला महोदय । उसकी सूचना हमलोगों ने सदन के माध्यम से क्वेश्चन भी किया था कि ड्राईविंग लाईसेंस में कहीं न कहीं बिचौलियों के द्वारा हेराफेरी होती है । इसका कारण है महोदय कि जो एम0वी0आई0 ऑफिसर होते हैं, जो एक्सपर्ट नहीं होते हैं । एम0वी0आई0 ऑफिसर को एक्सपर्ट होना चाहिए और उनका रख-रखाव और प्रशिक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए । लेकिन जब किसी भी विभाग से एम0वी0आई0 ऑफिसर दे दिया जाता है, पदाधिकारी को दिया जाता है तो वहां सिर्फ बिचौलियों के माध्यम से वहां उस ऑफिस का दोहन होता है महोदय ।

..... क्रमशः .....

टर्न-15/शंभु/11.07.19

श्री मो0 नवाज आलम : क्रमशः....फिटनेस और लाइफ की व्यवस्था निश्चित रूप से हम दावे के साथ इस सदन में कह सकते हैं कि कहीं भी गाड़ी का फिटनेस होता तो माननीय हमारे तिवारी जी बता रहे थे कि जिस तरह से धुआं दे रहा था, मुझे लगता है कि प्रदूषण का सर्टिफिकेट यूं ही बांटा जाता है । महोदय, इसी तरह से सड़क सुरक्षा के नाम पर जो नियम और कानून आपने बनाया, माननीय नीतीश कुमार जी ने जो कानून बनाया था और कहते हैं शराब पीकर लोग गाड़ी चलाते हैं । आप शराब पीकर गाड़ी चलाने के मामले में ब्रेथ इनेलाइजर का इस्तेमाल किस जिले में होता है यह बतायें । वही होता है कि गांव के गरीब मासूम, गांव गंवई में रहनेवाले लोग जो मोटर साइकिल लेकर चलते, जो बड़ी-बड़ी गाड़ियों से चलते, बड़े-बड़े ऐशो आराम करते, वे गाड़ियों में वाइन और तमाम चीजें जो ऐशो आराम का सामान इस्तेमाल करते हैं वैसे लोगों पर इस कानून का इस्तेमाल नहीं किया जाता है । इसी तरह से आप एन0एच0 पर जो मोबाइल की नियुक्ति करते हैं उनके दोहन का शिकार लोग एन0एच0 पर होते हैं । कहीं से उठाकर किसी अफसर को, किसी पुलिस बल से अधिकारी को एम0वी0आइ0 का जो जिम्मा देते हैं मोबाइल अफसर बनाकर वह सिर्फ लोगों को एन0एच0 पर रात के अंधेरे में लूटने का काम करता है । अगर इस मामले का आप सदन के माध्यम से भी समीक्षा कराना चाहेंगे तो निश्चित रूप से माननीय मंत्री जी भी जिस क्षेत्र से आते हैं, हमलोगों के इलाके से आते जाते होंगे, ये भी उसके दोहन के शिकार को कहीं न कहीं सामने से देखे होंगे । इसलिए हम मांग करते हैं कि इसपर निश्चित रूप से अंकुश लगनी चाहिए । महोदय, किसी ने ठीक ही कहा है कि सरे महफिल जो बोलूं तो जमाने में खटकता हूँ और रहूं चुप तो बगावत मार देती है । अगर सही बात को रखने का काम हमलोग करते तो निश्चित रूप से माननीय विपक्ष के सदस्य हम आपसे जानना चाहते कि आप दोहन के शिकार जिन पहलुओं पर होते हैं उनकी भी समीक्षा आप करने का काम करें । जिला परिवहन कार्यालय- निश्चित रूप से आप हम जिस शहर से आते हैं । जिला परिवहन कार्यालय के रख-रखाव की जो व्यवस्था है उसमें कस्टमर वहां जाते और उनको क्यू में लाइन लगने का और उनके रख-रखाव की जो व्यवस्था होती है । आप पूरे बिहार से कर संग्रह करते हैं और उनके लिए सुविधा का अभाव नजर आता है । इसी तरह से आपने कहा था महिला सशक्तिकरण के बारे में बहुत चर्चा की थी । सभापति महोदय, हम जानना चाहते हैं इस सदन के माध्यम से कि महिला सशक्तिकरण के नाम पर आपने कहा था कि टेम्पू देने का काम करेंगे, छोटे-छोटे व्हीकल देने का काम करेंगे और जो व्हीकल महिलाओं को देंगे उसको करमुक्त रखने का काम करेंगे । हम इस सदन के माध्यम से माननीय मंत्री जी से

जानना चाहते हैं कि आप जिस जिले से आते हैं, हम जिस जिले से आते हैं और तमाम बिहार में कितने कस्बों में आप करमुक्त करके जो महिला बेरोजगार है, जो विधवा है, जो अपने आय का स्रोत खुद बनाना चाहती है उनको आपने कौन सी योजना देने का काम किया है । इसी तरह से महोदय, आपके बस डिपो का मामला है। माननीय मंत्री जी, परिवहन विभाग- आरा एक शहर है और पूरे शाहाबाद से ही तमाम जिले बंटे हैं । आरा का बस डिपो कभी माननीय मंत्री जी भ्रमण करके देखें । आरा का बस डिपो एक कबाड़खाने में तब्दील है । ऐसा लगता है कि इसमें कोई भी आदमी कैसे आपका कर संग्रह होगा ? निश्चित रूप से कर संग्रह में जो गिरावट आई है । इसका कारण है कि आपने रख-रखाव ठीक से नहीं किया है। आप चले जाइये दक्षिण के इलाकों में हमलोग सभापति महोदय के साथ टूर में गये थे दक्षिण के इलाकों में जब जाइयेगा तो बस के रख-रखाव की जो व्यवस्था होती है, वहां के बस डिपो की जो व्यवस्था होती है उससे लोग आकर्षित होते हैं और निश्चित रूप से कर संग्रह में उससे बढ़ोत्तरी होती है । इसी तरह से आपने जिले में सड़क सुरक्षा समिति का गठन किया है । हम जानना चाहते हैं आपके माध्यम से कि जिला में जो सुरक्षा समिति बनी- माननीय मंत्री जी अपने जिले से लेकर तमाम जिले में सड़क सुरक्षा समिति जो बनी है उसका कभी मीटिंग भी होता है या नहीं । महोदय, इसलिए आपके माध्यम से जानना चाहते हैं । महोदय, आप प्रदूषण कार्यालय के मामले में सिफर साबित हो रहे हैं । इसी तरह से आपके यहां माननीय मंत्री जी आपने 350 वां जयंती मनाने का काम किया, लेकिन एक से एक सर्किट है जैसे सूफी मनेर का सर्किट है । आप चले जाइये बखोरापुर काली मंदिर आप आरा में जैन सर्किट, गया जैसे जगहों में तमाम सर्किट है । आपने कौन सा व्यवस्था किया है जो पर्यटक आपके तरफ आकर्षित हो । आपने सस्ते दर पर बस की व्यवस्था नहीं की है । आप ऐसी बस की व्यवस्था करते जहां निश्चित रूप से हम मोबाइल एप लगाते हैं तो हमको आपसे अच्छी प्राइवेट गाड़ियां चली आती है तो क्यों कोई पर्यटक आपके बीच आयेगा। इसी तरह कुछ चीज है जिसकी ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ । हम इसके विषय में बहुत डिटेल जाने से पहले अल्पसंख्यक जो गुलेटिन का पार्ट है । महोदय, हम सबसे पहले जानना चाहते हैं कि इस विभाग में क्या आज चर्चा परिवहन पर हो रही है और परिवहन मंत्री, माननीय खेल मंत्री, माननीय सूचना मंत्री और माननीय अल्पसंख्यक मंत्री, लेकिन बेचारे माननीय अल्पसंख्यक मंत्री को पहली, दूसरी, तीसरी कतार में रखा गया है, आज बजट के दिन भी अब इससे बड़ी अपमानजनक कोई बात नहीं हो सकती है । अब जिस विभाग का अल्पसंख्यक मंत्री ऐसा असहाय हो हमें लगता है कि निश्चित रूप से सरकार उपेक्षा कर रही है अल्पसंख्यकों की और उसका

जीता-जागता नमूना माननीय अल्पसंख्यक मंत्री इसलिए मायूस बैठे हुए हैं । इसका कारण है कि बजट में आपको एक झांकी देते हैं- 2018-19 में अल्पसंख्यक विभाग में 406 करोड़ रूपये दिये, उसके बाद 2019-20 में अल्पसंख्यक विभाग में 459.10 करोड़ दिये ।

सभापति(श्री तारकिशोर प्रसाद) : शांति ।

श्री मो0 नवाज आलम : लेकिन जब पिछली सरकार थी महागठबंधन की तो लगभग 800 करोड़ दिये गये इससे पता चलता है कि माननीय नीतीश कुमार जी केवल सेकुलर का ढिढोरा पीटने का काम करते हैं और अल्पसंख्यकों के साथ कहीं न कहीं नाइंसाफी करने का काम किया है । उसी का परिणाम है कि माननीय अल्पसंख्यक मंत्री मायूस और निराश होकर पीछे के कतार में बैठे हैं । महोदय, इसलिए इस सदन के माध्यम से हम माननीय सुशील मोदी जी को भी कहना चाहते हैं कि माननीय सुशील मोदी जी आप 1974 के आंदोलन से निकले हुए और कहीं न कहीं आदरणीय लालू यादव जी के छत्रछाया में आपको सीखने और समझने का मौका मिला था । लेकिन आपने भी इस बजट में जो नाइंसाफी किया है उसको कोई समाज माफ नहीं कर सकता । महोदय, इसलिए आपके बीच में महिला अल्पसंख्यक छात्रावास हर जिले में बनना चाहिए । महिलाएं जो पढ़ना चाहती हैं, आप स्वाबलंबी बनाना चाहते हैं, भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि हम मुख्यधारा में लाना चाहते हैं लेकिन आप सच्चर कमिटी की रिपोर्ट उठाकर देखें, अल्पसंख्यकों की जो हालत है वह दलित से भी बदतर है, लेकिन इस सरकार ने बजट में यह नमूना पेश करने का काम किया है कि हम अल्पसंख्यकों का विकास नहीं चाहते, अल्पसंख्यकों का दोहन चाहते हैं । मुझे लगता है कि माननीय नीतीश कुमार जी, आप जब गठबंधन से अलग हुए तो आप पर कहीं न कहीं इनका रंग चढ़ गया है । महोदय, आपने ऊर्दू एकेडमी का सत्यानाश करने का काम किया है । सभी जगह अल्पसंख्यक पदाधिकारी और अल्पसंख्यक वक्फ बोर्ड के पदाधिकारी को होना चाहिए । मौलाना आजाद इंजीनियरिंग कॉलेज हैं । मौलाना आजाद इंजीनियरिंग कॉलेज मात्र एक कॉलेज है और उस कॉलेज में छात्रावास की कोई व्यवस्था नहीं है । इसलिए आपके माध्यम से हम निहोरा करना चाहते हैं, हम विनती करना चाहते हैं.....क्रमशः

टर्न-16/ज्योति/11-07-2019

क्रमशः

श्री मो0 नवाज आलम : अल्पसंख्यक छात्रावास मौलाना अब्दुल कलाम आजाद यूनिवर्सिटी और जो कॉलेज हैं उसमें भी, इंजीनियरिंग कॉलेज में छात्र और छात्राओं के रहने की व्यवस्था

होनी चाहिए । पटना एक नमूना है । पूरे हिन्दुस्तान में पटना की एक पहचान है और पटना जैसी जगह में अल्पसंख्यक छात्रावास कहीं एक दो है । हम इस सदन के माध्यम से माननीय मंत्री को हम सुझाव देना चाहते हैं कि माननीय मंत्री जी आप निराश मत होईये, आप लड़ने का काम कीजिये, तमाम लोग आपके साथ गोलबंद होकर लड़ने को तैयार हैं इसलिए कि अल्पसंख्यक छात्रावास निश्चित रुप से बने । जिसतरह से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति का छात्रावास पटना में है, उसीतरह से चार या पॉच छात्रावास महिलाओं और मायनरिटी का होना चाहिए । इसीतरह से अल्पसंख्यक विभाग में जो लोन की प्रक्रिया है, हम माननीय मंत्री जी, आपसे जानना चाहते हैं कि लोन में बिचौलिए के माध्यम से दोहन होता है । जो गरीब मजदूर बेबस कटिहार और किशनगंज से आते हैं, उनका दोहन होता है और बिचौलिए के माध्यम से जो कारबार करने वाले लोग हैं, उनको लोन नहीं दिया जाता है । हम आपके माध्यम से जानना चाहते हैं कि यह कौन सी सरकार की नीति है । इसीतरह से वक्फ की प्रोपर्टी, सुन्नी वक्फ बोर्ड और सिया वक्फ बोर्ड, यह सिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड के पास इतनी प्रोपर्टी है कि पूरे बिहार के मायनरिटी की माली हालत को सुधार सकता है लेकिन साथियों, कहते हुए इस सदन में द्:ख हो रहा है कि पूरे वक्फ की जमीन को कहीं न कहीं भू-मफियाओं के द्वारा बंदरबाट करके रोकने का काम किया जाता है, लूटने का काम किया जाता है ।

श्री ललित कुमार यादव : सभापति महोदय, मेरी पार्टी की ओर से लाल बाबू राम का 10 मिनट का समय है, नवाज आलम साहेब के समय में ही उनके समय को शामिल कर लिया जाय ।

सभापति (श्री तारकिशोर प्रसाद): ठीक है ।

श्री मो0 नवाज आलम : सभापति महोदय, वक्फ की जमीन पूरे बिहार में सुन्नी वक्फ बोर्ड और सिया वक्फ बोर्ड की जो जमीन है, पटना में है, उसपर शौपिंग कम्पलेक्स बना दिया जाय तथा प्लस टू स्कूल बनाने की और तमाम चीज बनाने की घोषणा है और शादी विवाह का मण्डप बनाने की, आप चाहते भी हैं कि अल्पसख्यक का विकास हो तो निश्चित रुप से एक दरियादिल दिखाने का काम कीजिये और तमाम अतिक्रमण किए हुए जो भ-ूमाफिया जो पटना के डाक बंगला चौराहा पर, निरज भाई जानते हैं, वैसे लोग कब्जा किए हुए हैं जिनने पूरे अल्पसंख्यक समुदाय को तार तार करने का काम किया है । वैसी जगहों पर शौपिंग कम्पलेक्स बनाने का काम करेंगे और तमाम चीजों को सुधाारने का करने का काम करेंगे तो हम मानेंगे कि आप अल्पसंख्यक समुदाय के हितैषी है । उसी तरह से महोदय, आरा का बीबी

जान की जमीन है लगातार हम सदन में इस बात को रखते रहे हैं । आप जानते हैं कि हर जिले में प्लस टू स्कूल देने की घोषणा और इन किताबों में आपने चमकाने का काम किया है । आपका यह रंग रोगन चमकाने वाला काम है तो निश्चित रुप से आप सरजमीन पर चलिए । आप चाहते हैं कि वहॉ प्लस टू का स्कूल बने, आप चाहते हैं कि विवाह मण्डप बने, आप चाहते हैं कि अल्पसंख्यकों की माली हालत सुधरे और अकलियतों की माली हालत सुधारना है तो निश्चित रुप से रोजगार से जोड़ना होगा । क्या कारण है कि आप तमाम चीजों में भेदभाव किए है और इसीतरह से बुरा चाहते हैं जो हम बेबसों का हम आपके ऊपर कह रहे हैं, सर,'' बुरा चाहते हैं जो, हम बेबसों का, हम उनका भी दिल से भला चाहते हैं ।'' इसी शब्द के साथ महोदय, मैं आगे अपनी बात को रखते हुए, हम कहना चाहते हैं कि आपने मायनरिटी कमीशन बनाया और वह लगभग दो साल से बंद पड़े थे । माननीय मुख्यमंत्री जी आप सेकुलर नेता है । आप चाहते हैं कि पूरे हिन्दुस्तान में कहीं न कहीं नेता के रुप में जाने जांय तो आप आगे बढ़िये निश्चित रुप से मायनरिटी कमीशन को जो दो साल से बंद रखा, आदरणीय लालू यादव ने मायनरिटी कमीशन की स्थापना की थी और यह उसके लिए स्थापना की थी जो वंचित समाज है, बैक बेंचर्स समाज है जिसका उत्पीड़न होता था मौब लिंचिंग तमाम जगहों पर वैसे लोगों का कहीं दोहन होता है तो मायनरिटी कमीशन में जाकर अपनी पीड़ा रखता । आपने दो साल तक मायनरिटी कमीशन को बंद रखा । आपसे जानना चाहते हैं कि इस नाइंसाफी का भागीदार कौन होगा । इसीतरह से महोदय, आपने उर्दू एकेडमी का सत्यानाश कर दिया । भाई नेमतुल्लाह जी बोल रहे थे उर्दू एकेडमी के बारे में । हम बताना चाहते हैं साथियों की वह उर्दू एकेडमी मोशायरे का अड्डा बन चुका है । तमाम जगह सुनिये तो मोर्या लोक और भारतीय नृत्य कला मंदिर में उर्दू एकेडमी द्वारा मुशायरे लगाये जाते हैं । आपसे हम जानना चाहते हैं कि क्या उन बच्चों के मुशायरा करने से जो पीड़ित परिवार हैं, उनका भला होता है ? आप उर्दू एकेडमी का भला करना चाहते हैं । उर्दू जुबान कोई मुसलमानों की जुबान नहीं है । यह जुबान हिन्दुस्तान की जुबान है । इनक्लाब का नारा इस जुबान से दिया गया इसलिए आपसे हम कहना चाहते हैं कि उर्दू जुबान को आप जो शर्मशार कर रहे हैं, आप उसकी खूबसूरती को अगर बढ़ाना चाहते हैं तो तमाम जिलों में उर्दू एकेडमी की शाखा चालू करें । (व्यवधान) मंत्री जी समझ रहे हैं तब ही पीछे बैठे हुए हैं । सभापति महोदय, माननीय मंत्री, कला संस्कृति आप बैठे हुए हैं आगे जो कला के माध्यम से अपने बेचारे की मजबूरी है कि उनको पर्यटन से हटकर दूसरी जगह जाना पड़ा । हम जानते हैं इनकी पीड़ा, इनकी समस्या को मैं

जानता हूँ । कला संस्कृति मंत्री महोदय, आपने जो संग्रहालय बनाया । पटना के बेली रोड से गांधी मैदान तक चमचमाने का काम किया है और 6 सौ करोड़ की लागत से जो म्यूजियम बनाने का काम किया है । हम जानना चाहते हैं महोदय, कि जो पुराना संग्रहालय था, उस संग्रहालय की जो गुणवता थी उसको देखने से लगता था, वह तमाम चीजों को कहीं न कहीं आपने धूमिल करने का काम किया है । मैं एक बहुत ही बारीक चीज बता रहा हूँ कि वहॉ जो संग्रहालय बना 6 सौ करोड़ की लागत से वह संग्रहालय नहीं है, वह सायंस भवन के रुप में देखा जायेगा । कभी जाकर देख लीजिये तमाम जो पुराने संग्रहालय के सामान थे, उस संग्रहालय के सामान को, यहॉ स्थानांतरित कर दिया गया और बहुत ही चालाकी से उस संग्रहालय में जो एक्सपर्ट होना चाहिए उस एक्सपर्ट की नियुक्ति नहीं की गयी, यह खेद का विषय है इसलिए कि हिन्दुस्तान बिहार की गरीब जनता का 6 सौ करोड़ रुपये की लगात से जो संग्रहालय बना वह कोई उपयोगी नहीं है । पूरा साल जल जमाव से डूब रहा है। पूरा विभाग डूब रहा है । अल्प संख्यक विभाग को बजट देने की फुर्सत नहीं है इसलिए आज इस सदन के माध्यम से हम आपको कहना चाहते हैं कि यह जो नाइंसाफी हो रही है जिसतरह से माननीय खेल मंत्री जी मेरे जिला में आपने घोषणा की थी, सरकार ने घोषणा की थी कि हम हर जिले में स्टेडियम बनाने का काम करेंगे लेकिन आपने स्टेडियम नहीं बनाया । आरा में गंगहर पंचायत है और उस पंचायत में कौसी दुलालपुर दलित पिछड़े गरीब लोगों की जमीन पॉच छः एकड़ जमीन को लोगों ने देने का काम किया है । वहॉ के लोगों ने एन. ओ.सी. लिखने का काम किया । कर्मचारी ने लिखने का काम किया लेकिन आजतक सरजमीन पर नहीं उतारा है इसलिए इस कटौती प्रस्ताव का विरोध करते हैं और इसलिए पक्ष में है कि आप तमाम चीजों में कहीं न कहीं फिसड्डी साबित हुए हैं । आज उसीतरह से महोदय, आपका आरा का रमना मैदान । आरा का रमना मैदान महोदय, माननीय मंत्री जी आपको इसलिए कह रहे हैं कि उस सभा में लगता है कि आप भी मौजूद थे, माननीय नरेन्द्र मोदी आरा की बोली लगाये थे । एक करोड़ दूं, दो सौ करोड़ दूं, पॉच सौ करोड़ दूं लो सवा सौ लाख करोड़ दिया । आप बताईये कि आरा के रमना मैदान का आपने जीर्णोद्धार तक नहीं कराया । आप कैसे अनुयायी हैं, कैसे मानने वाले लोग हैं इसलिए हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि उस आरा के स्टेडियम का जीर्णोद्धार कैसे होगा । इसीतरह से महोदय, आपने तमाम चीजों में विफल साबित होने का नमूना पेश किया है इसलिए सदन के माध्यम से कहना चाहते हैं कि एक अच्छे शायर ने कहा था कि ''झूठी शान के परिन्दे ज्यादा दिन ज्यादा फड़फड़ाते हैं, तरक्की के बाज की उड़ान कभी आवाज

नही होती'' हमलोगों की जो उड़ान थी उसमें आवाज नहीं होती । यह झूठी शान में उड़ रहे हैं कि हम हन्ड्रेड परसेंट सीट लेकर आए । बहुमत में आए लेकिन साथियों आपको बताना चाहते हैं कि आपकी उड़ान निश्चित रुप से चकनाचूर होने वाली है । सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस के लिए नारा देने का काम हमारे आदरणीय जन जन के नेता ने दिया था ।

क्रमशः

टर्न-17/11.07.2019/बिपिन

श्री मोहम्मद नवाज आलमः क्रमशः उसको जमीनी सतह पर उतारने का काम किया था । आपने सिर्फ खोखले वादे किए हैं और उस खोखले वादे का निश्चित रूप से अंजाम बुरा होगा । इन्हीं चंद शब्दों के साथ पुनः मैं इस कटौती प्रस्ताव के पक्ष में अपना समर्थन करते हुए आपने हमें बोलने का मौका दिया और तमाम सदन के नेता ने बोलने का मौका दिया । इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं ।

सभापति(श्री तार किशोर प्रसाद): माननीय सदस्य श्री ललन पासवान जी । 10 मिनट ।

श्री ललन पासवान : महोदय, कटौती प्रस्ताव के खिलाफ और सरकार के पक्ष में बोलने के लिए मैं खड़ा हूं ।

(व्यवधान)

ऐसे भी मैं सच-सच बोलता हूं । आप भले संविधान का शपथ खाते हैं लेकिन गड़बड़ा जाते हैं । जब इधर रहते हैं तो दूसरा चीज बोलते हैं, उधर जाते हैं तो दूसरा चीज बोलते हैं । दिक्कत है । हमेशा उसी तरह से बोलेंगे, चिंता मत करिए । दिक्कत यह है कि आप बदल जाते हैं, बेंच बदल जाता है तो आपलोगों की राय बदल जाती है ।

महोदय, सामाजिक न्याय और कई तरह की बातें हैं लेकिन बात जब आती है विकास की तब विकास के सवाल पर हम चर्चा करें तो आज से पहले 1980, 1990, हमलोग यहीं पटना में पढ़े-लिखे हैं । इधर वाले लोग भी और कई लोग हैं पढ़ने-लिखने वाले लोग, कुछ मंत्री बैठे भी हैं, तो महोदय, पहले तो मैं बधाई दूं माननीय तीनों मंत्रियों को- आदरणीय कला मंत्री को, परिवहन मंत्री को और माननीय मंत्री नीरज जी को और आपने अवसर दिया महोदय । सबसे बड़ी बात है कि पहले क्या था ? सड़क से लेकर लाल बस जो था परिवहन का, अभी चर्चा हो रही थी कि बस पर जगह मिलता था, ललका बस और कंडक्टर जो रहता था, बीच में ही अगर टायर खराब हो गया तो वह पूर्णिया, अररिया रह जाना पड़ता था । आदमी का चश्मा बदल जाता है । हमारा नहीं बदलता है । चश्मा बदल जाता है । जब इधर रहते हैं तब चश्मा दूसरा पहन लेते हैं और उधर रहते हैं तो चश्मा दूसरा पहन लेते हैं । यह बात ताली ठोक रहे हैं ललित भाई,

हमलोग उधर जब थे तो इतना खड़े होकर गरजते थे, अब भाई वीरेन्द्र जी तो चले गए, सटने नहीं देते थे । माननीय नीतीश कुमार का नाम जैसे राम का नाम लेते थे, वैसे रटते थे । समझे कि नहीं ? और मैं उधर भी था और देखिए सामाजिक न्याय के नेता जा रहे हैं और सबसे बड़े चिंतक, सबसे बड़ी बात है कि उसका मूल्यांकन जब हो तब हमलोग शपथ खाकर आते हैं कि हम संविधान का शपथ खाते हैं, सच बोलेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे और जब बोलने की बात होती है तो हमारी पार्टी, हमारी जाति हो जाती है । हमारी पार्टी तो रहती है, पार्टी में हम रहते हैं लेकिन हम सच-सच बोलते हैं बाहर भी और यहां भी .....

(व्यवधान)

माले वाला बात मत बतिआइये ...

(व्यवधान)

सभापति(श्री तारकिशोर प्रसाद):शांति । शांति । बातचीत नहीं करें ।

श्री ललन पासवान : महोदय, शक्ति यादव जी को आदत है न ! वे पुराना छात्र जीवन में कहीं घूमते-उमते रहते थे, उस समय इसी तरह से करते रहते थे ।

महोदय, जो कल का बजट था और आज का बजट है और बिहार आज प्रगति के रास्ते पर है माननीय नीतीश कुमार और सुशील मोदी की अगुआई में । हमलोग उस विषय पर चर्चा करते थे उधर भी थे तब भी लेकिन जहां जो बातें बनती थी, बिगड़ती थी उसपर चर्चा करते थे । लेकिन पूरी तरह चश्मा बिगाड़ कर देख रहे हैं कि विकास है ही नहीं, तो क्या थी पूर्णिया-कटिहार की सड़कों की स्थिति ? हमलोग आते थे चावल लेकर तो दस घंटा लगता था, पहले किलोमीटर लिखा जाता था । किलोमीटर पहले लिखाता था, अब लिखाता है कई घंटा में पहूंचेंगे पटना । महोदय, मैंने कहा कि कितनी गाड़ियां आज बढ़ गई, माननीय सदस्य सचिन्द्र जी बोल रहे थे, कल का बसों की स्थिति और आज का, नेपाल से पूर्णिया, और कटिहार से, कई रूटों में परिवहन का विकास हुआ । पटना में जो बस चलती थी, आज सिटी बस जो चल रही है सब जगह जाने का, इंसान स्वयं और सरकार पूरी तरह राम के समय, कृष्ण के समय में पूरी तरह सब कुछ हो जाती तब तो ये चर्चा ही नहीं होती, लेकिन ये कोई-न-कोई बात रह जाती है लेकिन विकास जिन लोगों ने पचास-पचपन साल राज किया, पंद्रह साल अभी तो पूरा नहीं हुआ, बीच में गड़बड़ा गया था, उसके लिए.....

(व्यवधान)

उसके लिए उधर वाले लोग ही जिम्मेवार हैं लेकिन बात इसकी नहीं है महोदय । सही बात कहना है कि आज गाड़ियों में वृद्धि हुई । माननीय मंत्री निराला जी स्टेडियम का, सूचना के अधिकार का, यह विकास नहीं है तो क्या है ? चश्मा गड़बड़ा

गया तो क्या उसका उपाय है क्या ? और परिवहन की, मेरे यहां भी चेनारी में नहीं चलता था, अब चलता है पटना । रेलवे के बाद परिवहन जीवन का असल लाइफ लाइन है जिसके बाद कोई रास्ता नहीं है । अब तो इंसान कोई काम करना ही नहीं चाहता है । अब हमलोग के रैली में भी पिछला बस में कोई बैठना नहीं चाहता है । अब तो फोर व्हीलर से नीचे नहीं उतरता है । शक्ति जी का गोतिया भी नहीं बैठेंगे । पहले तो बैठ जाते थे ।

महोदय, जो स्थिति है और हम इसीलिए कहे कि नीतीश कुमार जी ने जो ऊंचाई बिहार का, हम नहीं कह रहे हैं, अब तो बिहार नहीं, भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी के योजना में भी सात निश्चय शामिल हो रहा है । यह बात भी तो हम, जोड़ने की बात है कि भारत का भी ...

(व्यवधान)

सभापति(श्री तारकिशोर प्रसाद): अपनी बात जारी रखें माननीय सदस्य ललन जी ।

श्री ललन पासवान : शक्ति जी को आदत है । तो अब तो बात यहां यहां आ गई कि चाहे सारे सवालों पर, चाहे महिलाओं के सशक्तिकरण का सवाल हो, चाहे नल से जल, बिहार प्रयोगशाला और पाठशाला है । गांधी जी के समय से लेकर अभी तक और नीतीश कुमार ने भी जो प्रयोग किया है और जो राज्य में उसका अनुकरण, चाहे वह शराबबंदी का सवाल हो, चाहे बाल विवाह का सवाल हो, ज्याति बा फूले के बाद नीतीश कुमार ने ही प्रयोग किया । अवसर तो सबको मिला लेकिन जिसके विचार जाएंगे, कर्पूरी ठाकुर ने जो किया, लोहिया जी ने जो किया, हम रहें या नहीं रहें, यह कुर्सी हमेशा रहेगी । यह सदन शाश्वत है । हम बैठे हुए लोग शाश्वत नहीं हैं । हम जो बोलेंगे वह लिखाएगा । आने वाली पीढ़ी हमारा, आपका समाज देखकर जाएगा लेकिन बात उसकी नहीं है महोदय, इसलिए समय का भी अभाव है शक्ति यादव भी जानते हैं कि कुछ बोला जाएगा तो गड़बड़ा जाएगा ।

महोदय, परिवहन का जो स्थिति था पल-पल का और आज की जो स्थिति है बजट का, 2000 के पहले 1990, 2005 के बीच का और आज है, सरप्लस कर रहा है 2067 रेवेन्यु है सिर्फ परिवहन का, इतनी ऊंचाई पर परिवहन जा रहा है, इसलिए कि सड़कें बनी है तब परिवहन बढ़ा है और नहीं तो खटारा में पंचम लाल जी बैठा करते थे, एक दिन मैं मिलने गया था, आज नहीं, छात्र जीवन में, एम.एल.ए. से पहले तो लगता था कि कहां बंदरगाह में हमलोग घुस गए हैं । हमलोग के जदयू के कार्यालय के बगल में था । समता पार्टी उस समय था । हमलोग उस समय एम. एल.ए. नहीं हुआ करते थे लेकिन जो हालत थी, परिवहन निगम था, मैंने कहा कि कंडक्टर कहां उतर का भाग जाता था ललका गाड़ी से, इसलिए 55 साल राजेश जी का राज्य रहा, साठ साल रहे

दिल्ली से लेकर पटना तक और कभी शेरशाह, इसीलिए मैं कहता हूं कि कर्म करने वालों का, हम भी एम.एल.ए. हैं चेनारी से । कभी सड़क नहीं बने थे । अकेले में बना 1000 करोड़ का साढ़े तीन वर्षों में सड़क और काम करने वालों को कोई रोकता थोड़े है और यह बात नहीं है इसलिए महोदय जो करेगा...

(व्यवधान)

सभापति(श्री तारकिशोर प्रसाद): शांति । शांति । टोका-टोकी नहीं करें । बोलने दें ।

श्री ललन पासवान : इसलिए महोदय, हम आग्रह करेंगे ।

सभापति(श्री तारकिशोर प्रसाद): टोका-टोकी नहीं करें । शांति । शांति । बोलने दें माननीय सदस्य को ।

महोदय, बिहार के 534 प्रखंड हैं । सवा सौ प्रखंड बचा होगा जहां कि स्टेडियम नहीं बना होगा । कोई बिहार का गांव नहीं जहां टेंपू नहीं जाता है और कोई गाड़ी नहीं जाता है । परिवहन पर चर्चा, बजट पर माननीय मंत्री जी बताएंगे । मैंने कहा कि 2067 रेवेन्यु, सरप्लस किया एक बार 1952 से लेकर जितना सी.ए.जी. का रिपोर्ट है एक बार पढ़ लेने की जरूरत है हमलोगों को । सबलोगों को जिनके राज्य रहे हैं अभी तक, इसलिए अभी जो सरप्लस किया तो उसका तो वर्णन करना पड़ेगा .... क्रमशः...

टर्न : 18/कृष्ण/11.07.2019

श्री ललन पासवान (क्रमशः) : महोदय, हम आग्रह करेंगे । महोदय, हमारे यहां सासाराम में बस डिपो है, वह स्थानान्तरित हो गया है, वह बन रहा है । हम माननीय मंत्री जी से आग्रह करेंगे कि सासाराम का बस डिपो जल्द ही बन जाय । मेरे यहां सितौड़ा है, वहां बस स्टैंड के चलते पूरे थाना पर जाम लगता है । मेरे यहां नौहट्टा में बस स्टैंड नहीं है । माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि वहां बस स्टैंड का निर्माण हो जाय । सासाराम में परिवहन निगम का बस अड्डा है, बगल में जमीन हो गया है, अब वह बन रहा है, लेकिन यथाशीघ्र बन जाये जिससे जाम से लोगों को निजात मिले, यह हम आग्रह करेंगे । महोदय, बिहार में जितने एक्सीडेंट होते हैं, लोगों को ड्राईविंग लाईसेंस परिवहन विभाग के पदाधिकारी देते हैं, जिसके अभाव में एक्सीडेंट होते हैं । महोदय, इसमें मेरा सुझाव है कि ड्राईविंग ट्रेनिंग सेंटर खुलना चाहिए और तब उसको ड्राईविंग लाईसेंस मिलना चाहिए । यह बात ठीक है कि आज हम सारी चीजों को ऑन लाईन कर रहे हैं और इसको करने की जरूरत है ।

सभापति (श्री तारकिशोर प्रसाद) : माननीय सदस्य आपस में बातचीत नहीं करें ।

श्री ललन पासवान : महोदय, हम आग्रह करेंगे कि अधौरा से जो दो जिलों को जोड़नेवाली सड़क है, अब शुरू होनेवाली है, बन जायेगी लेकिन दो जिलों को जोड़ने में परिवहन निगम की बस, जो अधौरा से चले तो पहाड़ होते हुये नीचे से पटना तक आये ।

सभापति (श्री तारकिशोर प्रसाद) : माननीय सदस्य आप अपनी बात समाप्त करेंगे ।

श्री ललन पासवान : महोदय, हम आग्रह करेंगे कि हमारे यहां चेनारी में स्टेडियम नहीं है, तीन प्रखंड हम बना लिये हैं, लेकिन एक प्रखंड नहीं है चेनारी में । रेड़िया हाई स्कूल 10 प्लस टू, क्वेश्चन में सरकार का सकारात्मक जवाब भी आया है, माननीय मंत्री जी जवाब दिये थे, हमको लगता है कि रिपोर्ट आ गया होगा डी0एम0 से, इसलिए यथाशीघ्र बनवा दीजिये, 2530 एकड़ भूमि है और हमारे मुख्यालय से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर है । यही बात कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं और आप को धन्यवाद देता हूं । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

सभापति (श्री तारकिशोर प्रसाद) : माननीय सदस्य श्री रामप्रीत पासवान जी ।

श्री रामप्रीत पासवान : सभापति महोदय, आज हम 2019-20 के परिवहन विभाग के बजट पर प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव के विरोध में और बजट के पक्ष में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं । महोदय, विगत वर्षों में इनकी सरकार 50-55 साल रही है। जब हमलोग स्कूल में पढ़ते थे तो परिवहन निगम की लाल-लाल बसें जिस पर बिहार राज्य पथ परिवहन निगम लिखा हुआ मिलता था ।

(व्यवधान)

सुन लीजिये सत्यदेव भाई । और यह बस जिसने चलवाया और उसके जो चेयरमैन थे, सारे बसें तो खत्म हो गयी, लाल बस तो बिहार को लाल नहीं कर सकी लेकिन उस समय के जो पदाधिकारी थे, जिनकी सरकार थी, वह जरूर लाल हो गये, उस लाल बस से ।

अभी हमारे मित्र कह रहे थे कि आप को जनादेश मिला, आप को बहुत अहंकार हो गया । मैं इनसे कहता हूं कि मुझे अहंकार नहीं हुआ है । मैं काम करके दिखाया हूं पांच साल और जनता ने मुझे जनमत दिया है । अहंकार आप को हो गया है, जो मुझे आप ईशारा कर रहे हैं । मुझे अहंकार नहीं हुआ है और फिर मैं काम कर रहा हूं । मैं काम करके जनमत प्राप्त किया हूं और 40 में 39 लिया हूं और पुनः मिलेगा । आप जो ईशारा करते हैं उससे कुछ होनेवाला नहीं है । जनता देख रही है । आप ने 15 साल शासन किया और आपने क्या-क्या किया, सारे लोग जान रहे हैं । रोड में गड्ढा था या गड्ढा में रोड था, चरवाहा विद्यालय था, सारे लोग ये जान रहे हैं । इसलिए वह समय बतायेगा । ठीक है, वह लाल बस खत्म हो गया लेकिन बसें चल

रही है । पहले कभी भी परिवहन निगम में मुनाफा नहीं हुआ है राज्य को, राज्य को इसी साल मुनाफा हुआ है, हमारे ही सरकार में हुआ है । इससे पहले कभी मुनाफा नहीं हुआ । पहले केवल नुकसान होता था और जो बस जहां खड़ी होती थी वहीं खड़ी रह जाती थी । कंडक्टर और ड्राईवर भाग जाते थे परिवहन निगम बस की । लेकिन अब जो बसें चल रही है, वह चल रही है । यह ठीक है कि उसमें कुछ सुधार की जरूरत है । हमने बसें चलायी है, अन्तर्राज्यीय और अन्तर्राष्ट्रीय बस चलाये हैं । गया से काठमांडू बस जा रही है, पटना से जनकपुर बस जा रही है । यहां से यू0पी0 बस जा रही है । बस की कमी है, यह मैं महसूस करता हूं । एक मित्र बता रहे हैं बस खचाखच भरी रहती है, जनसंख्या की वृद्धि का यह परिणाम है । बस कम हैं लेकिन पहले से काफी सुधार है । यह बात आप को भी कबूल करना चाहिए । ऐसा नहीं की नहीं हुआ है हमने सुधारने का काम किया है । आपको तो परिवहन विभाग में और पैसा देने की चर्चा करनी चाहिए, कटौती का प्रस्ताव तो आप बेकार लाते हैं, आप उसको बढ़ाने का प्रस्ताव लाईये न । उससे और अधिक विकास होगा । ज्यादा से ज्यादा विकास हो, उस पर तो आप चर्चा नहीं करेंगे । आप कटौती का प्रस्ताव लाते हैं, इसमें कटौती का प्रस्ताव नहीं लाना चाहिए । तो निश्चित रूप से हमने जो काम किया है । परिवहन विभाग जहां लाईसेंस बनता है, पहले जो लाईसेंस बनता था तो पहले के लाईसेंस में और अब के लाईसेंस में अंतर है । हम लाईसेंस का कार्ड देते हैं । आप कहते हैं कि 18 वर्ष से कम उम्र के लोगों को लाईसेंस देते है, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता है । जिसका उम्र 18 वर्ष हो गया, उसी का लाईसेंस बनता है।

सभापति (श्री तारकिशोर प्रसाद) : शांति शांति ।

श्री रामप्रीत पासवान : आप लोग गरीब के बच्चों को ले जाकर के ट्रैक्टर सीखा कर बिना लाईसेंस का अपना खेत जोतवाते हैं । यह अलग बात है । आप टेम्पो चलवाते हैं, यह अलग बात है । वह बिना लाईसेंस के रहता है । आप उनसे खेत जोतवाते हैं और गरीब के साथ मजबूरी है । आज क्या होता है? आप नई गाड़ी पर चढ़ते हैं ।

(व्यवधान)

सभापति (श्री तारकिशोर प्रसाद) : शांति शांति ।

श्री रामप्रीत पासवान: सभापति महोदय, ये लोग नई गाड़ी पर चढ़ते हैं, इनको धुआं लगता है । गरीब आदमी सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदता है और गरीब अपना शौक पूरा करता है । आज मोटर साईकिल हो या टेम्पो हो, गांवों में जो गरीब तबके के लोग हैं, वह सेकेंड हैंड गाड़ी खरीद करके अपनी जीविका चलता है और ये कहते हैं कि

हमको धुआं लगता है । आपको धुआं लगता है और उसके बाल-बच्चे का भरण-पोषण होता है । आप नई गाड़ी पर चढ़ते हैं और गरीब लोग आप का सेंकेंड हैंड गाड़ी खरीद करके, टेम्पों खरीद करके अपने परिवार का भरण-पोषण करता है । इसकी चिंता आप को भी करनी चहिए । आप कहते हैं कि मुझे धुआं लगता है । क्या मजाक है ?

सभापति महोदय, परिवहन विभाग पहले से निश्चित रूप से बेहतर हुआ है और सुदूर गांव नदी के उस पार हमारी सरकार में सडकें बनीं, पुल बनें और जहां कोई बस नहीं जाती थी, जब कोई बीमार पड़ता था तो खटिया पर मरीज को उठाकर उसको अस्पताल पहुंचाता था । आज वहां 4 टेम्पो लगा रहता है, आज लोग टेम्पों से मरीज को अस्पताल पहुंचाते हैं तो निश्चित रूप से हम कहेंगे कि विभाग आज काम किया है । हमारे ललित भाई भी इस बात को जानते हैं ।

सभापति (श्री तारकिशोर प्रसाद) : माननीय सदस्य, आप आसन को देख कर अपनी बात कहें ।

श्री रामप्रीत पासवान : महोदय, यह केवल कहने की बात है । सभापति महोदय, पटना में सिटी बसें चली और केन्द्रीय शहरी एवं आवास मंत्रालय द्वारा बेस्ट सिटी इनिशियेटीव एवार्ड,2018 बिहार को मिला है । यह बहुत बड़ी बात है । जो आज तक कभी नहीं मिला था । आज मोबाईल के माध्यम से यदि हमको गाड़ी का परमिट लेना है तो वह कार्ड बनता है, अब कार्यालय में जाने की जरूरत नहीं है, आज ऑन लाईन है, जो पहले नहीं था । तो भ्रष्टाचार इनके जमाने में था । हमलोगों के जमाने में तो भ्रष्टाचार तो नहीं के बराबर है। अगर कहीं है तो उसमें सब लोग दोषी हैं । इनके जमाने में भ्रष्टाचार था, परमिट पैसे पर मिलता था, लाईसेंस की दूर की बात है । फोटो आदि कुछ नहीं था । जो कोई खड़ा हो जाता था और लाईसेंस बनाकर ले जाता था । अब तो बिचौलिया खत्म हो गया ।

(व्यवधान)

घोटाला तो आप के जमाने में होता था । हमलोगों के जमाने में कोई घोटाला नहीं हो रहा है ।

सभापति (श्री तारकिशोर प्रसाद) : माननीय सदस्य आप आसन की ओर देख कर बोलिये ।

श्री रामप्रीत पासवान : महोदय, अल्पसंख्यक कल्याण के लिये राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक छात्रावास बनाया गया और अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं को एक हजार रूपया प्रति माह की दर से अनुदान मिलता है ।

सभापति (श्री तारकिशोर प्रसाद) : माननीय सदस्य, शांति शांति । आपलोग अपनी-अपनी सीट पर बैठ जाय ।

श्री रामप्रीत पासवान : अभी घर जाने के लिये केन्द्र सरकार ने 2 लाख सदस्यों को ज्यादा संख्या में बढ़ाने के लिये काम किया है । ये तो कहते हैं कि मेरा काम नहीं हुआ । हम ने छात्रों को अनुग्रह राशि दिया है । छात्रावास बनाने का काम हमलोगों ने किया है । महोदय, वित्तीय वर्ष 2008-09 में राजस्व संग्रह का आग्रह 303.65 करोड़ था और 2017-18 में बढ़कर 1624.0 करोड़ हो गया है। उसमें भी बढ़ोत्तरी हुई है । वित्तीय वर्ष 2008-09 में जहां 2 लाख 20 हजार 413 गाड़ियां चलती थी, जिसका निबंधन हुआ । आज 2018-19 में 12 लाख 2 हजार 188 गाड़ियों का निबंधन हुआ है और उसमें भी 8 प्रतिशत की वृद्धि हुई है ।

क्रमशः

टर्न-19/अंजनी/11.07.19

श्री रामप्रीत पासवान :..क्रमशः.... तो निश्चित रूप से परिवहन विभाग में हमलोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं और परिवहन विभाग का जो बजट है, वह निश्चित रूप से बजट सराहणीय है । हमारे जो पदाधिकारी हैं, मैं अपने माननीय मंत्री जी को सुझाव दूंगा, मैं दो-चार इनसे आग्रह किया था कि जो पटना से जयनगर, जयनगर जो नेपाल के बोर्डर पर है, वहां निश्चित रूप से दो-तीन बस चलनी चाहिए । रोड वहां से जनकपुर जाने का सुविधा है तो निश्चित रूप से जयनगर के लिए पटना से बस हो । मधुबनी मेरा जिला है लेकिन मधुबनी में बस डीपो नहीं है, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि मधुबनी में निश्चित रूप से बस डीपो बने । बहुत समस्या है मधुबनी में, बस डिपो नहीं है तो वहां पर निश्चित रूप से बस डीपो बनना चाहिए । मेरा क्षेत्र राजनगर है, मधुबनी से राजनगर होते हुए अंधराटाढ़ी जाती है, सड़क बहुत बढ़िया है, वहां आप निश्चित रूप से परिवहन बस दें । अंधराटाढ़ी से लेकर राजनगर से लेकर पटना की बस चले । ट्रेन की जो सुविधा है, वह बहुत कम है तो निश्चित रूप से बस से यातायात लोग अभी-भी करते हैं । रोड बहुत ही सुन्दर बन गया है, इसलिए सुन्दर रोड बनने से बस का संचालन नियमित रूप से होता है । प्राइवेट बस वालों के द्वारा कुछ कठिनाई होती है, बस वाला कहेगा कि जयनगर जायेंगे और वह दरभंगा में उतार देता है तो जो हमारे पदाधिकारी यहां बैठे हुए हैं तो निश्चित रूप से उसपर अंकुश लगाना चाहिए । जो प्राइवेट बस वाले यात्री को ठगते हैं, खास करके जो पंजाब से, दिल्ली से, हरियाणा से कमाकर जो व्यक्ति आता है और बस पकड़ता है, कहता है कि जयनगर जायेंगे लेकिन उसको दरभंगा में ही उतार देता है । तो यहां जो भी बिचौलिया है तो निश्चित रूप से इसको देखना चाहिए, यह मेरा सुझाव है सरकार को और माननीय मंत्री जी को । हमारे माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो भी काम हुआ है, निश्चित रूप

से वह सराहनीय है । बिहार आगे की ओर बढ़ रहा है, वह विकास कर रहा है, हमलोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं । गांव के गरीब, गुरबा सारे लोग किसी-न-किसी रूप में.....

सभापति(श्री तारकिशोर प्रसाद) : अब आप समाप्त करें ।

श्री रामप्रीत पासवान : सरकार का एक-एक काम गरीब के घर में हुआ है, मैं इन्हीं चन्द शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आपने जो समय दिया, उसके लिए आपको बधाई देता हूँ ।

सभापति(श्री तारकिशोर प्रसाद) : माननीय सदस्य श्री आबिदुर रहमान जी, आपका 09 मिनट समय है।

श्री आबिदुर रहमान : सभापति महोदय, मैं ऐसे जिला से आता हूँ अररिया, पूर्णियां, किशनगंज, कटिहार जो माइनॉरिटी का जिला है । जंगए-आजादी की लड़ाई में जब हमारी हिस्सेदारी हुई थी 1857 में, जब जंगए-आजादी की लड़ाई लड़ी गयी थी तो हमारे माइनॉरिटी के पच्चास हजार लोगों का गला उतार दिया गया था और यू0पी0 से लेकर दिल्ली तक सारे दरख्त पर टांग दिया गया था । उस वक्त हमारी जंगए-आजादी की लड़ाई में हमारे हिस्सेदारी के हिसाब से हमें आजतक कुछ नहीं मिला और सारे लोग भी थे । जिस तरह से हलवा में किसमिस की तरह और हमें उस तनासुक के हिसाब से आजतक कुछ नहीं मिला है और हमें सिर्फ लॉलीपॉप चटाया गया और उसी तरह से हमें और जिस तरह से कहा जाता है और इस तरह से हमें और जहां भी माइनॉरिटी को लोन दिया जाता है, लोन का इस तरह तनासुम बांटा जाता है....

(व्यवधान)

सभापति(श्री तारकिशोर प्रसाद) : शांति-शांति । ध्यान से सुनें ।

श्री आबिदुर रहमान : ताकि हर जगह अपने दलाल के द्वारा देकर जिसको मिलना है लोन, उसे आजतक लोन नहीं मिलता है और दलालों के द्वारा हर जगह लोन का बंटवारा होता है। आधा मेरे जेब में और आधा तेरे जेब में तो इसी तरह माईनॉरिटी के साथ किया जा रहा है और माइनॉरिटी का लोन और गाड़ी सिर्फ अपने कागज के टुकड़े पर बंट रहा है ।

सभापति(श्री तारकिशोर प्रसाद) : माननीय मंत्री जी, अब आप एक बार आगे आ ही जाइए , पूरा सदन चाह रहा है कि आप आगे बैठें । आप आ जाइए ।

श्री आबिदुर रहमान : महोदय, इसी तरह उस जिला में जो भी माइनॉरिटी का हॉस्टल बना, आजतक कहीं भी कारगर नहीं हुआ और आज भी वह हॉस्टल खड़ा है लेकिन उसमें न तो कोई लड़का है, न कोई पढ़नेवाला है, इस तरह से माइनॉरिटी को जो लोन दिया गया, आज तक किसी के हाथ में नहीं मिला...

सभापति(श्री तारकिशोर प्रसाद) : माननीय सदस्य एक मिनट बैठ जायें ।

श्री खुर्शीद उर्फ फिरोज अहमद, मंत्री : महोदय, हमारे जनाब नवाजशरीफ साहेब ने काफी अकलियतों और इनक्लाब का नाम लिया, वाकई उर्दू इनक्लाब जो है, इनक्लाब आता है । हम खासकर हमारे अकलियत के भाई लोग....

(व्यवधान)

हम क्या कह रहे हैं सुनिए तो ।

सभापति(श्री तारकिशोर प्रसाद) : माननीय मंत्री जी, मुझको लगा कि आप कुछ शेर पढ़ने जा रहे हैं ।

श्री खुर्शीद उर्फ फिरोज अहमद, मंत्री : हम शेर ही बोल रहे हैं ।

सभापति(श्री तारकिशोर प्रसाद) : जल्दी बोल दीजिए ।

श्री खुर्शीद उर्फ फिरोज अहमद, मंत्री : अगर हिम्मत है तो वे लोग सुनें । तेरी दोस्ती से पहले..

(व्यवधान)

आप गौर कीजिए, शेर को सुनिए । तेरी दोस्ती से पहले..... आप लोग गौर से सुनिए । 1990 से 2005 तक....

(व्यवधान)

सभापति(श्री तारकिशोर प्रसाद) : माननीय मंत्री जी बैठ जाइए । माननीय सदस्य श्री आबिदुर रहमान जी, आप अपनी बात जारी रखें । सभी लोग बैठ जायें ।

श्री आबिदुर रहमान : अररिया, पूर्णियां, कटिहार, किशनगंज में जो भी माइनॉरिटी का पैसा लाखों-करोड़ों दिया गया लेकिन आजतक कुछ भी नहीं मिला । कहीं कुछ गड़ा भी नहीं, कोई मकान भी नहीं बना और दो साल से इस पैसे का अबतक सरकार का बिचौलियों में बंदरबांट किया जा रहा है । जब हमलोग पूरी दुनिया में, पूरे हिन्दुस्तान में कत्ल होते रहे और लोग हंसी-मजाक उड़ाते रहे और हमें जो भी देना चाहिए, हमें सिर्फ लॉलीपॉप चटाया गया । माइनॉरिटी जिला में जो भी पैसा भेजा जाता है, जैसे

(व्यवधान जारी)

सभापति(श्री तारकिशोर प्रसाद) : शांति, शांति । माननीय सदस्य श्री आबिदुर रहमान को सुनिये ।

श्री आबिदुर रहमान : हमारे अररिया में माइनॉरिटी को लूटने का काम किया जाता है । हमारे यहां एस0पी0 हैं सगुना राम, वह दो अंडा सुबह और दो अंडा शाम खाता है और हमें कुछ नहीं मिलता है और जो केस जहां जिस तरह से पड़ा है, वह उसी तरह से पड़ा हुआ है । सभापति महोदय, उसी तरह से हमारे यहां एक रजिस्ट्री ऑफिसर है और

उसका काम यही है कि लोगों को धोखा देकर, चेहरा देखकर, जिसके चेहरे में दाढ़ी हो या माइनॉरिटी हो, लूंगी पहना हो, उसको हमेशा से दोहन किया करते हैं और तरह–तरह से लोगों को परेशान किया करते हैं । इसी तरह से हमारे यहां जो भी डिपार्टमेंट हैं, जैसे आर0डब्लू0डी0 और उन्होंने अभी अरबों रूपया का घोटाला किया है और फिर उसको दोबारा से अररिया, फारबिसगंज का चार्ज भी दे दिया गया । हमारे मुख्यमंत्री जी को सोचना चाहिए, गौर करना चाहिए और उसी तरह से हमारे यहां जो भी डिपार्टमेंट हैं और जो माइनॉरिटी का डिपार्टमेंट है या जो भी डिपार्टमेंट है, यह सब सिर्फ कहने की बात है और हमें हमेशा लॉलीपॉप चटाया करते हैं । इसी तरह से हमें सभी दोहन किया करते हैं और जो भी अफसर को वहां भेजा जाता है, वह इसी तरह से हमें लूटते हैं । उसी तरह से रानीगंज हो, अररिया हो, पूर्णियां हो, जो भी केस माइनॉरिटी का केस है, उसे पेंडिंग में डाल दिया जाता है । एक केस 56/18 है, वह जिस केस करनेवाला, उसकी उम्र कम–से–कम 70 से 80 साल है, इस तरह के कई केस हैं, सिकटी का है, अररिया का है, पूर्णियां का है, किशनगंज का है, जौकीहाट का है, वह आज भी जेल में सड़ रहा है लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है । इसी तरह से हमलोग मर रहे हैं, खप रहे हैं और हमारे यहां जो लोग भी हैं माइनॉरिटी के, अगर लूंगी पहनते हैं तो गंजी नहीं पहनते, गंजी पहनते हैं तो कुर्ता नहीं पहनते, यह हालत दिन–रात बद–से–बदतर होती जा रही है । माइनॉरिटी को जो भी लोन मिलता है अररिया से, पूर्णियां से, किशनगंज से, कटिहार से यहां से वहां तक सारे दलाल लोग बैठे हुए है और उसका फाईल डिलिंग करके आधा पैसा अपने जेब में और आधा पैसा हमारे जेब में, इसी तरह से वहां पर बंदरबांट किया जा रहा है हुजूर । इसको देखा जाय । लिपापोती करके जो भी माइनॉरिटी का हॉस्टल बना है, कहीं भी कुछ नहीं है, खाली दिखावे का है और देखने का है, न कहीं बच्चा है, न कहीं होस्टल है, माइनॉरिटी के नाम पर सिर्फ एक जगह कहीं–कहीं डाल दिया है कि ताकि लोग देखो । इसको गौर किया जाय सभापति महोदय । मैं यह बात कहना चाहता हूँ और हमलोगों को हमेशा इसी तरह से बेइज्जती का सामना करना पड़ता है । मैं जंगे आजादी के लड़ाई में हमलोगों को जो हिस्सा हमें तनासुम मिलना चाहिए, उससे मैं महरूम हूँ । आज भी मैं महरूम हूँ, मुझे कुछ नहीं मिल रहा है । मैं जंगए–आजादी की लड़ाई में सबसे पहला हम्र हम्हीं लोगों का था, सबसे आगे हमलोग थे, तब उसके बाद कोई और लोग थे । दूसरे फेरहिस्त में और सारे लोग थे, सब लोग थे हमारे , सब लोग थे हमारे । इस एसेम्बली का जब से स्थापना हुआ हमारे परिवार का कोई–न–कोई सदस्य 1932 से लेकर अबतक हमलोग आ रहे हैं और इसपर भी गौर किया जाय कि किसी तरह से माइनॉरिटी को हमेशा आगे बढ़ावा मिलना चाहिए, बस

अब इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ । जय हिन्द, जय बिहार, जय बिहारवासियों ।

सभापति(श्री तारकिशोर प्रसाद) : माननीय सदस्य श्री सत्यदेव राम जी । दो मिनट में आप अपनी बात समाप्त करेंगे ।

टर्न-20/राजेश/11.7.19

सभापति (श्री तारकिशोर प्रसाद): माननीय सदस्य श्री सत्यदेव राम जी, आप दो मिनट में अपनी बात को समाप्त करेंगे ।

श्री सत्यदेव राम: सभापति महोदय, आज परिवहन विभाग सहित चार विभागों का बजट सदन में पेश किया गया है लेकिन बात हम परिवहन विभाग पर ही कर रहे हैं, ये कला संस्कृति एवं युवा विभाग, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, इसपर जब कोई चर्चा नहीं होगी महोदय, तो क्या हुआ है और आगे क्या होगा, तो इससे तो बिहार की जनता अनभिज्ञ रहेगी, अगर हम चर्चा भी करते हैं, तो इसके कोई जवाबदेह व्यक्ति नहीं हैं कि इस संबंध में कोई जवाब देगें महोदय, तो इसतरह से अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के मंत्री, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के मंत्री एवं कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के मंत्री को भी बिहार का लोग नहीं जानेगा कि ये भी मंत्री हैं, तो ऐसा क्यों किया जा रहा है ? यह एक उपेक्षा है महोदय, पहले हमलोग भी देखा है, 1995 से हम विधायक है महोदय, हमलोग देखते थे पहले कि विभाग गिलोटीन में डाले जाते थे लेकिन उसके मंत्री हस्तक्षेप करते थे वह पॉच मिनट, आप भी उसमें शामिल रहे हैं लेकिन अभी जो देखा जा रहा है कि सिर्फ एक विभाग पर और बाकी सब लोग, इसतरह से इस विभाग को डाल दिया गया है कि मंत्री लोगों का भी गिलोटीन कर दिया गया है ।

महोदय, सीवान में आज की तारीख में एक भी परिवहन विभाग की बसें नहीं है । हमलोग मांग करते रहे हैं लेकिन एक भी बस नहीं चल रही है । इससे पहले यानि आपके पहले सीवान से, रघुनाथपुर से, आंदर से, यानि सारे प्रखंडों से एक बस चला करती थी लेकिन आज हमलोगों के लिए, सीवान के लोगों के लिए एक भी बस नहीं चल रही है, इसलिए आज हम सदन के माध्यम से मांग करेंगे की सीवान से पॉच बसें चलाने की स्वीकृति मिले । महोदय, कला संस्कृति एवं युवा विभाग है और आज बहुत सारे खेलों के बारे में चर्चा की गयी है महोदय लेकिन हम कहना चाहते हैं आपसे कि आज पूरा देश मायूस है, सदन मायूस है, पूरा देश मायूस है क्यों, तो वह इसलिए कि

भारतीय क्रिकेट टीम हार गई है और इससे सारे लोग मायूस हैं । महोदय, आज हमलोग गॉवों में देख रहे हैं कि गॉव के लड़के, बच्चे, चाहे वह गरीब का हो, मध्यम वर्ग का हो या जिसका भी बच्चा हो, वह एक ही खेल खेल रहा है और वह है क्रिकेट.....(व्यवधान)

सभापति (श्री तारकिशोर प्रसाद): माननीय सदस्य अब आप अपनी बात को समाप्त करें ।

श्री सत्यदेव राम: महोदय, क्रिकेट गॉव में बत्ती जला करके रात में बच्चे खेल रहे हैं और यह एक तरह से पूरा इनभौल्वमेंट बन गया है..... (व्यवधान)

सभापति (श्री तारकिशोर प्रसाद): अब आप समाप्त करें, अब हो गया ।

श्री सत्यदेव राम: लेकिन महोदय, कला,संस्कृति एवं युवा विभाग पर कोई चर्चा नहीं है कि बच्चों को प्रोत्साहित करने का हमारे पास कोई व्यवस्था है, कोई इंतजाम है लेकिन सिर्फ राजगीर में अन्तर्राष्ट्रीय स्टेडियम की चर्चा हुई है, जिसका 2018 में शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है लेकिन अभी वह काम आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है, इसलिए मैं कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के मंत्री एवं बिहार सरकार से कहना चाहता हूँ कि माहौल को समझिये, आपको वोट मिला है जरुर लेकिन अगर इसको इग्नोर करेंगे, तो आने वाले समय में आपको भी लोग इग्नोर कर देगा, इसे कोई रोक नहीं सकता है ।

सभापति (श्री तारकिशोर प्रसाद): अब आपका समय समाप्त हुआ । माननीय सदस्य श्री चन्द्रसेन प्रसाद, 10 मिनट ।

श्री चन्द्रसेन प्रसाद: सभापति महोदय, आज परिवहन विभाग के अनुपूरक बजट पर बात रखने के लिए कहा गया है तो इसके लिए हम आपको और इस विभाग के मंत्री आदरणीय निराला जी को, आदरणीय फिरोज साहब को, आदरणीय प्रमोद बाबू को एवं आदरणीय नीरज बाबू को इस बहस पर इन सबों को शुभकामना देता हूँ और सबसे ज्यादा शुभकामना बिहार के विकास पुरुष माननीय श्री नीतीश कुमार जी को, बिहार के उप-मुख्यमंत्री आदरणीय श्री सुशील कुमार मोदी जी को बधाई देना चाहते हैं । महोदय, आज क्या बात है कि आपलोगों का दिमाग उलटा चल रहा है, आज परिवहन विभाग पर चर्चा हो रही है, परिवहन विभाग सारे विभागों को ढ़ोने का जिम्मा लिया है, आज उस विभाग पर चर्चा हो रही है । महोदय, हम कहना चाहते हैं कि लोगों को ईर्ष्या है, किस बात का ईर्ष्या है, तो वह यह है कि निराला जी अच्छे मंत्री है, उनके काम अच्छे लगते हैं आपको लेकिन एक चीज आपको अच्छी नहीं लगती हैं, क्योंकि वे दलित समाज से आते हैं और दलित वर्ग से आते हैं, इसलिए यह बात आपको पच नहीं रहा है कि अनुपूरक बजट वे क्यों पेश करेंगे । महोदय, लोग चर्चा करते हैं कि अकलियतों के साथ अनदेखी हो रहा है । महोदय, हम कहना चाहते है कि हमारे आदरणीय मंत्री जी स्वेच्छा से अपनी सीट पर बैठे हुए हैं और इसकी चिंता हमारे

विरोधी दल के लोगों को है, क्या मंत्रिमंडल आप ही लोग बॉट रहे हैं, मंत्रिमंडल बॉटने की इच्छा है क्या ? महोदय, हम कहना चाहते हैं कि ये लोग न अखवार देखते हैं और न ही टी0भी0 देखते हैं और ये देखते हैं तो केवल लालटेन का चिन्हा देखते हैं जो युग अब समाप्त हो गया है । महोदय, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी का विकास का मिशन है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का न्याय के साथ जो विकास का इरादा है महोदय और वह न्याय के साथ विकास की गाड़ी आज पूरे बिहार में तेजी से बढ़ रही है, जिसकी चर्चा हम सदन को बताना चाहते हैं आपके माध्यम से, कि जब पाकिस्तान में चुनाव हो रहा था तो वहॉ के अभी प्रधानमंत्री जब पहली बार भारत में प्रेस वार्ता में आये, तो उनसे पूछा गया कि आप प्रधानमंत्री बनने वाले हो, ऐसी परिस्थिति में आप पाकिस्तान को कैसे उठावोगे, तो इमरान खान कहते हैं महोदय कि भारत में बिहार एक ऐसा राज्य है और वहॉ के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने जिसतरह से 15 वर्षों में जगल राज से नीचे से उपर उठाने का काम किया है, उसीतरह से हम पाकिस्तान को भी उठाने का काम करेंगे । महोदय, हम आपसे कहना चाहते हैं, आज लोग अकलियतों की बात करते हैं, जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने श्री नीतीश कुमार जी के आदर्शो और विकास के किरणों को पाकिस्तान तक देखने का काम किया, तो आज हमारे लोगों को नहीं समझ में आता कि वे किस चश्मा से देख रहे हैं महोदय, इसलिए हम कहना चाहते हैं कि आज परिवहन पर चर्चा हो रही है, आपको क्या दिक्कत है परिवहन पर चर्चा में, यह तो संसदीय प्रणाली है, कभी उर्जा पर होता है, कभी अल्पसंख्यक पर होता है, तो कभी कला,संस्कृति एवं युवा विभाग पर होता है, तो आज परिवहन पर है, परिवहन पर इसलिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार के विकास में परिवहन विभाग को चुना और परिवहन विभाग के माननीय मंत्री दलित समाज से आते हैं, यह पच नहीं रहा है आपको कि दलित समाज का मंत्री इस विभाग को ढ़ोवे लेकिन न्याय के साथ विकास की गाड़ी को मजबूत करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने भाई निराला जी को मंत्री पद दे करके सुशोभित करने का काम किया है ।

क्रमशः

टर्न-21/सत्येन्द्र/11-07-19

श्री चन्द्रसेन प्रसाद (क्रमशः): और इसीलिए महोदय, हम कहना चाहते हैं परिवहन के क्षेत्र में जिस तरह हमारे सत्ताधारी सदस्यों ने कई बातें रखने का काम किया, मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना, परिवहन के क्षेत्र में हम कहना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी परिवहन योजना उन्होंने शुरू करने का काम किया, उस योजना में क्या है महोदय, हम आपके

माध्यम से सदस्यों को बतलाना चाहते हैं कि परिवहन वहां पर सभी वर्गों को महादलित और अति पिछड़े लोगों को, पांच सदस्यीय लोगों को, एक पंचायत में पांच सदस्यीय लोगों को ये सुविधा दिया जायेगा और अनुदान दिया जायेगा और गांव के सुदूर इलाके में गाड़ी का व्यवस्था किया गया है अनुदान के माध्यम से, यह नई योजना है पूरे देश में, कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जहां इस तरह से व्यवस्था किया गया है महोदय । इसलिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी को और परिवहन मंत्री जी को बधाई देना चाहते हैं । बधाई इसलिए कि इस तरह का व्यवस्था देश के किसी राज्यों में नहीं है । हम कहना चाहते हैं कि जो भी परिस्थितियां है गाड़ी परिचालन में, परिचालन के सवाल पर पहले क्या होता था, लाल बस की चर्चा लोगों ने किया महोदय, हम उस ओर जाना नहीं चाहते हैं, 15 वर्ष की कहानी सुनते इनका दिमाग थोड़ा सा खराब हो रहा है इसलिए हम कहना चाहते हैं कि लाल बस पर लोग चढ़कर के सहरसा से, मोतिहारी से दो दिन में यहां पहुंचने का काम करते थे । महोदय, वही राज इनलोगों को पसंद है । महोदय, आज मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सड़क बढ़ियां हुई, गाड़ी चकाचक सड़क पर आया, पहले क्या होता था, पहले किसानों के लिए सड़क नहीं था, जब माल ले जाना रहता था, पहले चार चक्का का ट्रक चलता था महोदय और आज है कि 22 चक्का का ट्रक चल रहा है, यह किसका देन है, किसका देन है महोदय, तो आज परिवहन के क्षेत्र में जो विकास हुआ है और पहले क्या होता था, भैंसा का किसान लोग परिवहन का उपयोग करते थे, टमटम पर, बैल गाड़ी पर और आज बढ़ते कदम में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में 6 चक्का पर, 10 चक्का पर, 12 चक्का पर, 14 चक्का पर आज परिवहन का काम हो रहा है इसलिए महोदय परिवहन के क्षेत्र में चकाचक काम हो रहा है और जहां तक बस सेवा का सवाल है, कहते हैं कि गाड़ी धुआं देता है और धुआं काहे देता है ,जब सड़क पर लोग देखते हैं कि लालटेन वाला झंडा गाड़ी जा रहे है तो गाड़ी साईड करने में धुआं देता है महोदय, भड़कता है महोदय लालटेन को देखकर के, ये जो है भड़क जाता है गाड़ी और धुआं देने लगता है महोदय, हम कहना चाहते हैं कि न्याय के साथ विकास के गाड़ी को मजबूत करने के लिए परिहवन विभाग जो है एक से एक काम कर रहा है । वसूली के सवाल पर लोग कहते हैं, विराधी दल के लोग कहते हैं कि औफिसर जाते हैं और एकाएक वसूली हो जाता है । महोदय, सिस्टम बना हुआ है, पहले क्या होता था कि एम0भी0आई0 अफसर इनके राज में वसूल कर के पहुंचाने का काम करते थे और आज न्याय के साथ विकास, ईमानदारी पूर्वक एक सिस्टम के साथ पदाधिकारी काम कर रहे हैं, वसूली बढ़िया हो रहा है और न्याय के साथ विकास की गाड़ी मजबूत हो रही है । महोदय, आज बजट का जो हाल है वह पौन पांच अरब का

है(व्यवधान)पौने पांच अरब का है जो एक रेकार्ड है महोदय, पौने पांच अरब का जो बजट है, कभी लोग करोड़ से ज्यादा नहीं जाते थे और आज पौने पांच अरब का बजट है और उसमें भी कटौती प्रस्ताव, अगर आपको परिवहन पर चिन्ता है,वह उद्योग को ढ़ोता है, परिवहन सबको ढ़ोता है इसलिए हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि सभी क्षेत्रों में, परिवहन के क्षेत्र में काफी मॉडर्नाईज सिस्टम अपनाया गया है, चाहे गाड़ी के कर वसूली का सवाल हो, चाहे गाड़ी का नम्बर लेने का सवाल हो और चाहे ड्राईविंग लाईसेंस का सवाल हो, कह रहे थे कि ड्राईविंग लाईसेंस में बिलम्ब होता है, सिस्टम बना हुआ है, हमारे पदाधिकारी बैठे हुए हैं, मंत्री बैठे हुए हैं सिस्टम बना हुआ है कि इतना दिन में निपटारा हो जायेगा इसलिए महोदय माननीय नेता श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एक से एक काम हुआ है । कुछ दिन पूर्व हमारे कुछ लोग आये हुए थे फिलिपिन्स से, कह रहे थे कला संस्कृति के सवाल पर कि जब वे म्यूजियम गये महोदय तो कहते हैं कि यह म्यूजियम तो मैंने मलेशिया में भी नहीं देखा है, यह म्यूजियम तो मैंने सिंगापुर में भी नहीं देखा है और ऐसे यह म्यूजियम अमेरिका में नहीं है और यह म्यूजियम यह बिहार की धरती पर पटना के धरती पर है । महोदय, खेल के सवाल पर कहना चाहते हैं, कला संस्कृति विभाग ने काफी गंभीरता से लिया है और बिहार में जहां राजगीर पहले राजधानी हुआ करता था, वहां एक स्टेडियम का निर्माण कराया जा रहा है, वहां पर प्रशिक्षण भी होगा और वहां पर खेल भी होगा इसलिए महोदय, हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि सभी क्षेत्रों में न्याय के साथ विकास हो रहा है । जहां तक अल्पसंख्यक विभाग की बात है तो कौन राज्य में कब्रिस्तान की घेराबंदी हो रही है ? क्या आपने 15 वर्षों में किया, आप सिर्फ लड़ाई लड़ाने का काम करते थे, आपको वोट लेने का एक ही मुद्दा था आपस में गरीबों को लड़ाओ, दलितों को लड़ाओ और माले पार्टी को जिताओ लेकिन अब ये सब चलने वाला नहीं है, अब न्याय के साथ विकास की गाड़ी चलेगी और नीतीश कुमार और सुशील मोदी की गाड़ी चलेगी, यही हम कहना चाहते हैं महोदय और अंत में हमारा क्षेत्र चूंकि राजगीर से सटा हुआ क्षेत्र है, हम माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहते हैं पटना से हिलसा एकंगरसराय इस्लामपुर होते हुए राजगीर और पटना से एकंगरसराय होते हुए बोधगया और पटना से एकंगरसराय होते हुए बिहारशरीफ जो पावापुरी को भी टच करता है, नालंदा को भी टच करता है राजगीर तक की बस सेवा शुरू करने का काम करें । यही हम कहना चाहते, यही हम निवेदन करना चाहते हैं और जहां तक कला संस्कृति का सवाल है, हम माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहते हैं कि तेल्हाड़ा की धरती जो हमारे क्षेत्र में है, वहां नालंदा विश्वविद्यालय से पहले विश्वविद्यालय स्थापित था, खुदाई के उपरांत आपको मालूम होगा माननीय

मंत्री महोदय, खुदाई के उपरांत वहां पर जो अवशेष मिला, वहां पर 555 वर्ष पुराना पहली सदी से पुराना अवशेष मिला है इसीलिए वहां पर भी आप उसको कला संस्कृति से पर्यटन से जोड़कर के तेल्हाड़ा को भी उसमें शामिल करने का काम करें । इन्हीं चन्द शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ ।

सभापति (श्री तारकिशोर प्रसाद) माननीय सदस्या, श्रीमती रिंकी रानी पाण्डेय ।

श्रीमती रिंकी रानी पाण्डेयः सभापति महोदय, मैं 2019-20 के लिए पेश कटौती प्रस्ताव के विरोध में बोलने के लिए खड़ी हूँ । महोदय, राज्य सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बस सेवा की शुरूआत की गयी है जिसके तहत बिहार में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय बस सेवा की प्रतिदिन शुरूआत की गयी है जिसमें बोधगया पटना काठमांडू मार्ग पर दो बसें एवं पटना-जनकपुर मार्ग पर चार बसों को परिचालन किया जा रहा है । महोदय, बिहार राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा 2018 में सिटी बस सेवा की शुरूआत की गयी है जिसके अन्तर्गत पटना शहर के कुल 11 मार्गों पर पटना में 107, गया शहर में 3, बिहार शरीफ में 2 मार्गों पर सिटी बसों का परिचालन किया जा रहा है जिसमें महिलाओं के लिए 65 प्रतिशत सीट आरक्षित है अबतक प्रतिदिन इसके द्वारा 50 हजार यात्री यात्रा करते हैं । (क्रमशः)

टर्न-22/मधुप/11.07.2019

...क्रमशः...

श्रीमती रिंकी रानी पाण्डेय : महोदय, पटना सिटी बस सेवा को केन्द्रीय शहरी एवं आवास मंत्रालय द्वारा बेस्ट सिटी बस इनिसियेटिव अवार्ड, 2018 से पुरस्कृत किया गया है । महोदय, सरकार द्वारा सभी प्रकार के व्यवसायिक वाहनों की ऑटोमेटिक तरीके से जॉच हेतु अत्याधुनिक इंस्पेक्शन एण्ड सर्टिफिकेशन सेन्टर की स्थापना हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है । महोदय, सरकार द्वारा वाहन चालकों को प्रशिक्षण देने हेतु औरंगाबाद में चालक प्रशिक्षण सह ट्रैफिक शोध संस्थान का निर्माण किया गया है जिसमें 7 कोर्सों में 3100 लोगों को प्रशिक्षण दिया जा सकेगा ।

महोदय, राज्य सरकार द्वारा परिवहन मोबाइल ऐप की शुरूआत की गई है जिसके माध्यम से आमजन अपने वाहन का निबंधन एवं चालक अनुज्ञप्ति की विवरणी तथा वाहनों का कर ऑनलाईन भुगतान कर सकते हैं । महोदय, सरकार द्वारा मालवाहक वाहनों के ऑनलाईन परमिट की व्यवस्था की शुरूआत की गई है, जिसे शीघ्र ही यात्री वाहनों के लिए भी प्रारंभ किया जायेगा ।

महोदय, सरकार द्वारा भारोत्तोलन, बॉक्सिंग, तैराकी, फुटबॉल, हॉकी, बास्केटबॉल, क्रिकेट आदि खेलों के प्रतिभावान खिलाड़ियों के प्रशिक्षण हेतु राजगीर में राज्य स्पोर्ट्स अकादमी और अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण युद्ध-स्तर पर कराया जा रहा है । महोदय, सरकार द्वारा भगवान बुद्ध के पवित्र अस्थि-कलश को प्रदर्शित करने के लिए वैशाली में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय एवं स्मृति स्तूप का निर्माण कराया जायेगा ।

महोदय, मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के अन्तर्गत अबतक 11,478 अल्पसंख्यक लाभुकों को 13,187 करोड़ रू0 का वितरण किया गया है । महोदय, राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2018-19 में मुस्लिम तलाकशुदा परित्यक्ता मुस्लिम सहायता योजना अन्तर्गत सहायता की राशि को 10 हजार रू0 से बढ़कार 25 हजार रू0 करते हुये अब तक 21 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया है । महोदय, सरकार द्वारा वर्ष 2018 में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से प्रथम श्रेणी में मैट्रिक एवं इन्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण 27,256 अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं को 2995 करोड़ रू0 एवं 80 बंगला-भाषी छात्र-छात्राओं कों 8 लाख रूपये की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया गया है । महोदय, मदरसा बोर्ड से प्रथम श्रेणी में मौलवी एवं फोकानिया परीक्षा उत्तीर्ण 2379 छात्र-छात्राओं को भी सरकार द्वारा प्रोत्साहन राशि वितरण की कार्रवाई की जा रही है । महोदय, सरकार द्वारा मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक छात्रावास अनुदान योजना अन्तर्गत 1,046 अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं कों प्रति छात्र-छात्रा 1 हजार रू0 प्रतिमाह की दर से अनुदान राशि दिया जा रहा है तथा मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक छात्रावास खाद्यान्न योजना के तहत 932 छात्र-छात्राओं को प्रति छात्र-छात्राओं कों 15 कि0ग्राम की दर से प्रतिमाह नि:शुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है ।

महोदय, बिहार में सबका साथ-सबका विकास के रफ्तार में विकास हो रहा है । अब इनको कैसा विकास चाहिये ? खाली विकास-विकास हल्ला करने से थोड़े ही विकास दिखेगा, विकास देखने के लिए विकास का चश्मा होना चाहिये । बेचारे ये लोग क्या बोलेंगे ? इनके नेता तो इनके साथ सदन में हैं ही नहीं, ये लोग बोलेंगे क्या ? जब इनके साथ सदन में इनके नेता ही नहीं हैं तो इनका साथ देगा कौन? ये लोग तो चुपचाप हल्ला करते रहेंगे । इनके नेता तो सदन छोड़कर भाग गये हैं, उनके पास सदन के लिए, जनता के लिए टाईम ही नहीं हैं । ये लोग क्या हल्ला करते हैं ? करते रहिये चुपचाप हल्ला । शायद उनको सरकार की उपलब्धि बर्दाश्त नहीं हो रही है इसलिये सदन में रहना ही नहीं चाहते हैं, सदन छोड़कर भाग गये हैं ।

(व्यवधान)

सभापति (श्री तारकिशोर प्रसाद) : शांति-शांति । आप आसन को देखकर बोलें, माननीय सदस्या श्रीमती रिंकी रानी पाण्डेय ।

श्रीमती रिंकी रानी पाण्डेय : सुनिये न, आपलोगों के नेता तो लालटेन लेकर संविधान बचाने के लिए चले थे लेकिन लालटेन की रोशनी में जनता को असली चेहरा आपलोगों के नेता का दिख गया और लालटेन को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के दामन में वोट डालने का जनता ने काम किया । आप संविधान बचाने का काम तो किये नहीं, जरूर सदन से भाग गये । जनता को समझ में आ गया कि संविधान खतरे में नहीं है, आपलोगों के लालटेन का दुकान खतरे में है । इसलिये जनता ने अपना सही निर्णय लिया । अब आपलोगों को क्या दिक्कत हो रहा है ?

(व्यवधान)

सभापति (श्री तारकिशोर प्रसाद) : माननीय सदस्या, आसन की ओर देखकर बोलें ।

श्रीमती रिंकी रानी पाण्डेय : चुपचाप बैठिये और बैठकर सुनते रहिये सरकार की उपलब्धि को । लेकिन इसमें आपलोगों की भी क्या गलती है ? आपलोग तो ऐसे जगह पर बैठ गये हैं जहाँ से सिर्फ घोटाला ही घोटाला नजर आयेगा, विकास तो दिखेगा नहीं । विकास देखने के लिए इधर आ जाइये, इधर से देखियेगा तो विकास दिखेगा ।

(व्यवधान)

सभापति (श्री तारकिशोर प्रसाद) : शांति-शांति । आपस में बात नहीं करें ।

श्रीमती रिंकी रानी पाण्डेय : महोदय, मैं आपके माध्यम से इनलोगों से आग्रह करना चाहती हूँ कि ये लोग सच बोलने की आदत डाल लें । अगर दिन है तो दिन कहें, रात मत कहें, सिर्फ सच बोलें । अगर सच बोलेंगे तो इनको विकास जरूर दिखेगा । झूठ-मूठ सिर्फ हल्ला करते हैं - घोटाला है, विकास नहीं हुआ है । अब कैसा विकास होगा ? हर क्षेत्र में तो चहुमुखी विकास हो रहा है तो अब आपको कैसा विकास चाहिये ? हर क्षेत्र पर ध्यान दिया जा रहा है, चाहे अल्पसंख्यक की बात हो, चाहे महादलित हो, हर क्षेत्र में विकास हो रहा है, हर क्षेत्र पर इस सरकार में ख्याल रखा जा रहा है । अब कैसा विकास चाहिये ? आपको वहीं चारा घोटाला वाला विकास चाहिये क्या जिसमें चारा घोटाला होता था और चरवाहा विद्यालय खुलता था, वही विकास चाहिये ? बताइये न आप ! आप बताइये कि कौन-सा विकास चाहिये आपको ?

सभापति (श्री तारकिशोर प्रसाद) : माननीय सदस्या, आप अपनी बात समाप्त करें ।

श्रीमती रिंकी रानी पाण्डेय : अलकतरा घोटाला चाहिये ? महोदय, मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहूंगी कि बहुत दिनों के बाद मुझे बोलने का मौका मिला है इसलिये मुझे अपनी बातों को रख लेने दीजिये । महोदय, इनलोगों को कहिये कि सच बोलने की हिम्मत रखें । अगर सदन में बोलना है तो सच बोलें, झूठ मत बोलें ।

(व्यवधान)

सभापति (श्री तारकिशोर प्रसाद) : शांति-शांति । माननीय सदस्या को बोलने दें ।

श्रीमती रिंकी रानी पाण्डेय : जो सरकार की उपलब्धि है, उस उपलब्धि को चुपचाप सुनें और उसमें सहयोग करें, सरकार को विकास के लिए सहयोग करें । मैं इनलोगों से आग्रह करना चाहती हूँ । इनलोगों को घोटाला की आदत पड़ गई है, सिर्फ घोटाला ही घोटाला चारो तरफ दिखता है । कम से कम कुर्सी चेन्ज करिये और इधर आकर विकास देखिये । हम यही आपलोगों से आग्रह करना चाहेंगे कि विकास देखना है तो इधर कुर्सी खाली है, आकर बैठ जाइये, बैठकर देखिये विकास । महोदय, ये लोग ऐसे कुर्सी पर बैठ गये हैं कि इनलोगों को वहाँ से सिर्फ घोटाला ही दिखाई दे रहा है ।

सभापति (श्री तारकिशोर प्रसाद) : आप अपनी बात समाप्त करें ।

श्रीमती रिंकी रानी पाण्डेय : महोदय, दो मिनट । भोजपुरी में एक कहावत है - ''जइसन अन्न खायल जा ला, वइसन मन हो जा ला ।'' ये लोग जिस तरह का अन्न खाते हैं उसी तरह का इनका मन हो गया है । महोदय, अगर हमलोग बढ़िया काम नहीं किये होते तो यह बताइये कि बिहार में लोक सभा चुनाव में अभी 40 में 39 सीट हमलोगों को जनता देती ? हमलोगों का अच्छा काम करने का नतीजा है कि बिहार में हमलोगों को 39 सीट मिला ।

सभापति (श्री तारकिशोर प्रसाद) : अपनी बात अब आप समाप्त करें ।

श्रीमती रिंकी रानी पाण्डेय : महोदय, बिहार में विकास बा, जनता खुशहाल बा तबे 40 में 39 सीट हमार बा । महोदय, आपलोग देखिये और देखकर अब भी सबक सीखिये और जनता के पास जाइये, हाथ जोड़िये, उनका काम करिये और फिर यहाँ आइये ।

सभापति (श्री तारकिशोर प्रसाद) : अपनी बात समाप्त करिये । अब हो गया ।

श्रीमती रिंकी रानी पाण्डेय : महोदय, मैं अपनी तरफ से और सदन की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री, माननीय परिवहन मंत्री, माननीय कला संस्कृति मंत्री के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ जो गाँधी जी और लोहिया जी के सपनों को साकार करने के लिए न्याय के साथ विकास को धरातल पर उतारने का काम किये । माननीय प्रधानमंत्री जी का सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास आज जन-जन में व्याप्त हो चुका है ।

महोदय, मैं आपके प्रति भी आभार व्यक्त करती हूँ जो आपने मुझे सदन में अपने दो शब्द बोलने का अवसर दिया । मैं इन्हीं चन्द शब्दों के साथ आसन का सम्मान करते हुये, सदन को धन्यवाद देती हूँ । जय हिन्द, जय भारत ।

सभापति (श्री तारकिशोर प्रसाद) : माननीय सदस्य श्री शमीम अहमद जी । 10 मिनट ।

श्री शमीम अहमद : सभापति महोदय, आज मैं परिवहन विभाग की मॉग पर प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हूँ ।

आज पूरा बिहार, पूरा देश और पूरी दुनिया इसके लिए चिन्तित है कि जलवायु में परिवर्त्तन क्यों हो रहा है । हमलोग सिर्फ जल का संकट देख रहे हैं लेकिन उस मूल बिन्दु पर हम नहीं पहुँच पा रहे हैं ।

...क्रमशः...

टर्न-23/आजाद/11.07.2019

..... क्रमशः .....

श्री शमीम अहमद : आज हम बिहार के इस परिवहन विभाग के द्वारा चलाये जा रहे गाड़ी पर आ रहा हूँ । सरकार द्वारा यह बताया जा रहा है कि हमारा 2000 करोड़ रू0 से ज्यादा राजस्व आया है । मैं सरकार को इसके लिए धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने राजस्व कमाया लेकिन इसके बदले इन लोगों ने, इन बसों ने, इन गाड़ियों ने कितने लोगों को जान संकट में डाला, कितने लोगों को अस्वस्थ्य किया, इसपर सरकार की चिन्ता नहीं है और यह टोटल मामला जलवायु से जाकर के जोड़ता है । सरकार अपने जवाब मे बताये कि जितने पुराने गाड़ी है, कितने का जॉच करके जो पुरानी गाड़ी है, उसको बन्द करने की कोशिश की है । अगर नहीं बन्द किया गया है तो उसको बन्द किया जाय । जब हमलोग किसी भी मार्केट में जाते हैं और थोड़ी देर के लिए वहां रूकते हैं तो मुझे लगता है कि दम घुट रहा है और हमलोग वहां से जल्दी-जल्दी भागते हैं । लेकिन जो लोग वहां पर जीवन व्यतीत करते हैं, उसकी परवाह नहीं की जाती है कि वे कैसे रहते हैं, उतने पर्यावरण लेकर, उतनी गंदगी को अपने अन्दर एवेल करके उसको बर्दाश्त करके जीवन को खराब करते हैं, इसपर भी सरकार को सोचना चाहिए।

महोदय, आज पूरे बिहार में एक भी बसस्टैड नहीं है, जहां पर किसी भी तरह की सुविधा मुहैय्या हो । मैं सरकार को सुझाव देना चाहता हूँ कि जहां भी बसस्टैंड ऐसा है, हम बस का किराया ग्राहकों से लेते हैं लेकिन सुविधा के नाम पर हम उसको जीरो देते हैं । बस की सफाई नहीं होती है, बसस्टैंड कहीं पर हमारे लायक नहीं है, जहां पर सारी सुविधा हो । वहां पर सुविधा नहीं रहती है, जब बारिश होती है तो यात्री, हमारी जनता कहीं कहीं छुपकर के अपना देह बचाती है, अपना सामान बचाते हैं और जब धूप आता है तो वे कहीं गन्दगी बस्ती में बैठ करके चूँकि बसस्टैंड के अगल-बगल में इतनी गंदगी रहती है कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसमें सुधार लाने की जरूरत है । जिस तरह से हमारे इस देश में और बिहार राज्य में 10 प्रतिशत लोगों के लिए जो फ्लाईट की सुविधा हम देते हैं और फ्लाईट में

पैसा देते हैं और वे लोग भी बस का किराया देते हैं लेकिन फ्लाईट का सुविधा जाकर आप देखिए कि वहां पर किस तरह की सुविधा दी गई है । सारी जॉच की प्रक्रिया से लेकर के बैठने की प्रक्रिया, उसको बारिश में रूकने की व्यवस्था है । लेकिन बसस्टैंड में कहीं भी रूकने की व्यवस्था नहीं है, बसस्टैंड में कहीं भी शौचालय नहीं है, वहां पर ठहरने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए आप इन लोगों के लिए इस तरह की व्यवस्था करें ताकि बिहार की जनता स्वस्थ्य रहे और तन्दुरूस्त रहे ।

सभापति महोदय, दूसरी बात आपकी जॉच की जो व्यवस्था है, कहीं भी वह चालू नहीं है । चूँकि जलवायु पर 13 तारीख को बैठक भी है और यह अहम मुद्दा है, इसलिए आपको इसपर ध्यान देना है । जितने भी पुरानी गाड़ी हैं, अगर वह जॉच में खराब पाये जाते हैं तो उन गाड़ियों को जल्द से जल्द बन्द करें । चूँकि हमारा पर्यावरण खराब होते जा रहा है ।

महोदय, मेरा एक किसान से जुड़ा हुआ मद्दा है । आज ट्रैक्टर का जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है, वह कॉमर्शियल में हो रहा है । इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि जो लोग ट्रैक्टर कृषि कार्य के लिए ले रहे हैं, उनसे कृषि का ही रजिस्ट्रेशन चार्ज लिया जाय । इसके बारे में भी माननीय मंत्री जी अपने जवाब में बतायेंगे।

महोदय, आज अल्पसंख्यक कल्याण का भी बजट आया है लेकिन इसको गिलोटिन में डाला गया है । इसलिए मैं चाहूंगा कि जब यहां पर सच्चर कमिटी का रिपोर्ट यू0पी0ए0-1 में आया और उसमें यह रिपोर्ट आया कि सबसे ज्यादा खराब स्थिति अल्पसंख्यकों की है तो यहां पर अल्पसंख्यकों के लिए यू0पी0ए0-1 की सरकार ने एक योजना लायी जो एम0एस0डी0पी0 योजना है और इस योजना पर मुझे सरकार पर सवाल उठाना लाजमी है । चूँकि अभी की सरकार कहती है कि सबका साथ, सबका विकास, और अल्पसंख्यक कल्याण का बजट घटाकर के आधे पर कर दिया गया । आज यू0पी0ए0-1 की सरकार ने जो एम0एस0डी0पी0 योजना लागू की थी, उस योजना को अल्पसंख्यकों में कन्वर्ट करके दूसरी योजना में शामिल कर दिया गया है । इसलिए मैं चाहूँगा कि सरकार केन्द्र सरकार से बात करके प्रावधान कराकर के इसको अल्पसंख्यकों के हक में उसको बनाया जाय और ए0एम0यू0 के सेंटर के लिए सरकार ने यू0पी0ए0-1 ने ए0एम0यू0, किशनगंज में खोलने के लिए 100 करोड़ रू0 का आवंटन किया । लेकिन आज तक मात्र 10 करोड़ रू0 आया और वह काम उसी तरह पड़ा हुआ है । मैं चाहूँगा पूरे सदन के माध्यम से कि अगर अल्पसंख्यकों के लिए थोड़ी सी भी चिन्ता है तो सदन के माध्यम से इसका प्रस्ताव भेजकर के ए0एम0यू0 के लिए पैसा मंगाकर के उसको चालू किया जाय । मैं अपने माननीय मंत्री

अल्पसंख्यक कल्याण से चाहूंगा कि जितने भी वक्फ बोर्ड की जमीन है, आप थोड़ा उसपर गौर करके उस वक्फ बोर्ड की जमीन को आप पहले अधिग्रहण करे कि मेरा कहां-कहां जमीन है । उसमें जहां जैसी सुविधा है, उस तरह का सुविधा देकर के एजुकेशन के लिए, मॉल के लिए, जिस तरह की जहां व्यवस्था हो, आप उसमें लगकर के इस कार्य को कराये । जितना भी वक्फ बोर्ड की जमीन है, अगर उसको इकट्ठा करके उसपर काम किया जाय तो यह बहुत फायदे का चीज होगा । अभी उस जमीन को भू-माफिया द्वारा बर्बाद किया जा रहा है तो आप इसपर कड़ी से कड़ी नजर रखकर के इस व्यवस्था को आप लागू करें । आज अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से मेरी गुजारिश है कि आपने हर जगह कोचिंग की व्यवस्था की है, लेकिन जब तक प्राईमरी एजुकेशन हमारा ठीक नहीं होगा, तब तक हम आगे नहीं बढ़ पायेंगे ।

(इस अवसर पर अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

तो सबसे ज्यादा जोड़ देने की जरूरत है कि जो भी एम0एस0डी0पी0 की पैसा है, उसको हमलोग प्राईमरी एजुकेशन में अल्पसंख्यकों के क्षेत्र में लगाकर के अल्पसंख्यकों के उत्थान के लिए प्राईमरी एजुकेशन को ठीक करने की जरूरत है । जब तक मेरा प्राईमरी एजुकेशन आगे नहीं बढ़ेगा, हमारा समाज आगे नहीं बढ़ पायेगा ।

महोदय, मैं चाहूंगा कि आपके द्वारा बिजनेस के लिए लोन दिया जाता है, कार लोन दिया जाता है, गाड़ी लोन दिया जाता है बिजनेस के लिए, लेकिन इस विभाग में बिचौलियों का बोलबाला है, उसको आप पारदर्शी करें । उसका जो मापदंड है, उसको सूचना देकर सही से पेपर में एडवर्टिजमेंट करके इसको आप पारदर्शी करें ।

महोदय, अब कला, संस्कृति मंत्री जी से मेरा गुजारिश है कि आपने वादा किया था कि हर प्रखंड में बच्चों के लिए मैं स्टेडियम बनाऊंगा । हमारे विधान सभा में तीन प्रखंड आते हैं छोड़ादानो, बन्जरिया और बनकटवा, मोतिहारी में भी और चाहे पूरे बिहार में मैं दावा करता हूँ कि एक भी स्टेडियम नहीं बन पाया है । मैं माननीय मंत्री जी से गुजारिश करूंगा कि इसपर भी ध्यान देकर के स्टेडियम बनाये । एक बात और .....

अध्यक्ष : अब शमीम जी, समाप्त कीजिए ।

श्री शमीम अहमद : एक मिनट महोदय । अब सूचना एवं जन-सम्पर्क मंत्री जी से मेरा विनती है कि जो भी सरकार की योजना होती है, उसको सही से प्रचार, प्रसार नहीं किया जाता है और खासकर के गांव में नहीं होता है, ब्लॉक स्तर तक ही कुछ बोर्ड लगा दिये जाते हैं इसलिए इसका प्रचार, प्रसार गांव में भी होना चाहिए ।

..... क्रमशः .....

टर्न-24/शंभु/11.07.19

श्री शमीम अहमद : क्रमशः.....तो मैं इन सारी बातों के साथ माननीय मंत्री जी से गुजारिश करूँगा कि जो खासकर मैंने सुझाव दिये । यहां जो जलवायु में परिवर्तन हो रहा है उसका जवाबदेह परिवहन विभाग है क्योंकि जब तक हमारी गाड़ियां सही नहीं हो पायेगी हम उससे नहीं बच पायेंगे । मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ, धन्यवाद ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब सरकार का उत्तर होगा । माननीय मंत्री, परिवहन विभाग ।

सरकार का उत्तर

श्री संतोष कुमार निराला, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज परिवहन विभाग के बजट पर जो प्रस्ताव हमने पेश किया और सरकार के जो उत्तर हैं और उत्तर के लिए आपने जो समय दिया, मैं अपनी ओर से आपके प्रति और सदन के नेता और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार प्रकट करता हूँ । साथ ही परिवहन विभाग के चर्चा के उपलक्ष्य में जो माननीय सदस्यों ने अपने विचार दिये हैं उनमें मो0 नेमतुल्लाह जी, माननीय सदस्य रत्नेश सादा जी, माननीय सदस्य सचीन्द्र प्रसाद सिंह जी, माननीय श्री संजय कुमार तिवारी जी, माननीय मो0 नवाज आलम जी, माननीय श्री ललन पासवान जी, माननीय श्री रामप्रीत पासवान जी, माननीय श्री अब्दुल रहमान जी, माननीय श्री सत्यदेव राम जी, माननीय श्री चन्द्रसेन जी, माननीया श्रीमती रिंकी रानी पाण्डेय जी, माननीय शमीम अहमद जी और इनके जो सुझाव आये हैं निश्चित तौर पर हमलोग उनके अच्छे सुझाव को ग्रहण करेंगे और उसको विभाग में इम्पलीमेंट करने का काम करेंगे । अध्यक्ष महोदय, जहां तक हम सभी जानते हैं और आप भी जानते हैं परिवहन विभाग आज पूरे विश्व में जो रेल का नेटवर्क स्थापित हुआ है और भारत में हम रेल के साथ-साथ परिवहन क्षेत्र का भरपूर प्रयोग करते हैं । अध्यक्ष महोदय, परिवहन के बिना राज्य और देश की समृद्धि उसका विकास असंभव है । अध्यक्ष महोदय, राज्य के आर्थिक स्थिति में बदलाव लाने के लिए, राज्य की समृद्धि में बदलाव लाने के लिए और हर जरूरतों को पूरा करने के लिए परिवहन क्षेत्र की उपयोगिता का महत्वपूर्ण स्थान है । अध्यक्ष महोदय, जो छोटे व्यवसायी हैं, जो गरीब व्यवसायी हैं जो छोटे-छोटे व्यवसायिक वाहनों से अपना रोजगार सृजन करके सरकार को भी टैक्स देते हैं और अपना जीविकोपार्जन करते हैं, अपनी माली हालत को सुधारते हैं उनको भी परिवहन क्षेत्र से काफी लाभ मिला है । इसलिए एक प्रकार से परिवहन क्षेत्र को कहा जाय तो परिवहन विभाग रोजगार सृजन करने का भी काम करता है । इसलिए इसपर जितना भी हमलोग चर्चा करें वह कम है । आज पूरे भारत वर्ष में मैं यह दावे के साथ कह सकता हूँ कि आज पूरे भारत वर्ष में केवल परिवहन क्षेत्र में हम 65 प्रतिशत मालों की ढुलाई करते हैं । अध्यक्ष महोदय, हम उसी प्रकार से 45 प्रतिशत यात्रियों का भी

यातायात कराते हैं । इसलिए बिहार और देश की जो अर्थव्यवस्था है, परिवहन और अर्थव्यवस्था एक दूसरे का पूरक है । महोदय, सुगम यात्रा और सुरक्षित यात्रा की व्यवस्था कराना वर्तमान समय में परिवहन विभाग के लिए चुनौती है । इसको हमलोग स्वीकार करते हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ आधुनिक तकनीकी का प्रयोग करके इसमें कई सुधार करने का भी प्रयास कर रहे हैं । इसी प्रकार से परिवहन आज हर क्षेत्र में रोजगारोन्मुखी प्रक्षेत्र होने के साथ-साथ व्यवसायियों को स्वरोजगार देने का भी क्षेत्र बन चुका है । राज्य के परिवहन प्रणाली को आधुनिक तकनीकी से जोड़ते हुए हमलोग इसको सरलीकृत कर रहे हैं ताकि त्वरित गति से इसका लाभ आमजनों को मिल सके । अध्यक्ष महोदय, हम बताना चाहेंगे कि आज परिवहन विभाग ने परिवहन के क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में परिवहन विभाग ने और उनके मार्गदर्शन में सड़क सुरक्षा के साथ-साथ एक गतिशील सुव्यवस्थित परिवहन व्यवस्था की स्थापना हेतु सतत् प्रयत्नशील है । अध्यक्ष महोदय, किसी भी प्रक्षेत्र के आर्थिक एवं सामाजिक विकास में उस क्षेत्र के परिवहन व्यवस्था का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखायी देता है । विकास की प्रक्रिया में परिवहन क्षेत्र के उपलब्ध साधनों का ही अधिकतम उपयोग करता है तथा इसके द्वारा संसाधनों का विस्तार आधारभूत संरचना के रूप में स्वतः बढ़ाया जाता है । सरकार विकसित परिवहन क्षेत्र के द्वारा सतत् विकास की प्रक्रिया को तीव्र एवं गतिशील बनाने का प्रयास कर रही है । अध्यक्ष महोदय, जैसा कि पूरा बिहार जानता है कि बिहार तेजी के साथ आर्थिक रूप से हर मामले में विकास किया है । बिहार विकास किया है तो निश्चित तौर पर परिवहन विभाग का उस क्षेत्र में काफी योगदान है । महोदय, कुछ चुनौतियां भी आती है तो विभाग चुनौतियों का सामना करके उसके निदान का प्रयास करता है । महोदय, परिवहन विभाग का जो कार्यक्रम है और जिसपर हमलोग काम करते हैं । जिसपर हम सरकार को एक मजबूत विकास करने का रास्ता मार्ग प्रशस्त करने का काम करते हैं । उस कड़ी में हम मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत निबंधन की वूसली करते हैं, चालक अनुज्ञप्ति का निर्गमन करते हैं, सही वाहनों की योग्यता की जाँच, प्रदूषण नियंत्रण, सड़क सुरक्षा एवं मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने जैसे महत्वपूर्ण कार्यों का सतत् पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण करके इस विभाग के दायित्व एवं उद्देश्य को हमलोग पूरा करते हैं । अध्यक्ष महोदय, राजस्व संग्रह के मामले में मैं एक आंकड़ा आपके समक्ष रखना चाहूंगा । राजस्व संग्रह में परिवहन विभाग के योगदान को भी भुलाया नहीं जा सकता है । परिवहन विभाग ने इसमें उत्तरोत्तर वृद्धि करते हुए विगत वर्षों में आर्थिक विकास के नये कीर्तिमान स्थापित किये हैं । परिवहन विभाग राजस्व संग्रह में एक अहम भूमिका निभाया है । राज्य के आर्थिक विकास के लिए संसाधन

जुटाने में इस विभाग का महत्वपूर्ण योगदान है । अध्यक्ष महोदय, विगत 10 वर्षों में परिवहन विभाग के राजस्व संग्रहण में लगातार वृद्धि हो रही है । जहां वर्ष 2008-09 में 303.65 करोड़ था वहीं 2017-18 में बढ़कर 1624 करोड़ रूपया हो गया । महोदय, इसी प्रकार से वर्ष 2018-19 में 2000 करोड़ रूपया राजस्व वसूली के लक्ष्य के विरूद्ध मार्च 2019 तक हमने 2067.21 करोड़ रूपया वसूल किया है । जो लक्ष्य के सौ प्रतिशत से भी अधिक है । महोदय, गत वित्तीय वर्ष की तुलना में 27.23 प्रतिशत अधिक राजस्व संग्रह परिवहन विभाग ने करने का काम किया है ।

क्रमशः

टर्न-25/ज्योति/11-07-2019

क्रमशः

श्री संतोष कुमार निराला,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, विगत वर्षों में गाड़ियों के निबंधन में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है जो राज्य के आर्थिक एवं सामाजिक समृद्धि का प्रतीक है जो राज्य के 2008-09 में जहॉ 2 लाख 20 हजार 412 गाड़ियों का निबंधन हुआ था वहीं वित्तीय वर्ष 2018-19 में 12 लाख 2 हजार 188 गाड़ियों का निबंधन हुआ है । यह प्रगति राज्य के 38 जिलों में है । विभाग ने वाहन फोर्स सौफ्टवेयर विकसित किया है जिसमें निबंधन प्रक्रिया सुगम एवं पारदर्शी हुई है । अब निबंधन हेतु वाहन मालिकों को परिवहन कार्यालय जाने की जरुरत नहीं है बल्कि सभी गाड़ी बिक्रेताओं को यूजर आई.डी. पासवर्ड उपलब्ध करा दिया गया है जिसमें वाहन क्रय स्थल पर ही निबंधन संख्या प्राप्त करा दिया जाता है । अध्यक्ष महोदय, इसके अलावे हमलोग परिवहन विभाग में जो रोड सेफ्टी सड़क सुरक्षा पर भी हमलोग काम कर रहे हैं । सड़क सुरक्षा के संदर्भ में आपके माध्यम से पूरे सदन को मैं अवगत कराना चाहूँगा कि रोड दुर्घटना एक संवेदनशील एवं चिंता का विषय है और माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए भी चिंता का विषय है । हम सबों के लिए चिंता का विषय है । हमलोग चिन्तित हैं कि कैसे रोड एक्सीडेंट में, रोड दुर्घटनाओं में कैसे कमी लाए, कैसे उस पर काबू पाए, कैसे लोगों को बचायें, कैसे उनकी सुरक्षा हो । इस पर हमलोग काम कर रहे हैं । माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा और निर्देशन में कई एक पहलुओं पर विभाग उसमें काम आगे बढ़कर काम करने का प्रयास कर रहा है । अध्यक्ष महोदय, हम सब मिलकर राज्य या देश का कितना भी हम लोग विकास कर लें लेकिन जो दुर्घटनाएं होती हैं, जो हमारे भाई जो हमारे लोग, जो हमारे राज्य के आम नागरिक जो उससे ग्रसित होते हैं, जो उसका शिकार होते हैं, हम सब पर लागू होता है । किसी के परिवार में जो कमाऊ, जो मुखिया हैं, अगर उसकी किसी प्रकार से दुर्घटना होती है या वे विकलांगता का शिकार होते

हैं तो उस परिवार की माली हालत खराब होती है और विशेष कर यह चिन्ता का विषय है और देश के जी.डी.पी. पर उसका असर पड़ता है इसलिए हम लोग कमी लाने का प्रयास कर रहे हैं । इसमें रोकने का हमलोग प्रयास कर रहे हैं । यह चिन्ता विश्व के लेवेल पर है । भारत के लेवेल पर है और राज्य में जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने और हमलोगों की सरकार ने जो शराबबंदी किया था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो शराबबंदी किया था, शराबबंदी के चलते बहुत सारे एक्सीडेंट में कमी आयी है और यह जीता-जागता प्रमाण है और इसलिए अध्यक्ष महोदय, इसमें हमलोग बहुत बड़े पैमाने पर और विशेष कर सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशन पर गाईड लाईन्स पर हमलोग उसमें काम कर रहे हैं । आज अध्यक्ष महोदय, 2016 के बाद राज्य में शराबबंदी के बाद रोड सेफ्टी का कार्य हुआ । माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई विभाग को भी दिशा-निर्देश देने का काम किया है, उसमें कई एक विभाग हैं शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग है, गृह विभाग है और उसके बाद आपका पथ निर्माण विभाग है, नगर विकास एवं आवास विभाग है तथा सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग है महोदय, आज जो कई एक बातें आयीं कि विद्यालय में जो बसें संचालित होती हैं और जो बच्चे होते हैं विद्यालय में जाते हैं, पढ़ने के लिए तो हमलोगों ने उसके लिए भी सुरक्षित परिवहन नीति के निर्माण करने का काम किया है और उसपर काम हो रहा है । इस प्रकार से हमलोग जो उच्चत्तम न्यायालय का आदेश और दिशा-निर्देशन है, उसके आधार पर रोड सेफ्टी और सड़क सुरक्षा के बहुत सारे कदम उठाये हैं । इसके तहत हमलोग स्पीड गवर्नर लगाने का काम कर रहे हैं । गाड़ियों में स्पीड गवर्नर जिसमें 40 कि.मी. प्रति घंटा के अधिकत्तम गति रखने वाले उपकरण है, स्पीड गवर्नर उसको हमलोग लगाने का काम रहे हैं ताकि तेज गति से वह गाड़ी नहीं चले, स्पीड कंट्रोल रहे और एक्सीडेंट से बचे इसपर हमलोग काम कर रहे हैं । सारी गाड़ियों में चाहे स्कूल बस हो या रोड पर भारी वाहनें जो चल रही है, माल वाहने चल रही हैं उसमें भी हमलोग स्पीड गवर्नर लगाने का काम कर रहे हैं । उसके तहत् हमलोगों ने बिहार में बिहार सड़क सुरक्षा नीति, 2015 का निर्माण किया है उसी प्रकार से बिहार सड़क सुरक्षा कार्य योजना 2016 तैयार किया है । बिहार सड़क सुरक्षा निधि नियमावली, 2018 को हमलोगों ने तैयार किया है । बिहार ब्लैक स्पौट प्रोटोकाल, 2018 पर काम चल रहा है । इसके दुर्घटना-स्थलों को हमलोग चिन्हित करते हुए जो बिहार ब्लैक स्पौट प्रोटोकॉल 2018 है, उसके तहत हमलोग दुर्घटना स्थलों को चिन्हित करते हुए इनके कारणों की परिमार्जन की कार्रवाई की जा रही है और कुल 124 ब्लैक स्पौटों में से 115 को परिमार्जित किया जा चुका है । अध्यक्ष महोदय, इन सभी कार्यों के अलावा

विशेष जॉंच अभियान, प्रचार-प्रसार, यातायात संकल्प चिन्हों का भी अधिष्ठापन, चालकों को नि:शुल्क प्रशिक्षण की भी व्यवस्था हमलोग कर रहे हैं ताकि हमलोग रोड शेफ्टी में इसको कम से कम ला सके। इसके बाद हमलोग सम्मन की वसूली कर रहे हैं । राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह मना रहे हैं । यातायात जागरुकता के साथ-साथ हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार सड़क दुर्षटनाओं में घायल व्यक्तियों के बाचाव में पुलिस विभाग और स्वास्थ्य विभाग इसमे काम कर रहे हैं । इसमें परिवहन विभाग ने त्वरित चिकित्सा एवं सहायता पहुंचाने के लिए बिहार के नागरिकों को हमलोग प्रोत्साहित करने का काम कर रहे हैं । उन्हें गुड समैरिटन (Good Samaritan) रुप में पहचान कर हमलोग सम्मानित किए जाने की प्रक्रिया प्रारम्भ किए हैं । इस प्रकार से दुर्घटनाओं में जो जान बचाए हैं, जो अस्पताल पहुंचाए हैं, जो उसका इलाज कराने का काम कराये हैं, उसको हमलोगों ने सम्मानित करके 70 व्यक्तियों को बिहार में सम्मानित करने का काम किए हैं ताकि कमी ला सकें । उसी प्रकार से एक माननीय सदस्य ने बात को उठाया कि इसमें जो जिलों में पैसे जाते हैं जो रोड सेफ्टी के मामले में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने में जो पैसे जाते हैं हमलोगों ने उसके लिए बिहार सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक में जो पणधारी विभाग हैं जो विभिन्न पणधारी विभाग हैं जो सड़क सुरक्षा से संबंधित अलग अलग कार्यों के लिए निधि उपलबध कराते हैं और उनको निर्णय हमलोग लेने के लिए कैसे इसमें हमलोग काम करें और जिला लेवेल पर कैसे उसमें काम करें, उसकी रोक-थाम में कमी ला सकें, इसपर काम हो रहा है । उसी प्रकार से सभी जिला पदाधिकारियों को और पुलिस अधीक्षकों को अपने अपने कर्मियों को सड़क सुरक्षा का प्रशिक्षण दिए जाने के लिए प्रति जिला और प्रति पुलिस जिला को दो दो लाख रुपया कुल 76 लाख रुपया हमलोग उपलब्ध कराए हैं ताकि वह अपने कर्मियों को प्रशिक्षण दें, रोड सेफ्टी के बारे में बतावे, ट्रेनिंग दें, प्रचार-प्रसार करें, हमलोगों ने 76 लाख रुपया दिया है । उसी प्रकार से विज्ञापन एवं प्रकाशन जागरुकता हेतु प्रति जिला एक एक लाख रुपया यानी 38 लाख रु0 हमलोगों ने देने का काम किया है । उसी प्रकार से मशीन एवं उपस्करों के क्रय हेतु सभी जिला को तीन-तीन लाख रुपया एवं बड़े जिलों के अतिरिक्त दो लाख रुपया राशि 120 लाख रुपया विभाग ने निर्गत किया है । उसी प्रकार से बिहार राज्य पथ परिवहन निगम को सड़क सुरक्षा जागरुकता प्रशिक्षण हेतु 1 करोड़ 65 लाख रुपये की राशि उपलब्ध करायी गयी हे । एन.सी.सी. कैडेट द्वारा सड़क सुरक्षा जागरुकता कार्यक्रम आयोजित किए जाने हेतु 6 लाख रुपये की राशि मुहैय्या करायी गयी है इसके अलावे अन्य पणधारी विभागों को आवश्यकतानुसार सड़क

सुरक्षा हेतु राशि मुहैय्या कराये जाने की कार्रवाई की जा रही है । सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए परिवहन विभाग ने चालकों को प्रशिक्षण निःशुल्क प्रदान करने के लिए फैसला लिया है ताकि सड़क दुर्घटनाओं में कमी ला सकें । सुप्रीम कोर्ट के गाईड लाईन्स के आधार पर विभाग ने बहुत सारी बैठक कर इसमें बहुत सारी नियमावली बनाकर ।

क्रमशः

टर्न-26/11.07.2019/बिपिन

श्री संतोष कुमार निराला, मंत्री: क्रमशः और विशेषकर जो हमलोगों के नेता है माननीय नीतीश जी, उनकी चिंता है कि हम कैसे बिहार में रोड ऐक्सिडेंट से लोगों को बचाएं और जैसा कि सभी जानते हैं कई एक उनका दिशा और निर्देशन का पालन जो उन्होंने कहा, विभाग उसपर काम करके उसको आगे बढ़ाने का काम किया है ।

अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से मैं चर्चा करना चाहूंगा । परिवहन विभाग के अंतर्गत जो माननीय मुख्यमंत्री जी की बहुत ही लक्षित योजना है जैसा कि आप सभी जानते हैं और माननीय विधायकों और सदस्यों ने चर्चा करने का काम किया है मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना, माननीय मुख्यमंत्री जी का कंसेप्ट है । उन्होंने महसूस किया कि बिहार की धरती में 2005 के पहले बिहार बीमारू राज्य के रूप में जाना जाता था । आते थे उत्तर प्रदेश, बंगाल और झारखंड के लोग और जब बिहार में प्रवेश करते थे तो कहा करते थे कि यहां तो रोड है कि रोड में गढ़ा है, गढ़ा में रोड है, पता नहीं चलता है । महोदय, वह दिन याद आता है लेकिन जब हमलोगों के नेता माननीय नीतीश कुमार जी ने बिहार की गद्दी पर काबिज हुए, सत्ता को संभाला तो सबसे पहले उस रोड को, बीमारू रोड को दुरूस्त करने का, बनाने का काम किया ।

आज बताते हुए फख्र और खुशी हो रही है कि जब बिहार में उस सुदूर इलाके के ग्रामीण क्षेत्र जहां आज रोड की जरूरत थी, वह गरीब दुखिया लाचार व्यक्ति जो सोचता था रात के मौसम में, दिन के मौसम में जब उसको हॉस्पीटल जाना होता था, जब हमारी माताएं-बहनें जिसको प्रसवकालीन समय में उनको ले जाने का कोई साधन नहीं था, लोग लादकर लेकर जाते थे । माननीय मुख्यमंत्री जी ने रोड बनाने का काम किया । आज पूरे बिहार के हर गांव में, हर कस्बों में रोड बन गया, बारहमासी रोड बन गया तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल्पना किया कि वैसे सुदूर इलाकों को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए और वैसे गरीब लोग जिसके पास पैसा नहीं था कि वह गाड़ी, साधन खरीद सके जिसके पास पैसा था वह तो साधन पर चलते थे, वह अपना आवागमन कर लेते थे, यात्रा कर लेते थे लेकिन वह गरीब माता-पिता गरीब परिवार तरसता था कि हमारे

पास गाड़ी होती और हम भी घर से बैठकर और हॉस्पीटल जाते, कानूनी कामों से जाते । लेकिन धन्य है..... (व्यवधान)

मैं कहना चाहूंगा कि आज वैसे इलाकों को जोड़ने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना को चलाने का काम किया ...

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी सिद्दिकी साहब कह रहे हैं तो जरूर कुछ काम की बात कह रहे होंगे, सुन लीजिए ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी: महोदय इनको हमलोग छोड़े हुए हैं कुछ विशेष परिस्थिति के कारण मगर अब जब फ्री लांसिंग करने लगे आप, तब मजबूर न हो जाएंगे हम ! आपको तो छोड़े हुए हैं अभी तक ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : अच्छा सिद्दिकी साहब ! जब आप फ्री किए हुए हैं तो फ्री लांसिंग नहीं होगा तो बौंडेड लांसिंग होगा क्या ?

श्री संतोष कुमार निराला, मंत्री: महोदय, मैं बता रहा था कि उस कल्पना को और माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक कंसेप्ट दिया कि आज वैसे अनुसूचित जाति, गरीब के बेटे जो बेरोजगार थे, उसको रोजगार सृजन की व्यवस्था भी मिल गई और वह गरीब परिवार जो सुदूर इलाके में थे उसको आने की व्यवस्था मिल गई ...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : ललित जी, सबसे महत्वपूर्ण योजना का जिक्र कर रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री संतोष कुमार निराला,मंत्री : मैं बता रहा हूं । बैठिए न ! मैं बता रहा हूं अध्यक्ष महोदय..

(व्यवधान)

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण सदन से बाहर चले गए)

(व्यवधान)

अध्यक्ष : अच्छा, ललित जी, यह मंत्री जी की बातों पर आपकी प्रतिक्रिया है कि सिद्दिकी साहब ने फ्री कर दिया, उसपर आपकी प्रतिक्रिया है ?

(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, ये लोग सुनने के लिए, हमारी बातों को सुन नहीं सकते हैं और सिद्दिकी साहब ...

अध्यक्ष : मंत्री जी, श्रवण बाबू कुछ कह रहे हैं ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, आर.जे.डी में कंपिटिशन का दौर चल रहा है । सिद्दिकी साहब खड़े होंगे और वाक आउट करने के लिए बोलेंगे महोदय, एक मेम्बर नहीं जाएगा और सिद्दिकी साहब को डिमॉरलाइज करने के लिए ललित यादव और भोला यादव

को डिमॉरलाइज करने के लिए इस तरह की परंपरा की शुरूआत इस सदन में देखने को मिल रहा है महोदय । संसदीय परंपरा और संसदीय प्रणाली को ध्वस्त करने में आर.जे. डी. के मेम्बर लोग लगे हुए हैं ।

श्री संतोष कुमार निराला, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, उसी प्रकार मैं सदन को बताना चाहूंगा कि आज कितनी लक्षित यह योजना है मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना । आज अनुसूचित जाति-जनजाति के तीन व्यक्तियों को और अतिपिछड़े समाज के दो व्यक्तियों को जो बेरोजगार हैं, उनको एक-एक लाख रूपया सरकार अनुदान देकर उनको सुदूर इलाकों में सहायता देकर और परिवहन की योजना का लाभ दे रही है और आज गरीबों के बारें में ये लोग क्या बात करेंगे विपक्ष के लोग, महोदय, बिहार पहला राज्य है जो सुदूर इलाकों को मुख्यधारा से जोड़ने का काम किया । आज विपक्ष के लोग चले गए। इनलोगों के पास जवाब नहीं है । जब हमलोग बोलने लगेंगे, जब एक-एक बात रखने लगेंगे तो इनको सुनने की हिम्मत नहीं है । ये लोग आरक्षण की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, लेकिन उस पर बहस नहीं करेंगे, केवल हउआ फैलाने का काम करेंगे और समाज को बांटने का काम करेंगे, गुमराह करने का काम करेंगे लेकिन जब हमलोग बोलेंगे, कौन ऐसा व्यक्ति है पूरे देश और दुनिया में, बिहार में जो दलितों के हिमायती माननीय नीतीश कुमार जी ने पूरे विश्व और दुनिया को संदेश देने का काम किया है । अगर इस दुनिया में और इस भारत में कोई दलितों का हिमायती है उसके कल्याण के लिए कोई सोचता है उस व्यक्ति का नाम है नीतीश कुमार । इसीलिए अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि जो दलितों के काम हमलोगों के नेता ने किया है, जो उसके दु:ख और दर्द को समझा, हर मामले में, परिवहन जैसे विभाग में उसके लिए स्कीम, उसके लिए कार्यक्रम चला दिया तो मैं कहना चाहूंगा कि वैसा नेता हम सबों को नहीं मिलेगा, दलितों को कभी नहीं मिल सकता है । लेकिन मैं कहना चाहूंगा-

''हजारों साल नरगीश अपनी बेनूरी पर रोती है,
बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा ।''

अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से बहुत सारी योजनाएं हैं । आज हमलोग अगर चर्चा करें परिवहन विभाग के जो ....

अध्यक्ष : अब तो वह सब अपना लिखित वक्तव्य दे दीजिएगा ।

श्री संतोष कुमार निराला, मंत्री: महोदय, कई एक कार्यक्रम है, बिहार राज्य पथ परिवहन निगम में भी बहुत सारा काम हुआ है । निगम में भी बहुत सारे, नेपाल और बिहार बस चलाने का काम किया है, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आज नेपाल और बिहार के साथ ऐसा संबंध हुआ है और उसी प्रकार से पटना सिटी में, बिहार शरीफ-नालंदा सिटी में, गया सिटी में सिटी बसों को चला कर हमलोग उसपर कई एक काम हमलोग किए हैं। ऑनलाइन

टिकट की व्यवस्था किए हैं । चलो मोबाइल ऐप का ट्रेनिंग का, सिस्टम का, मासिक यात्रा पास, छात्र-छात्राओं को रियायत दरों पर मासिक पास, महिलाओं को भी इसमें मासिक पास हमलोग देने का काम कर रहे हैं और उसी प्रकार से महिलाओं के लिए 65 परसेंट सीटें आरक्षित और दिव्यांग जनों के लिए मुफ्त यात्रा की सुविधा हमलोग निगम में किए हैं, इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं अपना भाषण का पूरा पार्ट कार्रवाई में दे देंगे ... क्रमशः...

टर्न : 27/कृष्ण/11.07.2019

श्री संतोष कुमार निराला,मंत्री (क्रमशः) और इसे कार्यवाही का पार्ट बना दिया जाय । महोदय, हमारे विभाग ने जो काम किया है, हर मामले में, वह सब है । इसलिए मैं आप से आग्रह करूंगा लेकिन उसके पहले मैं माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से परिवहन विभाग के वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिये कुल 4 अरब 57 करोड़ 42 लाख 4 हजार रूपये का बजट का प्रस्ताव सदन के पटल पर विचारार्थ उपस्थापित करता हूं, जिसमें स्थापना एवं प्रतिबद्ध मद में रूपया 1 अरब 44 करोड़ 42 लाख 4 हजार तथा राज्य योजना मद में मांग संख्या-47 के तहत 3 अरब 13 करोड़ एवं मांग संख्या-3 के तहत 20 करोड़ रूपये का प्रावधान प्रस्तावित है, इसे स्वीकृत करने की कृपा की जाय और महोदय, मैं आग्रह करूंगा कि कटौती का प्रस्ताव माननीय सदस्य श्री अब्दुल बारी सिद्दीकी जी ने प्रस्तुत किया है, अभी वह सदन में नहीं हैं । मैं चाहूंगा कि वह अपना कटौती प्रस्ताव वापस ले लें और इस बजट को पास किया जाय। धन्यवाद ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी जो दस्तावेज सदन पटल पर रखें हैं, वह इनके भाषण का अंश बनेगा और सदन की कार्यवाही का हिस्सा बनेगा ।

(माननीय मंत्री का भाषण - परिशिष्ट द्रष्टव्य)

क्या माननीय सदस्य श्री अब्दुल बारी सिद्दीकी अपना कटौती प्रस्ताव वापस लेना चाहते हैं ?

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

" इस शीर्षक की मांग 10/-रूपये से घटायी जाय ।"

यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

अब मैं मूल प्रस्ताव को लेता हूं ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

परिवहन विभाग के संबंध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होनेवाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्त्ति के लिये 4,57,42,04,000/- (चार अरब संतावन करोड़ बयालीस लाख चार हजार) रूपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय ।"

यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

मांग स्वीकृत हुई ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 11 जुलाई, 2019 के लिये स्वीकृत निवेदनों की कुल संख्या 49 है । अगर सदन की सहमति हो तो इन्हें संबंधित विभागों को भेज दिया जाय ।

(सभा की सहमति हुई)

अब सभा की बैठक शुक्रवार दिनांक 12 जुलाई, 2019 को 11.00 बजे पूर्वाह्न तक के लिये स्थगित की जाती है ।

बिहार सरकार

परिवहन विभाग

श्री सुशील कुमार मोदी
माननीय उप मुख्यमंत्री
बिहार

श्री नीतीश कुमार
माननीय मुख्यमंत्री
बिहार

श्री संतोष कुमार निराला
माननीय मंत्री
परिवहन विभाग, बिहार

श्री संतोष कुमार निराला

मंत्री, परिवहन विभाग, बिहार सरकार

का

वर्ष 2019–20 का

बजट अभिभाषण

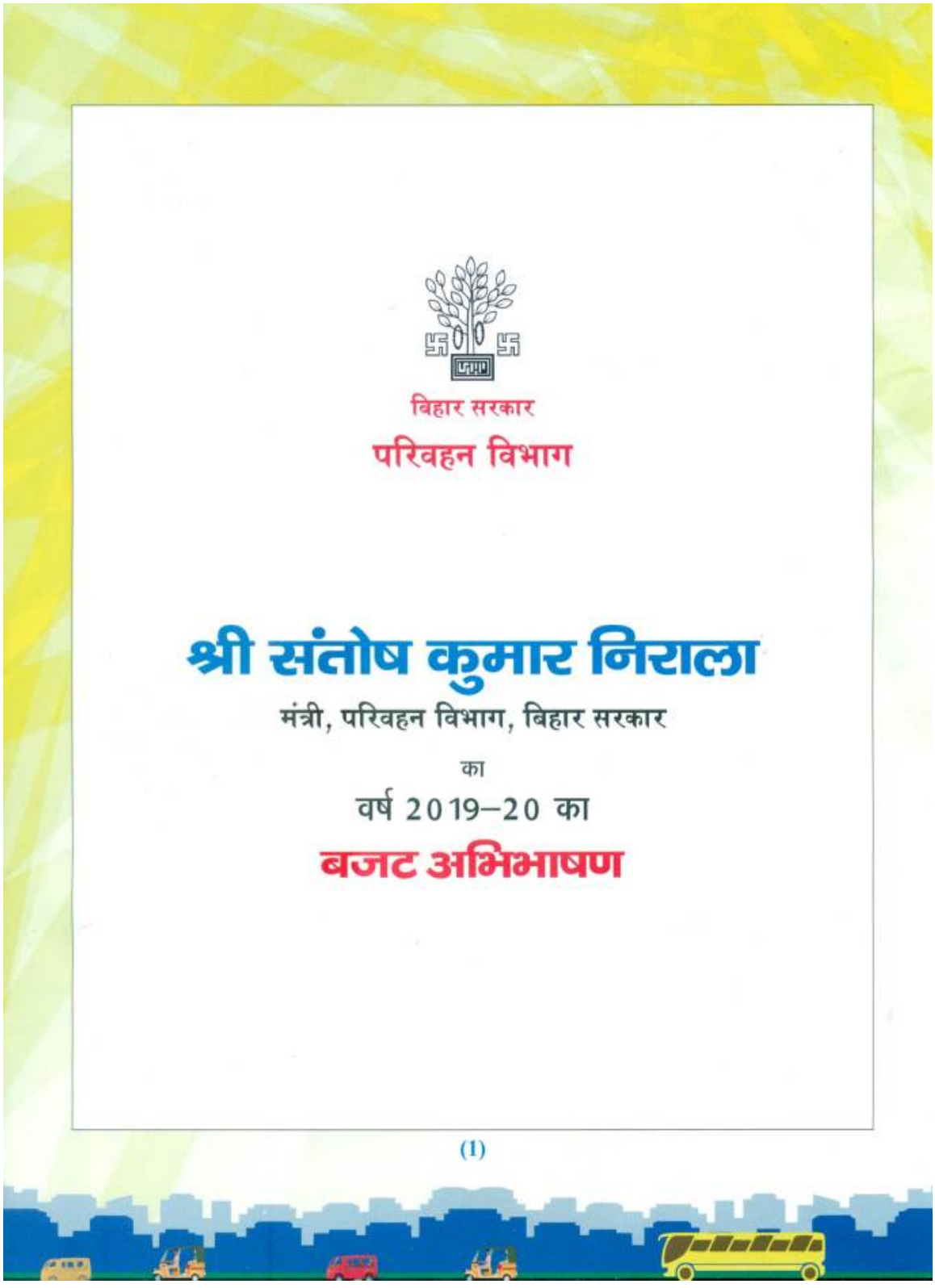

विहार सरकार

परिवहन विभाग

श्री संतोष कुमार निराला

मंत्री, परिवहन विभाग, बिहार सरकार

का

वर्ष 2019–20 का

बजट अभिभाषण

आदरणीय अध्यक्ष महोदय

परिवहन विभाग के वर्ष 2019-20 का बजट प्रस्ताव सभा पटल पर रखने का अवसर प्रदान के लिए मै आपके प्रति आभार प्रकट करता हूँ।

भूमिका

देश में एक बड़े रेल नेटवर्क की उपलब्धता है तथापि आमजन परिवहन एवं व्यवसाय हेतु सड़क परिवहन का भरपूर उपयोग करते है। देश और राज्य की आर्थिक एवं व्यावसायिक प्रगति के लिए सड़क परिवहन प्रक्षेत्र की अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका है। यह प्रक्षेत्र अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। सुगम तथा सुरक्षित परिवहन व्यवस्था आज की सबसे बड़ी चुनौती है। परिवहन रोजगारोन्मुखी प्रक्षेत्र होने के साथ-साथ छोटे व्यवसायियों के लिए रोजगार के अनेक अवसर उपलब्ध कराता है। इसी परिप्रेक्ष्य में परिवहन व्यवस्था के क्षेत्र में उपलब्ध अधिकाधिक तकनीक का उपयोग करते हुए इस दिशा में दिन-प्रतिदिन अनेक सुधार किये जा रहे हैं।

बिहार राज्य में भी विगत माहों में इस प्रकार की कई पहल की गई है। राज्य के परिवहन प्रणाली को आधुनिक तकनीक से जोड़ते हुए इसे सरलीकृत किया जा रहा है, जिससे छोटे व्यवसायियों को त्वरित लाभ मिल रहा है। इतना ही नहीं, पूर्व वर्षो से जारी परम्परा के अतिरिक्त पहली बार 2018-19 में परिवहन विभाग ने ''मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना'' के रूप में एक कल्याणकारी योजना प्रारंभ कर ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को प्रोत्साहित करने का कार्य किया है। इस योजना के अन्तर्गत राज्य के सभी पंचायतों के पाँच-पाँच कमजोर वर्ग के लाभार्थियों को रोजगार प्रदान करने में आर्थिक सहायता प्रदान किया गया है। चालू वित्तीय वर्ष में ''वाहन जनित प्रदूषण स्तर'' को नियंत्रित करने को प्राथमिकता दी जा रही है।

परिवहन विभाग के कार्य एवं दायित्व

कार्यपालिका नियमावली के अंतर्गत मोटर परिवहन नियंत्रण, मोटरगाड़ी करारोपण, बिहार राज्य पथ परिवहन निगम का नियंत्रण, यंत्र चालित जलयानों के संबंध में राष्ट्रीय जलमार्ग

के रूप में घोषित अंतर्देशीय जलमार्गों से जहाजरानी और नौपरिवहन घाट, रेलवे तथा परिवहन विभाग में दखल भवनों का प्रशासनिक प्रभार एवं नियोजित पदाधिकारियों का नियंत्रण मुख्य है। मोटरवाहन अधिनियम के तहत वाहनों का निबंधन, कर वसूली, चालक अनुज्ञप्ति का निर्गमन, प्रदूषण नियंत्रण, सड़क सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्यों का सतत् पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण परिवहन विभाग द्वारा किया जा रहा है।

राजस्व संग्रहण में योगदान

विगत वर्षों में राज्य में आर्थिक विकास के नये कीर्तिमान स्थापित हुए। परिवहन विभाग राजस्व संग्रहण से संबंधित विभाग है और राज्य के आर्थिक विकास के लिए संसाधन जुटाने में इस विभाग का महत्वपूर्ण योगदान है। विगत 10 वर्षों में परिवहन विभाग के राजस्व संग्रहण में लगातार वृद्धि हो रही है। जहाँ वर्ष 2008-09 में राजस्व संग्रहण का आंकड़ा 303.65 करोड़ का था वहीं वर्ष 2017-18 में बढ़कर 1624.00 करोड़ हो गया। वर्ष 2018-19 में 2000.00 करोड़ राजस्व वसूली के लक्ष्य के विरूद्ध मार्च, 2019 तक 2067.21 करोड़ राजस्व की वसूली हुई है, जो लक्ष्य के 100 प्रतिशत से भी अधिक है एवं गत वित्तीय वर्ष की तुलना में 27.23 प्रतिशत अधिक है।

वाहन निबंधन में वृद्धि

विगत वर्षों में गाड़ियों के निबंधन में आशातीत वृद्धि हुई है जो राज्य के उत्तरोत्तर आर्थिक एवं सामाजिक समृद्धि का प्रतीक है। वर्ष 2008-09 में जहाँ 2,20,413 गाड़ियों का निबंधन हुआ था वहीं वित्तीय वर्ष 2018-19 में 12,02,188 गाड़ियों का निबंधन हुआ है। निबंधन में वृद्धि दर वार्षिक 8.00 प्रतिशत है। यह प्रगति राज्य के सभी 38 जिलों में वाहन 4.0 साफ्टवेयर से जोड़े जाने तथा निबंधन का कार्य सुगम एवं पूर्णत: पारदर्शी होने के फलस्वरूप प्राप्त हुआ है। मोटरवाहनों के निबंधन हेतु वाहन स्वामी को अब जिला परिवहन कार्यालय जाने की आवश्यकता नही है, बल्कि सभी डीलरों को उपलब्ध कराये गये User id एवं Password की सहायता से वाहन क्रेता के वाहन के निबंधन के लिए डीलर ही ऑनलाइन आवेदन Upload कर रहे है तथा अधिकतम एक से तीन दिनों के अन्दर उन्हें संबंधित जिला परिवहन कार्यालय द्वारा निबंधन संख्या ऑनलाइन प्राप्त हो

जा रहा है। फलतः वाहन क्रेता को क्रय स्थल अर्थात वाहन डीलर के यहाँ ही निबंधन संख्या उनसे प्राप्त हो रहे है।

अन्य राज्यों के साथ समझौता

बिहार राज्य के द्वारा अन्तर्राज्यीय यातायात की सुविधा हेतु विभिन्न राज्यों के साथ पारस्परिक समझौता किया गया। झारखण्ड के साथ 200 मार्गों पर, छतीसगढ़ के साथ 28 मार्गों पर, उड़ीसा के साथ 35 मार्गों पर एवं पश्चिम बंगाल के साथ 45 मार्गों पर अन्तर्राज्यीय परिवहन समझौता किया गया है। वर्ष 2016 में उत्तर प्रदेश के साथ 34 मार्गों पर अन्तर्राज्यीय परिवहन समझौता किया गया है। उत्तर प्रदेश के साथ फरवरी 2019 में हुए समझौते में 4 नये मार्गो को शामिल किया गया है। इससे गाजियाबाद एव नोएडा तक परिवहन सेवा का विस्तार हुआ है। फलतः राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से सड़क परिवहन सम्बद्ध हो गया है। अन्तर्क्षेत्रीय मार्गों पर यात्री बसों के परिवहन को नियंत्रित करने के लिए 3284 मार्गों को चिन्हित किया गया है। इसके अतिरिक्त भारत नेपाल के बीच हुए पारस्परिक समझौता 2015 के आलोक में ''पटना से जनकपुर'' तथा ''बोधगया से काठमांडू'' पथ पर बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के नियंत्रण में अन्तराष्ट्रीय सड़क परिवहन प्रारंभ किया जा सका है। इस क्रम में बिहार सरकार द्वारा छः एवं इतनी ही संख्या में नेपाल सरकार की ओर से भी बसों के लिए परमिट निर्गत किये गये है जिसका प्रतिहस्ताक्षर भी कर दिया गया है। और दोनों ओर से बसों का नियमित परिचालन हो रहा है। यह परिवहन सेवा विगत वित्तीय वर्ष 2018-19 में ही प्रारंभ की जा चुकी है।

सड़क सुरक्षा

सड़क परिवहन को सुगम एवं सुरक्षित बनाने के लिए सरकार सजग एवं सतर्क है।

बिहार सड़क सुरक्षा नीति, 2015, बिहार सड़क सुरक्षा कार्ययोजना, 2016, बिहार सड़क सुरक्षा निधि नियमावली, 2018, बिहार ब्लैक स्पॉट प्रोटोकॉल, 2017 एवं बिहार सड़क सुरक्षा परिषद् नियमावली, 2018 इत्यादि के आलोक में नियमानुसार सभी अपेक्षित कार्रवाई की जा रही है।

''बिहार सड़क सुरक्षा परिषद्''की बैठक में विभिन्न पणधारी विभागों को सड़क सुरक्षा से संबंधित अलग-अलग कार्यों के लिए निधि उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया। इस क्रम में -

- सभी जिला पदाधिकारियों एवं वरीय पुलिस अधीक्षकों/पुलिस अधीक्षकों को अपने कर्मियों को सड़क सुरक्षा का प्रशिक्षण दिये जाने हेतु प्रति जिला 2-2 लाख रू0 कुल 76 लाख रू0 उपलब्ध कराए गए।
- विज्ञापन एवं प्रकाशन तथा जागरूकता हेतु प्रति जिला 1 लाख की दर से कुल 38 लाख रूपये दिए गए।
- मशीन एवं अन्य उपस्करों हेतु सभी जिलों को 3-3 लाख एवं तीन बड़े जिलों को अतिरिक्त 2 लाख की राशि कुल 120 लाख रू0 की राशि उपलब्ध कराई गई।
- बिहार राज्य पथ परिवहन निगम को सड़क सुरक्षा एवं जागरूकता प्रशिक्षण हेतु 100 लाख रू0 एवं कंसलटेन्सी हेतु 65 लाख रू0 कुल 165 लाख रू0 की राशि उपलब्ध कराई गई।
- एन0सी0सी0 के द्वारा भी सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये जाने हेतु 6 लाख रूपये आवंटित किए गए।

इनके अतिरिक्त अन्य पणधारी विभागों को भी आवश्यकता अनुरूप सड़क सुरक्षा हेतु राशि मुहैया कराने की कार्रवाई की जा रही है।

सड़कों पर ज्यादातर घटनाएँ चालकों के प्रशिक्षित नहीं होने के कारण घटित होती है। लीड एजेंसी द्वारा नि:शुल्क भारी वाहन चालक प्रशिक्षण योजना आई. डी.टी.आर. औरंगाबाद में प्रारंभ की गई है तथा इस हेतु संस्थान को राशि उपलब्ध कराई गई है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निदेशानुसार सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों के बचाव हेतु पुलिस विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा अलग से निर्देश जारी किये गए है। साथ ही परिवहन विभाग के द्वारा गंभीर रूप से दुर्घटना पीड़ित व्यक्ति

Optimized by www.ImageOptimizer.net

को त्वरित चिकित्सा हेतु सहायता पहुँचाने के लिए नागरिकों को प्रेरित किया गया है। उन्हें "GOOD SAMARITAN" के रूप में पहचान कर सम्मानित किये जाने की प्रक्रिया भी प्रारम्भ की गई है। गत स्वतंत्रता दिवस एवं गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रत्येक जिल में ''गुड सेमेरिटन'' की पहचान कर राज्य भर में उन्हें सम्मानित भी किया गया है। इनकी संख्या 70 है।

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा परावर्तक टेप, स्पीड गवर्नर एवं एच0एस0आर0पी0 को अनिवार्य किया गया है जिसे राज्य में लागू किया गया है तथा 28 कम्पनियों को स्पीड गवर्नर लगाए जाने हेतु अधिकृत किया गया है। सड़कों पर ब्लैक स्पॉट दुर्घटना का एक मूल कारक है। 124 ब्लैक स्पॉटों को चिन्हित करते हुए 115 ब्लैक स्पॉटों को परिमार्जित किया गया है।

दुर्घटना से बचने हेतु अनिवार्य सड़क चिन्ह (Mandatory Road Signs), सचेतक सड़क चिन्ह (Cautionary Road Signs), सूचनात्मक सड़क चिन्ह (Informatory Road Signs), सड़क मार्किंग (Road Markings) एवं सड़क संकेतकों (Road Signs) का प्रयोग पथ निर्माण विभाग एवं राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग द्वारा किया जा रहा है।

सड़क सुरक्षा के दृष्टिकोण से यातायात नियमों के अनुपालन एवं सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाये जाने हेतु निरंतर प्रयास किये जा रहे हैं। पुलिस अवर निरीक्षक से लेकर पुलिस उपाधीक्षक स्तर के पदाधिकारी को यातायात नियमों के उल्लंघन के आरोपियों से शमन की राशि वसूलने की शक्ति परिवहन विभाग द्वारा प्रत्यायोजित की गई है। परिवहन विभाग द्वारा व्यापक स्तर पर यातायात नियमों के उल्लंघन को नियंत्रित करने की कार्रवाई की जा रही है।

सस्ती एवं सुलभ परिवहन व्यवस्था

राज्य की जनता को सुलभ एवं सस्ती परिवहन व्यवस्था उपलब्ध कराने हेतु ''द रोड ट्रॉसपोर्ट कारपोरेशन एक्ट, 1950'' के अंतर्गत बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना दिनांक 01.05.1959 को की गई। विगत कई वर्षो से निगम पूरे प्रदेश में

Optimized by www.ImageOptimizer.net

आवागमन हेतु एक मात्र सुलभ एवं सस्ती परिवहन व्यवस्था के रूप में कार्य कर रहा है।

राज्य के विभिन्न शहरों में सस्ते एवं सुलभ परिवहन सुविधा हेतु JnNURM योजना के अंतर्गत बुडको से प्राप्त बसों का संचालन दिनांक 24.02.2016 से बिहार राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा सुचारू रूप से किया जा रहा है।

उक्त योजना के प्रथम फेज में निगम को 141 बसें प्राप्त हुई थीं, जिसका संचालन निगम के पटना, छपरा, दरभंगा एवं गया प्रमंडल में प्रारम्भ किया गया। फेज-2 में 215 बसें प्राप्त हुई है, जिसका संचालन उपरोक्त शहरों के अलावे पूर्णियाँ, भागलपुर एवं मुजफ्फरपुर शहरी क्षेत्र के विभिन्न मार्गो पर प्रारंभ किया गया है। इस योजना मद में प्राप्त कुल 356 बसों के द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 में कुल 2.12 करोड़ एवं वित्तीय वर्ष 2018-19 में 3.20 करोड़ यात्रियों को परिवहन सुविधा का लाभ पहुँचाया गया है। वर्तमान में पटना शहर में महिला यात्रियों के लिए एक विशेष महिला स्पेशल बस का भी संचालन किया जा रहा है।

सिटी बस सेवा : दिनांक 03.05.2018 को माननीय मुख्यमंत्री, बिहार द्वारा पटना शहरी क्षेत्र में सिटी बस सेवा का शुभारंभ किया गया। वर्तमान में पटना शहरी क्षेत्र में सिटी बस सेवा अन्तर्गत निम्नाकिंत मार्गो पर कुल 109 बसों का संचालन किया जा रहा है:-

* गाँधी मैदान से दानापुर बस स्टैण्ड भाया पटना जक्शन, बेलीरोड (मार्ग सं0-111)
* गाँधी मैदान से दानापुर रेलवे स्टेशन भाया पटना जक्शन बेलीरोड (मार्ग सं0 111A)
* गाँधी मैदान से फुलवारीशरीफ, AIIMS (मार्ग सं0:- 222)
* गाँधी मैदान से पटना विश्वविद्यालय, NIT (मार्ग सं0:- 333)
* गाँधी मैदान से हाजीपुर (मार्ग सं0:- 444)
* गाँधी मैदान से पटना सिटी भाया राजेन्द्रनगर टर्मिनल (मार्ग सं0:- 555)
* गाँधी मैदान से हाण्डी साहेब भाया दीघा (मार्ग संख्या- 666)

Optimized by www.ImageOptimizer.net

* गाँधी मैदान से बिहारशरीफ (मार्ग संख्या- 777)
* गाँधी मैदान से IIT बिहटा (मार्ग सं0:- 888)
* गाँधी मैदान से बिहटा ESI (मार्ग सं0:- 888A)
* सगुना मोड़ से मनेर शरीफ (मार्ग सं0:- 999)
* पटना जंक्शन से कुर्जी मोड़ (मार्ग संख्या - 500)
* हवाई अड्डा से बांकीपुर बस पड़ाव भाया हज भवन हार्डिंग रोड (मार्ग संख्या - 100)
* हवाई अड्डा से बांकीपुर बस पड़ाव भाया बेली रोड़, पटना (मार्ग संख्या - 200)
* पटना सिटी बस में सेवा की अपार सफलता के मददेनजर आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा बिहार राज्य पथ परिवहन निगम को (11th urban mobility india 2018) "From Zero to Century up : A New Sunrise in Patna City Bus" under the category of "Best City Bus Service" के अतर्गत Commendable Initiative award, नागपुर में दिया गया है।
* पटना सिटी बस सर्विस के लिए Vehicle Tracking System, CHALO Mobile App एवं Public Information System चालू किया गया है। साथ ही यात्रियों की सुविधा हेतु RFID Card, मासिक मोबाईल पास एवं RFID मासिक यात्रा पास दिया जा रहा है। महिलाओं, ट्रॉसजेंडर एवं छात्र/छात्राओं के लिए रियायती दर पर मासिक यात्रा पास की सुविधा दी जा रही है।
* सिटी बसों में E-Ticketing की व्यवस्था की गई है, एवं पटना शहर की सभी बसों में ETM के द्वारा टिकट निर्गत किया जा रहा है।

बिहारशरीफ एवं गया सिटी बस सेवा :-

गया शहर में भी गया रेलवे जंक्शन से मगध मेडिकल कॉलेज भाया सिकरिया मोड़ तक सिटी बस सेवा अन्तर्गत कुल 3 बसों का संचालन किया जा रहा है। बिहार-शरीफ

Optimized by www.ImageOptimizer.net

शहर में भी सिटी बस सेवा अन्तर्गत 2 बसों का संचालन किया जा रहा है।

इन बसों में महिलाओं के लिए 65% सीटें आरक्षित है तथा दिव्यांगजन के लिए मुफ्त यात्रा सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। कम भाड़े एवं समय से बसों के संचालन से यह बस सेवा आम लोगों में काफी लोकप्रिय हो रहा है। अभी तक सिटी बसों में लगभग एक करोड़ बीस लाख यात्रियों को परिवहन सुविधा उपलब्ध करायी गयी है। सिटी बस सेवा प्रारम्भ होने के पश्चात पटना शहर के सभी मुख्य स्थल जैसे -Railway station, Hospital, University, College एवं जयप्रकाश नारायण अन्तराष्ट्रीय हवाई अड्डा से पटना जक्शन रेलवे स्टेशन तथा बाँकीपुर बस पड़ाव गाँधी मैदान तक बस परिवहन के द्वारा जोड़ा गया है।

राज्य की जनता को अच्छी एवं सुलभ यातायात सुविधा उपलब्ध कराने हेतु निगम की आर्थिक स्थिति को सशक्त करने के उद्देश्य से वर्ष 2009-10 में लोक निजी भागीदारी योजना प्रारंभ की गई थी, जिसके अंतर्गत निजी बस परिचालकों के साथ नियम एवं शर्तों के साथ एकरारनामा कर निगम के बेड़े में गाड़ियों की संख्या में वृद्धि की गई। निगम के अधीन 223 पुरानी बसों में से 76 बसें विभिन्न मार्गो पर परिचालित है। इसकी संख्या भी बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त लोक निजी भागीदारी योजना अंतर्गत निगम के नियंत्रणाधीन 238 निजी बसों का परिचालन भी किया जा रहा है।

बिहार-उत्तर प्रदेश volvo बस सेवा :-

बिहार-उत्तर प्रदेश के बीच हुये पारस्परिक समझौते के आलोक में पटना, बक्सर, बिहारशरीफ एवं किशनगंज से गाजियाबाद के बीच कुल सात Volvo Luxury बसों का परिचालन ASRTU के Hired Rate Contract के आधार पर कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त लोक निजी भागीदारी योजना के अन्तर्गत बिहार उत्तर प्रदेश के विभिन्न मार्गो पर कुल 09 बसों का संचालन किया जा रहा है। इनमें छपरा-गोरखपुर, मोतिहारी-गोरखपुर एवं रक्सौल-गोरखपुर मार्ग शमिल है।

Optimized by www.ImageOptimizer.net

बिहार–नेपाल बस सेवा :–

बिहार एवं नेपाल के बीच बस परिचालन हेतु सम्पन्न ''पारस्परिक समझौते'' के आलोक में पारस्परिक रूप से बोधगया-पटना-काठमांडू मार्ग पर प्रतिदिन 2 बस एवं पटना-जनकपुर मार्ग पर प्रतिदिन 4 बसों का नियमित रूप से परिचालन किया जा रहा है।

* PPP योजना के अन्तर्गत बसों में Online Ticketing की व्यवस्था की गई है।
* लोक निजी भागीदारी योजना के अंर्तगत बिहार-झारखंड के मार्ग पर 02 Volvo बस का परिचालन किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना (MMGPY)

परिवहन विभाग की दिनांक 05.09.2018 की अधिसूचना द्वारा ''मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना'' को शुरू किया गया है। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक पंचायत के पाँच लाभुकों, जिसमें तीन अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं दो अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के समुदाय से होंगे, उन्हें मापदण्ड के अनुरूप वाहन की खरीद पर खरीद मूल्य का 50 प्रतिशत परन्तु अधिकतम एक लाख रू0 अनुदान दिया जा रहा है। इस योजना के प्रथम एवं द्वितीय चरण के अंतर्गत कुल 21,112 लाभुकों का चयन किया गया जिसमें से 8000 से ज्यादा लाभुकों द्वारा वाहन क्रय किया गया है, जिन्हें अनुदान का भुगतान किया जा चुका है। लक्ष्य की शत-प्रतिशत प्राप्ति हेतु योजना का तृतीय चरण प्रारंभ किया जा चुका है।

आधारभूत संरचना का विकास

राज्य योजना के अंतर्गत जिला परिवहन कार्यालयों की क्षमता संवर्द्धन एवं नागरिकों की सुविधा हेतु आधुनिक जिला परिवहन सुविधा केन्द्रों का निर्माण सभी जिलों में कराया जा रहा है। इनमें मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, खगड़िया, नालंदा, बेतिया, सुपौल, मोतिहारी, रोहतास, भभुआ (कैमूर), सीतामढ़ी, बांका, बेगूसराय, कटिहार, पूर्णिया, वैशाली, मुंगेर, गोपालगंज, शेखपुरा, अरवल, अररिया तथा छपरा जिलों में निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका

Optimized by www.ImageOptimizer.net

है। सहरसा, औरंगाबाद, मधेपुरा, बक्सर, भोजपुर, भागलपुर, दरभंगा, जमुई, जहानाबाद, किशनगंज, मधुबनी, नवादा, शिवहर एवं लखीसराय जिलों में परिवहन भवन निर्माणाधीन है। पटना एवं गया में भूमि उपलब्ध हो गयी है। फलतः परिवहन विभाग द्वारा तैयार नागरिक सुविधा केन्द्रों से आमजन को एक जगह सभी सुविधाएँ उपलब्ध हो रही है।

डी०एल०/आर०सी० का आवासीय पते पर प्रेषण–

वाहन निबंधन संबंधी RC (स्मार्ट कार्ड) वाहन क्रेता को उनके दिये गये आवासीय पता पर निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट से प्रेषित किया जा रहा है जिससे आवेदक के पते के सत्यापन के साथ-साथ गलत तरीके से स्मार्ट कार्ड प्राप्त करने पर रोक लगी है एवं इस कार्य से पारदर्शिता परिलक्षित हो रही है।

ओ–ग्रास की सुविधा–

वाहन मालिकों की सुविधा के लिए परिवहन विभाग द्वारा व्यावसायिक वाहनों के करों का भुगतान ई-पेमेंट के माध्यम से करने की सुविधा उपलब्ध है। परिवहन विभाग द्वारा ई-रिसिप्ट प्रक्रिया भी अपनाई गई है। इसके तहत ई-पेमेंट को वित्त विभाग के पोर्टल O-GRAS से जोड़ दिया गया है। सभी जिलों में अब O-GRAS के माध्यम से ही राजस्व जमा किया जा रहा है।

प्रदूषण नियंत्रण

परिवहन विभाग द्वारा वाहनों का निबंधन, कर संग्रहण के अतिरिक्त "वाहन जनित प्रदूषण" पर नियंत्रण हेतु लगभग 508 प्रदूषण जाँच केन्द्रों को अनुज्ञप्ति प्रदान की गई है। अब इन्हें ऑनलाइन किये जाने की व्यवस्था की जा रही है ताकि वाहनवार डाटा उपलब्ध हो सके। इसके अतिरिक्त गेल इंडिया के साथ निकट भविष्य में सी.एन.जी. एवं एल.पी.जी. आधारित ईंधनों पर चलने वाले वाहनों को बढ़ावा दिये जाने हेतु वाहनों का प्रोटोटाइप एप्रुवल दिया गया है। निकट भविष्य में सभी प्रमाण पत्र Online किये जाने हेतु कार्रवाई प्रारंभ की गयी है।

विभाग द्वारा किये गये अन्य पहल

भारी वाहन चालक प्रशिक्षण योजना

यह योजना बिहार सड़क सुरक्षा परिषद् के द्वारा संपोषित है। इस योजना का उद्देश्य चालन क्षमता का संवर्द्धन कर सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना है। इस योजनान्तर्गत चालक प्रशिक्षण सह शोध संस्थान, औरंगाबाद में निःशुल्क (भोजन एवं आवास सुविधा सहित) प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सम्प्रति इस योजना के तहत 2000 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना से जहाँ एक ओर प्रशिक्षित भारी वाहन चालक प्राप्त होने से सड़क दुर्घटनाओं में कमी आयेगी वहीं दूसरी ओर इन्हें राज्य के बाहर भी रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। इसके अंतर्गत प्रथम बैच का प्रशिक्षण भी प्रारंभ कर दिया गया है।

डिजीलॉकर –

नागरिकों को सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवा की सुविधा उपलब्ध कराने तथा नागरिकों को DL एवं RC इलेक्ट्रॉनिक मोड में सुरक्षित रखने हेतु विभाग द्वारा सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के तर्ज पर यातायात चालान निर्गमन के समय डिजीलॉकर में उपलब्ध प्रमाण पत्र प्रदर्शित करने की छूट प्रदान की गयी है। इस व्यवस्था के लागू होने से ड्राइविंग लाईसेंस एवं ऑनर बुक लेकर चलने की आवश्यकता नहीं होगी। इन कागजातों की मान्यता हवाई अड्डा से लेकर अन्य जगहों पर दी गई है।

मोबाईल ऐप –

नागरिक एवं परिवहन व्यवसाय के उपयोग हेतु परिवहन संबंधी सभी सेवाओं के लिए प्रयुक्त होने योग्य मोबाइल आधारित सेवा (ऐप) उपयोग में लाया जा रहा है । इससे वास्तविक निबंधन प्रमाणपत्र/चालक अनुज्ञप्ति, सड़क दुर्घटना की सूचना, क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय/यातायात कार्यालय का विवरण, नागरिकों के लिए परिवहन संबंधी सूचना आदि इस ऐप के माध्यम से प्राप्त एवं प्रेषित की जा सकती है ।

Optimized by www.ImageOptimizer.net

एग्रीगेटर पॉलिसी–

शहरी गतिशीलता को प्रोत्साहित करने हेतु सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार (MoRTH) द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों एवं बिहार मोटरगाड़ी नियमावली, 1992 के नियम 103 में निहित प्रावधानों के आलोक में बिहार राज्य के अन्तर्गत तकनीकी आधारित टैक्सी सेवा प्रदाता कंपनी/कंपनियों के परिचालन को विनियमित करने के लिए परिवहन विभाग, बिहार सरकार द्वारा ''बिहार टैक्सी परिचालन अनुदेश, 2019'' बनाया गया है। उक्त अनुदेश में यात्रियों की सुरक्षा एवं सुविधा हेतु प्रावधान किये गये हैं। इन प्रावधानों में चालक प्रोफाईल, चालक प्रशिक्षण, वाहन में भौतिक आपात बटन की सुविधा, वाहन में जी0पी0एस0/जी0पी0आर0एस0 यंत्र, रेडियो/वेब पर आधारित डिजीटल प्लेटफार्म से सुसज्जित होना प्रमुख प्रावधान है। इस अनुदेश के अनुसार वाहन के भीतर वाले भाग में चालक एवं वाहन से संबंधित विवरण, जिला परिवहन कार्यालय, पुलिस एवं महिला हेल्प लाईन का फोन नंबर प्रमुखता से प्रदर्शित होगा। साथ ही इसके अनुसार चालक पर लागू मादक द्रव्य अथवा अल्कोहल के प्रयोग पर ''शून्य सहन नीति'' कार्यान्वित किया जायेगा एवं वेबसाईट पर ''शून्य सहन नीति'' का नोटिस जारी किया जायेगा, जिसका उल्लंघन करने पर चालक के विरूद्ध नियमानुकूल कार्रवाई की जायेगी।

इस अनुदेश के लागू होने से यात्रियों की सुरक्षा एवं सुविधा में वृद्धि होगी। साथ ही टैक्सी सेवा प्रदाता कंपनियों पर प्रभावी नियंत्रण एवं विनियमन स्थापित होगा। इससे शहरी परिवहन गतिशीलता को बढ़ावा मिलेगा।

इस अनुदेश के आलोक में कतिपय कंपनियों को एग्रीगेटर लाइसेंस स्वीकृत करने की कार्रवाई की गयी है जिसमें UBER India Technology Pvt. Ltd. प्रमुख है।

रेन्ट ए कैब स्कीम–

इस स्कीम के द्वारा कोई व्यक्ति मोटर कैब को किराये पर दिये जाने का व्यापार आरम्भ कर सकता है। इस व्यापार को आरम्भ किये जाने हेतु व्यक्ति द्वारा अनुज्ञप्ति लिया जाना

अनिवार्य होगा। उपभोक्ता की सुरक्षा एवं सुविधा के लिए सेवा प्रदाता की जिम्मेवारी सुनिश्चित किये जाने हेतु इस स्कीम के तहत आवश्यक प्रावधान किये गये हैं।

इस स्कीम के तहत सेवाप्रदाता कार्यालय से उपभोक्ता कैब किराये पर लेकर देश भर में कहीं भी भ्रमण कर सकते हैं। इस स्कीम के तहत Zoom Car India Pvt Ltd को बिहार राज्य में पहली बार अनुज्ञप्ति दी गयी है, जिसके तहत पटना में शाखा कार्यालय खोला गया है।

ऑनलाइन वाहन परमिट

किसी मोटरवाहन को व्यावसायिक वाहन के रुप में व्यवहार हेतु 'राज्य परिवहन प्राधिकार' अथवा 'क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार' द्वारा मोटरवाहन अधिनियम एवं उसके अंतर्गत निर्मित नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के अधीन विहित प्रक्रिया द्वारा प्राधिकृत किये जाने के लिए 'परमिट' आवश्यक है। मोटरवाहन अधिनियम, 1988 की धारा-66 के अंतर्गत व्यावसायिक वाहन के परिचालन हेतु 'परमिट' अनिवार्य है।

परमिट की प्रक्रिया को पारदर्शी एवं सुलभ बनाने के लिए विभाग के द्वारा ऑनलाइन परमिट की व्यवस्था शुरु की गई है। उक्त कार्य के लिए एन.आई.सी. द्वारा साफ्टवेयर तैयार किया गया है जो वाहन-4.0 पर उपलब्ध है।

विभाग द्वारा परमिट की प्रक्रिया को सरलीकृत एवं जनसुलभ बनाने हेतु राज्य के सभी गैर प्रमंडलीय जिलों में भी जिला परिवहन कार्यालय में परमिट आवेदन की सुविधा प्रदान की गई है।

सी.सी.टी.वी. की सहायता से ई-चालान व्यवस्था –

पटना शहरी क्षेत्र में यातायात उल्लंघन के मामलों में बेव आधारित ई-चालान दिये जाने का कार्य प्रारंभ किया गया है। सी.सी.टी.वी. कैमरे की मदद से यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन को निबंधन के आधार पर उन वाहन मालिकों को ई-चालान भेजी जा रही है।

Optimized by www.ImageOptimizer.net

Hand Held Device आधारित ई-चालान की व्यवस्था

वाहन चालकों द्वारा यातायात नियमों के उल्लंघन के मामलों में मोबाईल आधारित Hand Held Device से ई-चालान काटे जाने की व्यवस्था की गई है। पॉयलट प्रोजेक्ट के रूप में पटना शहर में ऑनस्पॉट फाईन व्यवस्था हेतु यातायात/परिवहन पदाधिकारियों को Hand Held Device उपलब्ध कराया गया है। अन्य जिलों में इसे विस्तारित करने की कार्रवाई की जा रही है। इससे प्रवर्तन तंत्र की क्षमता में वृद्धि तथा यातायात चालान में पारदर्शिता आयेगी। साथ ही वाहन एवं सारथी डाटा-बेस के अपडेट होने से बारम्बार उल्लंघन के मामलों का On the Spot चालान किया जा सकेगा एवं तद्नुसार दंड अधिरोपित किया जा सकेगा। प्रवर्तन तंत्र के द्वारा वाहन चेकिंग के फलस्वरूप हैन्ड हेल्ड डिवाइस का उपयोग कर चालान निर्गत करने में उन्हें समय की बचत होती है। साथ ही वसूली गई अर्थदंड की राशि की गणना कम्प्यूटरीकृत होने से कार्य में पारदर्शिता परिलक्षित होती है तथा गतिशीलता बनी रहती है।

निरीक्षण एवं प्रमाणीकरण केन्द्र (Inspection & Certification Centre)

राज्य में बढ़ते वाहनों की संख्या एवं वाहनों से होने वाली सड़क दुर्घटनाओं की बढ़ती संख्या के मद्देनजर वाहनों के सही ढंग से रख-रखाव की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए वाहन निरीक्षण प्रणाली आवश्यक है।

परिवहन विभाग द्वारा भारत सरकार के सहयोग से पटना जिला के बिहटा (सिकंदरपुर) में तीन एकड़ भूमि पर एक अत्याधुनिक Inspection & Certification सेंटर का निर्माण किये जाने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

इस सेंटर के प्रारंभ होने से पटना तथा इसके अगल-बगल के जिलों में परिचालित सभी व्यावसायिक वाहनों की Automated तरीके से जाँच की जा सकेगी एवं जाँच किए गए वाहनों का फिटनेस एवं प्रदूषण प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा। इससे वाहनों की सुरक्षा के साथ पर्यावरण की स्वच्छता सुनिश्चित की जा सकेगी।

Optimized by www.ImageOptimizer.net

नये व्यावसायिक वाहनों को दो वर्ष के लिये फिटनेस प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। फिटनेस प्रमाण पत्र निर्गत करने के पूर्व वाहनों के यांत्रिक एवं भौतिक स्थिति की जाँच की जाती है। वर्तमान में यह कार्य विभागीय पदाधिकारियों (मोटरयान निरीक्षक) द्वारा किए जाने वाले Visual Inspection पर आधारित है।

व्यावसायिक वाहनों के सभी पार्टस को निर्धारित मानक के अनुरूप पाये जाने पर I & C सेंटर द्वारा फिटनेस प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाता है। इससे CO/HC प्रदूषण के उत्सर्जन में कमी आती है। खराब स्थिति वाले वाहनों से होनेवाली सड़क दुर्घटनाओं में कमी आती है। सेंटर में विभिन्न प्रकार के वाहनों की जाँच हेतु Inspection lane होगा। जाँच हेतु वाहन उसी लेन से होकर गुजरेंगी। सेंटर के निर्माण हेतु एजेंसी के रूप में CIRT, PUNE (Central Institute of Road Transport) का चयन किया गया है। उक्त संस्थान द्वारा समर्पित DPR के आलोक में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सेंटर के निर्माण के लिए 16.50 करोड़ की राशि की स्वीकृति हेतु अनुमति दी जा चुकी है। इस सेंटर का निर्माण लगभग एक साल में पूरा होगा।

भविष्य में क्रियान्वित की जाने वाली इच्छित योजनाएँ

पसंदीदा निबंधन नम्बर हेतु पारदर्शी व्यवस्था : प्राय: किसी विशेष निबंधन संख्या हेतु लोगों की इच्छा होती है। इस हेतु वे प्रयास करते हैं परंतु उन्हें विशेष निबंधन संख्या नहीं मिल पाता है। इस हेतु पूर्व से राजस्व निर्धारित है। नये व्यवस्था में किसी विशेष निबंधन संख्या हेतु ई0ऑक्सन की व्यवस्था लागू करने पर विचार किया जा रहा है।

ई-प्रदूषण जाँच केन्द्र : सभी प्रदूषण जाँच केन्द्रों को केन्द्रीयकृत सर्वर से जोड़ते हुए वाहन के डाटा को सुरक्षित रखने हेतु सॉफ्टवेयर आधारित प्रदूषण प्रमाण पत्र पर कार्य किये जा रहे है।

पेट्रोल पंप पर प्रदूषण जाँच केन्द्र : पेट्रोल पंपों पर प्रदूषण जाँच की सुविधा दिये जाने हेतु कार्रवाई की जा रही है ।

Optimized by www.ImageOptimizer.net

जिला परिवहन कार्यालयों में पॉस (POS) मशीन की व्यवस्था (डिजीटल पेमेंट को बढ़ावा): वाहन मालिकों को अत्यधिक नगद राशि लेकर आने-जाने की असुविधा को देखते हुए सभी जिला परिवहन कार्यालयों में डिजीटल पेमेंट एवं कैशलेस व्यवस्था हेतु पॉस मशीन लगाये जाने की कार्रवाई की जा रही है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से मैं परिवहन विभाग के लिए वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए कुल रू0 47742.04 लाख (चार अरब सतहत्तर करोड़ बयालीस लाख चार हजार रूपये) का बजट प्रस्ताव सदन के पटल पर विचारार्थ उपस्थापित करता हूँ जिसमें स्थापना एवं प्रतिबद्ध मद में रू0 14442.04 (एक अरब चौवालीस करोड़ बयालीस लाख चार हजार रूपये) तथा राज्य योजना मद में माँग संख्या 47 के तहत रू0 31300 लाख (तीन अरब तेरह करोड़ रूपये) एवं माँग संख्या 3 के तहत रू0 2000 लाख (बीस करोड़ रूपये) का प्रावधान प्रस्तावित है। इसे स्वीकृत करने की कृपा की जाय।

धन्यवाद